खण्ड-212, अंक-9
गुरूवार, 25 चैत्र, शक संवत् 1882
(14 अप्रैल, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १४ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--४१३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जनुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री

नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रताप भान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री

मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफ़री, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री

विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी मते, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १४ अप्रैल, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

भोगांव तहसील में तक़ावी वसूली मुल्तवी करने की प्रार्थना

**१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव के काश्तकारों ने गत शुक्रवार जनवरी में और बाद में भी ऐसी दरख्वास्तें जिलाधीश, प्लानिंग आफिसर व एल० आर० सी० मैनपुरी, को दी है कि दो साल बारिश अधिक हुई और इस साल सूखा रहा, इसलिये तकावी की वसूली रोक दी जावे ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—केवल १२ ऐसे काश्तकारों ने गत मार्च, १९६० को सम्मिलित रुप में कथित प्रार्थना-पत्र जिला प्लानिंग आफिसर को दिया था ।

**२—श्री गनेश चन्द्र काछी—यदि हां, तो उन दरख्वास्तों पर क्या हो रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रार्थना पत्र कृषि अधिकारी, मैनपुरी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय तकावी की वसूली बन्द है या हो रही है ? यदि हो रही है तो क्या मंत्री जी जांच के द्वारा उसको बन्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मैनपुरी जिले में गत १३६७ खरीफ और १३६६ फसली में रबी में मालगुजारी की कोई छूट नहीं दी गई इसलिये तकावी में भी कोई छूट या मुल्तवी नहीं की गई । जहां कहीं भी रुपये में आठ आने से अधिक क्षति फसल में हुई होगी वहां कायदे से मुल्तवी होगी ।

फूलपुर टाउन एरिया में मेहतरों की हड़ताल

**३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर, जिला आजमगढ़ टाउन एरिया के मेहतरों का कई मास का वेतन बाकी है जिसके कारण वे ४ अप्रैल, १९६० से हड़ताल पर हैं और टाउन एरिया के क्षेत्र में पूर्ण गन्दगी व्याप्त है ?

**४—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेहतरों का वेतन बाकी क्यों है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—इन मेहतरों का फरवरी तथा मार्च का वेतन बाकी था जो अब दिया जा चुका है ।

हड़ताल ८ अप्रैल, १९६० को समाप्त हो गई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि मेहतरों की तनख्वाह क्यों बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये ।

श्री जयराम वर्मा—अब वह बाकी तो है नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हड़ताल होने का क्या कारण था, दो महीने का वेतन रुकना ही था या और कोई कारण ?

श्री जयराम वर्मा--यह बात सही है कि दो महीने का वेतन बाकी था । उसका कारण यह हुआ कि फरवरी का वेतन देने के लिये ७ मार्च तक टाउन एरिया से बिल नहीं आ पाये लेकिन ८ मार्च को सिविल जज की तरफ से एक आदेश आ गया कि टाउन एरिया के फंड का २५६२ रु० एक डिग्री के सिलसिले में जो टाउन एरिया के खिलाफ हो चुकी है, वह कुर्क कर दिया गया है इसलिये फंड से कोई रुपया निकाला नहीं जा सकता था । टाउन एरिया में केवल ७०० रुपये थे इसलिये वह वेतन नहीं दिया जा सका । फिर इस बात की भी कोशिश की गई कि जो बकाया है उसको वसूल करके दिया जाये लेकिन बकाये के वसूल करने में भी दिक्कत हुई जिससे मार्च का भी वेतन बिलकुल शुरू में ही नहीं दिया जा सका, वह ९ अप्रैल को दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस बकाया टैक्स को वसूल करने में क्या दिक्कत थी ?

श्री जयराम वर्मा--उसको जल्दी में वसूल करने की कोशिश की गई लेकिन उसमें कुछ दिक्कत इस तरह की हुई कि जिस दल के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने दल के विरोध में जो हैं उन्हीं के खिलाफ कुर्कियां जारी कीं और अपने दल वालों के खिलाफ कुर्कियां जारी नहीं कीं । इसलिये इसमें देर हुई ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी और मार्च, १९६० का वेतन केवल मेहतरों का ही बाकी था या अन्य कर्मचारियों का भी वेतन फंड्स की कमी के कारण नहीं दिया जा सका ?

श्री जयराम वर्मा--इसकी सूचना नहीं है । सिर्फ मेहतरों के बारे में ही पूछा गया था, उसकी जानकारी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि टाउन एरिया का टैक्स केवल ३१०० रुपये बाकी है जिसके लिये टाउन एरिया के चेयरमैन ने इजराय कराने के लिये अधिकारियों से निवेदन किया था लेकिन वे उसके लिये तैयार नहीं हुये और अब भी तैयार नहीं हैं ?

श्री जयराम वर्मा--रुपया बाकी था लेकिन उसमें दिक्कत यह हुई कि नियम के अनुसार सबके खिलाफ अटैचमेंट न करा के केवल कुछ लोगों के खिलाफ जो विरोधी दल के हैं कराया गया ।

बिक्री-कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

**५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेल्स-टैक्स-प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्तावित विधेयक कब तक तैयार हो जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--सरकार के विचाराधीन इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**६--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कुछ वस्तुओं पर सेल्स टैक्स के स्थान पर एक्साइज ड्यूटी लिये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलावेंगे कि उनके यहां २, ३ बार ऐलान करने पर भी कि इस प्रकार का विधेयक आवेगा, अब तक नहीं लाया गया और वह कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री सैयद अली जहीर---शुरु में कुछ खयाल था कि इस किस्म का विधेयक आवे जिससे टैक्स इनक्वायरी कमेटी के सुझाव लागू किये जावें । लेकिन बाद को गौर करने पर लगा कि हमारे सूबे मे उसका लागू करना मुनासिब नहीं होगा । लिहाजा वह विचार छोड़ दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह क्यों समझा गया कि हमारे सूबे में उन सिफारिशों को लागू न किया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी खास वजह यह है कि जैसे एक सुझाव था कि ५००० रुपये के ऊपर के सभी डीलर्स पर टैक्स लगा दिया जाय और उनसे कम से कम ८ आना सैकड़ा हर चीज पर लिया जाय । सरकार ने सोचा कि बहुत से लोग हिसाब नहीं रख सकते हैं और न यही मुनासिब होगा कि हर चीज पर टैक्स लगाया जाय क्योंकि हम काटेज इंडस्ट्रीज की चीजों पर, जैसे हैंडलूम कपड़े पर, हम टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं । इसलिये यह सोचा गया कि हम उसको न लागू करें ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---इस बात को देखते हुये कि मौजूदा सेल्स-टैक्स प्रणाली दोषपूर्ण है, क्या सरकार नई प्रणाली पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इस पर गौर किया जा सकता है ।

हस्तिनापुर में चीनी मिल खोलने के लिए मेसर्स बी० डी० गुप्ता को ऋण

****७---श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हस्तिनापुर में एक शुगर मिल खोलने के लिये मेरठ की एक फर्म, मेसर्स बी० डी० गुप्ता ब्रादर्स को ढाई लाख रुपया दिया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---जी हां । मेरठ में हस्तिनापुर चीनी मिल के निर्माण के हेतु इस फर्म को २ लाख५० हजार रुपये का ऋण २३ मार्च, १९५९ को दिया गया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---इस रुपये की जमानत में उन्होंने जो सम्पत्ति दी है और जो कागजात दिखाये हैं क्या उनको सरकार ने देख लिया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां ।

श्री ऊदल---क्या सरकार को पता है कि मेसर्स बी० डी० गुप्ता और उनके ६ भाइयों ने सरकार के सामने जाली कागजात पेश किये और जो जायदाद उन्होंने जमानत में दी वह पहले भी रखी जा चुकी थी और उन्होंने धोखा देकर यह रुपया ले लिया और कोई शुगर मिल नहीं खोली ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह सही है कि मिल नहीं खोली और इससे अधिक बताना जनहित में नहीं होगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी चल रही हैं ।

श्री अध्यक्ष---क्या किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मुकदमा नहीं चल रहा है, पर जनहित में यह भी बताना ठीक नहीं होगा कि क्या चल रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या गबन को छिपाना जनहित में है ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या चीनी मिल बनना शुरू हो गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस सरकार को आशा नहीं है कि यह फर्म वहां चीनी मिल बना सकेगी । यह आशा हमने छोड़ दी है । कुछ और बात चल रही है, देखिये क्या नतीजा निकलता है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि सिक्योरिटी में आये कागजों का निरीक्षण किस अफसर ने किया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस संबंध में कुछ भी बात बता सकना उचित नहीं प्रतीत होता है । नीचे से लेकर ऊपर तक कई अधिकारी जांच करते हैं ।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी ने स्वयं जांच की थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं ।

जौनपुर में दो लाशों का मिलना

****८---श्री राजनारायण**---क्या सरकार को पता है कि गत २६ मार्च, को जौनपुर शहर में गोमती नदी में किसी की लाश पाई गई थी ?

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां ।

****९---श्री राजनारायण**---क्या सरकार को पता है कि गत २८ मार्च, सन् १९६० को जौनपुर में पुनः एक नवयुवक की लाश तेलिया के पोखरे के पास ईख के खेत में पाई गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । दिनांक २८/२९ मार्च, सन् १९६० की रात्रि में ईख के खेत में एक लाश पड़ी मिली थी ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट बतावेगी कि २६ मार्च को जो लाश मिली उसकी सूचना किसने और किसको दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---राम औतार मल्लाह ने लिखित सूचना थाना कोतवाली में २५ मार्च को दी कि उसका भाई रामराज अन्य दो व्यक्तियों के साथ, जिनके नाम उसने बताये थे, सरपत लाने के लिये अपनी नाव पर गया था ।

श्री राजनारायण---लाश की सूचना किसने दी और उसके बाद कोई पुलिस अधिकारी वहां गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री ऊदल---इस लाश का पोस्ट-मार्टम भी कराया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

श्री ऊदल---उससे क्या नतीजा निकला है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---रिपोर्ट में यह लिखा था कि डूबने से उनकी मृत्यु हो सकती है और आमाशय से शराब की गन्ध आ रही थी । कैमिकल एग्जामिनर की भी राय यही थी । उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और सम्भव है कि शराब के नशे में डूबने से मृत्यु हुई हो । अब उसकी जांच सर्किल इंस्पेक्टर कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण---क्या जौनपुर के नागरिकों ने पुलिस अधिकारियों की भर्त्सना करते हुये कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास भेजा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा मुझे स्मरण नहीं है । मेरे पास आवेदन-पत्र नहीं आया ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---जौनपुर ड्राई जिला है तो क्या पुलिस ने इसका पता लगाया कि उसने शराब कहां से पाई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---इस सम्बन्ध में जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये क्या उनके छोड़ने पर वहां की जनता ने प्रदर्शन किया और पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध नारे लगाये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में कितनी गिरफ्तारियां हुईं और वे व्यक्ति आज जेल में बन्द हैं या छोड़ दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस घटना की जांच सर्किल इंस्पेक्टर कर रहे हैं। २६ मार्च का ही तो यह मामला है । राम राज ने यह रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई किफायत और नारायण, दो आदमियों के साथ सरपत लेने के लिये गया था । इसकी और जांच पड़ताल की गई तो किफायत और नारायण ने यह बयान दिया कि हम लोग गये थे, वहां हम सब ने शराब पी, जो आदमी मरा है उसने ज्यादा शराब पी थी । जब लौट कर आ रहे थे तो एक जगह जोर की हवा से नाव डगमगाई, वह खड़ा हुआ था, पानी में गिर गया और डूब गया । पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु डूबने से हो सकती है, उसके आमाशय से शराब की बू आई । फिर उसको रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया, वहां से जो रिपोर्ट आई उसमें है कि उसके बदन पर कोई चोट नहीं है, डूबने से मृत्यु हो सकती है, आमाशय से शराब की गंध आई । पूरी रिपोर्ट वहां से आना बाकी है । इसमें अभी एक इंस्पेक्टर जांच कर रहा है ।

श्री राजनारायण---उसके भाई ने जो रिपोर्ट लिखाई है उस रिपोर्ट में उसने इस बारे में क्या लिखाया है कि उसका भाई किस तारीख को सामान ला रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि उसने २६ तारीख को रिपोर्ट लिखाई कि कल यानी २५ तारीख को हमारा भाई उन दो आदमियों के साथ सरपत लेने गया था और लौट कर नहीं आया ।

सहारनपुर में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा लाउड स्पीकर प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध

****१०---श्री राजनारायण**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री दिनांक २४ मार्च, १९६०, को नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या म्युनिसिपिल बोर्ड, सहारनपुर, द्वारा सोशलिस्ट पार्टी को १७ मार्च, १९६०, के आवेदन-पत्र पर लाउड स्पीकर पर ऐलान करने के लिये निम्नांकित आदेश दिया गया था :---

> "ऐलान में निम्नलिखित बातें कही जायेंगी .....दाम नीति भाषा नीति और शूद्र अधिवासी ६० प्रतिशत जगह दिलाने तथा व्यापार, नौकरी, राजनीति में अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बन्द, इनके अलावा अखलाकी भाषा में हो, इसके सिवाय कुछ नहीं कहा जायगा ?"

यदि हां, तो सरकार ने इस अवैधानिक प्रतिबन्ध लगाने पर उपर्युक्त म्युनिसिपलबोर्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा---ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की इजाजत देने का अधिकार byelaws के अनुसार नगरपालिका को है और नगरपालिका राजनैतिक व अन्य मीटिंगों के लिये स्वयं निश्चय करके इजाजत देती है । सरकार की इस विषय में कोई जिम्मेदारी

नहीं है और नगरपालिका के स्वतंत्र संस्था होने के नाते उनके विरुद्ध कोई कार्यवाई करने या उनको शासकीय आदेश भेजना भी सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि म्युनिसिपैलिटी के एक्जीक्यूटिव आफिसर द्वारा क्या इस प्रकार प्रतिबंध लगाना वैध है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप कानूनी सवाल पूछ रहे है, फैक्ट्स के बारे में पूछिये ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, उनके पार्टी के आदमियों ने इसी प्रकार से लिख कर इजाजत मांगी थी, उन्होंने उन्हीं चीजों को शाइस्तगी के साथ लिख कर इजाजत दे दीं । जिसकी इजाजत मांगी, उसी को इजाजत उन्होंने दे दी, इसमें कोई अवैधानिक बात नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष---वे कहते हैं कि जो मांगा गया वही शाइस्तगी के साथ उनको मिल गया ।

श्री राजनारायण---उस आदेश पत्र में लिखा गया है कि उसके अलावा और न कहा जाय तो क्या इतना काफी नहीं था कि जो तुम्हारी मांग है उसके मुताबिक आज्ञा दी जाती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, शायद उनको यह खतरा मालूम हुआ हो कि न मालूम क्या-क्या कहें क्योंकि यह तो कानून तोड़ने वाली पार्टी है न ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार, इस बात को देखते हुये कि इस प्रकार के आदेशों से हमारे नागरिक अधिकारों का हनन होता है, प्रान्त की नगरपालिकाओं को यह आदेश देगी कि इस प्रकार प्रतिबंध न लगाये जाने चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप उनको राय दे रहे हैं ।

कानपुर में श्री राजगोपालाचारी की सार्वजनिक सभा में लाउड स्पीकर प्रयोग करने की आज्ञा न देने की शिकायत

**११---कुंवर श्रीपालसिंह, श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि कानपुर कारपोरेशन में दिनांक १ से ५ अप्रैल तक स्वतंत्र पार्टी के नेता श्री राज गोपालाचारी की सार्वजनिक सभा के प्रचार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्र की आज्ञा नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा---इन तारीखों में वार्षिक परीक्षायें चल रही थीं । अतएव यह आदेश थे कि किसी प्रचार के वास्ते शहर के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने की इजाजत न दी जाय । परीक्षार्थियों की पढ़ाई में विघ्न न हो इस कारण यह आदेश उस पूरे समय के लिये लागू थे जिसमें परीक्षा-काल चल रहा था ।

इसी आदेश के आधार पर इस मीटिंग के प्रचार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकी : परन्तु मीटिंग के वास्ते इजाजत दे दी गई थी । क्योंकि मीटिंगों के लियें ऐसी रोक नहीं थी ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश केवल कानपुर जिले के लिये ही था या प्रदेश के बकिया और स्थानों में भी लागू यह आदेश किया गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सरकार ने यह केवल जनरल अधिकार म्युनिसिपलिटीज को दे दिया है कि वे इसको रेगुलेट करें । जहां जिसको समझ में जैसा आता है उस तरह से वे उसे जनहित में रेगुलेट करते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय कानपुर में यह परमिशन खारिज की गई कि लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी गई, उसी दरमियान तमाम सिनेमा वाले लाउड स्पीकर शहर में बराबर बजाते रहे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि और महानगरों जैसे वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ वगैरह में भी परीक्षायें चल रही थीं और वहां पर इजाजत दी गई, तो क्या कारण है कि कानपुर में वह इजाजत रोक दी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह तो हर एक के डिस्क्रिशन की बात है । जो जहां चाहें इजाजत दें, जहां चाहें प्रतिबन्ध लगावें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या यह सही है कि सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज के लिये जो उप-नियम पास किये हैं, उसमें उसने उनको इजाजत दे रखी है कि वे चाहें तो एक सीमा के अन्दर ही लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---नियंत्रण में जो चीजें आती हैं वे सब इसके अन्दर हैं ।

तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[२७ अप्रैल, १९६० के प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३---५---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[४ मई, १९६० के प्रश्न २---४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---[२७ अप्रैल, १९६० के प्रश्न १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७---९---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---[२७ अप्रैल, १९६० के प्रश्न १४---१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१०---११---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---[१ अप्रैल, १९६० के प्रश्न ७०-७१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*१२-१३---**श्री प्रताप सिंह**---[२७ अप्रैल, १९६० के प्रश्न १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१४-१५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१६---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---[१३ अप्रैल, १९६० के प्रश्न ३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*१७---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२३ मार्च, १९६० को प्रश्न ४१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*१८—श्री गनेशचन्द्र काछी—[२७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९-२०—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[२७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बघेल तालाब की भूमि पर शरणार्थियों को बसाने में व्यय

*२१—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तालाब बघेल (जिला बहराइच) में जो जमीन शरणार्थियों के बसाने के लिये ली गई है उसमें :—

(१) कितने एकड़ साल भर पानी में डूबी रहती है,

(२) कितने एकड़ में साल भर कृषि की जा सकती है और

(३) कितने एकड़ में केवल एक फसल (साल भर में) उगाई जा सकती है ?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

(१) .. .. शून्य

(२) .. .. ८६५.८३ एकड़ में

(३) ,, ... ६९३.३१ एकड़ में

*२२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार उपरोक्त पुनर्वास में व्यय हुई रकम का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना का विवरण-पत्र माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६५ पर ।)

राज्य में कोढ़ी अस्पताल तथा इलाहाबाद कोढ़ी अस्पताल को बढ़ाने के लिये धन की मांग

*२३—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने अस्पताल कोढ़ियों तथा अन्धों के हैं जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं या सरकार उनमें सहायता देती है ?

स्वास्थ्य उप-मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—प्रदेश में ३ सरकारी कोढ़ियों के अस्पताल हैं तथा १५ कुष्ट अस्पताल गैर सरकारी है जिनमें सरकार आर्थिक सहायता हर साल अनुदान के रूप में देती है ।

अंधों के लिये अलग से कोई अस्पताल नहीं है ।

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के कोढ़ी अस्पताल ने सरकार से इमारत बढ़ाने के लिये कुछ धन की मांग की है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इलाहाबाद के कोढ़ी अस्पताल ने १९५८ में ४९,५८८.५० रु० की माँग भवन निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से की थी जिसे प्रादेशिक सरकार ने अपनी सिफारिश के साथ उक्त सरकार को भेज दिया था ।

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में गूंगे तथा बहिरों के अस्पतालों की संख्या क्या है और सरकार ने उन्हें किस-किस रूप में १९५९-६० में सहायता दी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में कोई भी गूंगों तथा बहरों का अस्पताल नहीं है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये तीन सरकारी अस्पताल किन-किन जिलों में हैं तथा कितने बेड्स के हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---एक सरकारी अस्पताल तो बहराइच में है जिसमें ६४ बेड्स हैं और दूसरा अस्पताल मेरठ में है जिसमें ४० बेड्स हैं और तीसरा अस्पताल वाराणसी में है जिसमें ४५ बेड्स हैं, इस तरह से कुल १४९ बेड्स हैं।

श्री गेंदासिंह---यह ३ जिले जो कोढ़ी अस्पताल के लिये चुने गये हैं वह किस आधार पर चुने गये हैं और क्या उन जिलों में ज्यादा कोढ़ी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---यह अस्पताल काफी दिन से चल रहे हैं और यह ठीक ही है कि जिस समय वे स्थापित किये गये थे उस वक्त उस क्षेत्र में ऐसे बीमारों की संख्या अधिक रही होगी और इसी लिये वहां इन अस्पतालों की स्थापना की गई थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि सरकारी अस्पतालों में ज्यादा सहायता दी जाती है और गैर सरकारी अस्पतालों में केवल १२ रुपया साल ही फी कोढ़ी दिया जाता है ? और कुल कितना अनुदान उन को दिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---मैंने अभी बताया कि हमारे सूबे में १५ गैर सरकारी कोढ़ी अस्पताल हैं, इन सब अस्पतालों को २,६२,००२ रुपया वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मैंने पूछा था श्रीमन् कि फी कोढ़ी कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---फी कोढ़ी का हिसाब मेरे पास नहीं है। यदि आप नोटिस देंगे तो हिसाब लगाकर बता दिया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---सूबे के इन १५ गैरसरकारी अस्पतालों में कितने बेड्स कोढ़ियों के लिये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---१५ गैर सरकारी अस्पतालों में कुल १३६२ बेड्स हैं।

श्री ऊदल---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि कोढ़ियों की बड़ी संख्या को देखते हुये क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि प्रदेश में और सरकारी अस्पताल खोले जायं।

श्री बलदेवसिंह आर्य---अभी ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गूंगे बहरों के स्कूल हैं कि जिन को सरकार सहायता देती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

पागलखानों में रोगी

*२६---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सरकारी पागलखानों में इस वर्ष के आरम्भ में स्त्री व पुरुष पागलों की कितनी-कितनी संख्या थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--प्रदेश के शासकीय मानसिक चिकित्सालयों में इस वर्ष के आरम्भ में (यानी १-१-१९५९ को) स्त्री व पुरुष रोगियों की संख्या निम्न प्रकार थी :

मानसिक चिकित्सालय	पुरुष	स्त्री	योग
आगरा	४६२	१९१	६५३
बरेली	२८९	१०९	३९८
वाराणसी	२४३	२८	२७१
योग ..	९९४	३२८	१,३२२

*२७--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पागलों में किन-किन जिलों के लोगों की संख्या अधिक है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--(क) मानसिक चिकित्सालय, आगरा में निम्न जिलों से रोगी अधिक आये और उनकी संख्या प्रत्येक जिले के नाम के सामने दी गई है। शेष जिलों के रोगियों की संख्या ५ अथवा ५ से कम थी :

आगरा	१६४	मैनपुरी	१३
वाराणसी	४१	फैजाबाद	१२
देहली	३७	मुजफ्फरनगर	११
लखनऊ	३६	देहरादून	११
मेरठ	३३	अज्ञात	९
कानपुर	२७	बुलन्दशहर	९
अलीगढ़	२७	मिर्जापुर	८
इलाहाबाद	२७	फर्रुखाबाद	६
मथुरा	२४	बस्ती	६
झांसी	१८	रायबरेली	६
एटा	१८	रांची	८
बांदा	१४		

(ख) मानसिक चिकित्सालय, बरेली में निम्न जिलों से रोगी अधिक आये और उनकी संख्या हर जिले के नाम के सामने दी गई है। शेष जिलों के रोगियों की संख्या ५ अथवा ५ से कम थी :

बरेली	८८	देहरादून	१२
अल्मोड़ा	४२	गोरखपुर	११
लखनऊ	३६	बदायूं	९
मुरादाबाद ..	३०	रामपुर	९
सहारनपुर	२२	गोंडा	८
गढ़वाल	१६	वाराणसी	७
नैनीताल	१५	बिजनौर	८
शाहजहांपुर	१३	आजमगढ़	७

(ग) मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में निम्न जिलों से अपराधी रोगी अधिक आये और उनकी संख्या प्रत्येक जिले के सामने दी गई है। शेष जिलों के रोगियों की संख्या ५ अथवा ५ से कम थी। मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में केवल अपराधी मानसिक रोगियों की भरती तथा चिकित्सा होती है :

कानपुर ..	..	११	फैजाबाद ..	..	७
उन्नाव ..	..	१०	जौनपुर ..	..	७
गोंडा ..	..	१०	बदायूं ..	..	७
मेरठ ..	..	१०	लखनऊ ..	..	६
बस्ती ..	..	८	आजमगढ़ ..	..	६
इलाहाबाद ..	..	८	प्रतापगढ़ ..	..	६
सीतापुर ..	..	८	बाराबंकी ..	..	६
आगरा ..	..	८	इटावा ..	..	६
फर्रुखाबाद ..	..	७	बलिया ..	..	६
शाहजहांपुर ..	..	७	रायबरेली ..	..	६

श्री अध्यक्ष---मेरा खयाल यह है कि मैं एक दफा पहले भी कह चुका हूं कि ब्यौरे का कोई सवाल पूछा जाय, तो माननीय मंत्री एक अलहदा स्टेटमेंट उसके साथ दे दिया करें क्योंकि सब की दिलचस्पी तो ब्यौरा सुनने में होगी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आगरे में इतने अधिक पागल होने के क्या कारण हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी जब उसने प्रत्येक नगर तथा जिलों के पागलों के संबंध में अध्ययन करने का कष्ट किया तो फिर अपने प्रान्त में किस जिले में पागलों की संख्या अधिक है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अभी मैंने जो लिस्ट पढ़ी उससे माननीय सदस्य को पता लग गया होगा कि किस जिले में पागलों की संख्या अधिक है।

पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद मैनपुरी सेशन अदालत से एक मुकदमे में सजा

*२८---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५६ व १९५७ में ऐसे कितने सेशन के केसों में सेशन अदालतों से सजा हुई है कि जिनमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी और उसके बाद इस्तगासे पर चलाये गये थे?

श्री बलदेवसिंह आर्य---एक।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलायेगी कि एक मुकदमा ऐसा है जिसका पुलिस ने चालान किया था और बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और फिर वही मुकदमा इस्तगासे पर चलाया गया तो सजा हो गयी, तो पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने के कौन-कौन से कारण थे?

श्री बलदेवसिंह आर्य---फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण पुलिस ने यह बतलाया कि जिनके नाम लिखे गये हैं फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में वे सही नहीं हैं, इसलिये उसने फाइनल रिपोर्ट लगाई।

श्री ऊदल--क्या यह सही है कि जिनके नामों के संबंध में पुलिस ने बतलाया कि सही नहीं हैं लेकिन व्यक्तिगत जब इस्तगासा दायर हुआ था तो उन्हीं लोगों पर दायर हुआ था?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, उनमें से दो व्यक्ति वही हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--ऐसे मामलों में जिनमें बाद में कंप्लेंट करने पर उन्हीं लोगों को सजा हुई जिनको पहले छोड़ दिया गया था पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, करेक्टर रोल में कोई एंट्री हुई या कोई सजा दी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी उसकी सूचना मेरे पास नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है।

गोंडा जिले में टेस्ट वर्क के सहायक खजांचियों का वेतन सम्बन्धी मुक़दमा

*२९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५०-५१ तथा ५१-५२ में गोंडा जिले में हुए टेस्ट वर्क के कार्य में खजान्चियों और सहायक खजान्चियों की नियुक्तियां हुई थीं ? यदि हां, तो उक्त दोनों पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या थी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--गोंडा जिले में टेस्ट वर्क्स के लिये प्रश्न में उल्लिखित अवधि में केवल २ सहायक खजान्चियों की नियुक्ति हुई थी।

*३०--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या यह सत्य है कि उक्त खजान्चियों और सहायक खजान्चियों के वेतन का प्रश्न विवादग्रस्त था और सहायक खचान्चियों ने मामले को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--यह सत्य है कि सहायक खजान्चियों ने अपने वेतन के लिये न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था।

*३१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री न्यायालय में प्रस्तुत मामले में हुये निर्णय को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--इस मामले में वादी तथा प्रतिवादी में समझौता हो गया था तथा उसी के आधार पर न्यायालय ने वादियों के पक्ष में १९७ रु० की डिग्री दी थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहायक खजान्चियों को न्यायालय में वाद क्यों प्रस्तुत करना पड़ा ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, फेमिन कोड की धारा २४ के अनुसार खजान्चियों का वेतन ४० रुपये प्रति मास नियत था परन्तु ये सहायक खजान्ची ४० रुपया प्रति मास लेने के लिये तैयार नहीं थे और यह कहते थे कि ६० रुपया प्रति मास वेतन और २५ रुपया महंगाई भत्ता उनको मिलना चाहिये। साथ ही कुछ इस बात में भी विवाद था कि वे जितने काल तक कहते थे कि उन्होंने कार्य किया अधिकारी उसको नहीं मानते थे। अतएव उनको अदालत में जाना पड़ा और अन्त में उन्होंने ४० रुपया मासिक वेतन लेना स्वीकार कर लिया और अधिकारियों ने जितनी अवधि वह काम करने की बात बताते थे उसको मान लिया। इस प्रकार १९७ रुपये की डिग्री हुई और वह दे दी गयी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—राज्य के प्रति न्यायालयों में पहुंचने वाले मामलों की संख्या तथा न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के कारण जनता में जो विचार राज्य के प्रति बन रहा है वह ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिससे संबंधित अधिकारीगण अधिक सतर्क रहें ?

श्री अध्यक्ष—यह सुझाव आप मंत्री जी के पास भेज दीजिये, यह प्रश्न नहीं है।

गोरखपुर जिले में लेखपाल उम्मीदवार

*३२—**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसील में कितने लेखपाल ऐसे नियुक्त हैं जिन्होंने लेखपाल स्कूल से परीक्षा पास नहीं की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील फरेन्दा में १ और महराजगंज में ६, शेष तहसीलों में ऐसा कोई लेखपाल नहीं।

*३३—**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसील में कुल कितने लेखपाल उम्मेदवार वेटिंग लिस्ट में हैं जिनको अब तक काम नहीं दिया गया है ? उनमें कितने ऐसे लेखपाल हैं जो लेखपाल स्कूल से परीक्षा पास हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लेखपाल उम्मीदवार दो प्रकार के होते हैं। (१) भूतपूर्व पटवारी, तथा (२) बाहरी। जहां तक भूतपूर्व पटवारी उम्मीदवारों का प्रश्न है उनमें से सदर तहसील में १४, बांसगांव में ११, महराजगंज में ४५ तथा फरेन्दा में १५ ऐसे हैं जिनको अब तक काम नहीं दिया जा सका। बाहरी उम्मीदवारों की सूची जिलेवार रखी गयी है, तहसीलवार नहीं। अतः उनकी तहसीलवार संख्या का प्रश्न नहीं उठता। जिले में कुल ६१ बाहरी उम्मेदवार ऐसे हैं जिनको अब तक काम नहीं दिया जा सका। ये दोनों प्रकार के उम्मीदवार लेखपाल स्कूल परीक्षा पास हैं।

सगड़ी तहसील कार्यालय से खसरों व फाइलों का गायब होना

*३४—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को यह पता है कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कार्यालय से हाल में खसरे की ३१ Volumes तथा अन्य फाइलें गायब की गई हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—खसरे की ३१ जिल्दें गायब की गयी थीं जो बरामद कर ली गयी हैं। ६ मुकदमों की मिसिलें अन्य कागजों के साथ खिल्त मिल्त हो गयी थीं, अब मिल गयीहैं ?

*३५—**श्री मुक्तिनाथराय**—यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—खसरे की जिल्दें गायब करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया जिसके फलस्वरूप उसे दो वर्ष के कठिन कारावास का दंड मिला है। मिसिलों की अप्राप्यता के लिये दोषी कर्मचारियों में से एक को चेतावनी दी गई तथा दूसरे के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े जुर्म के लिये खाली चेतावनी ही क्यों दी गयी, क्यों नहीं उसे सजा दी गयी और मुअत्तल किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, वह गायब तो थी नहीं। ६ मिसलें रखने में इधर-उधर हो गयीं जिससे देर में मिलीं इसलिये वही सजा दी गयी।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया है और सजा हुई है वह कोई सरकारी व्यक्ति है या गैर-सरकारी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, उसका नाम मेरे पास है लेकिन यह सूचना नहीं है कि वह सरकारी है या गैर सरकारी।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या यह सही है कि तहसीलों में रजिस्ट्रार कानूनगो कार्य की अधिकता के कारण कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं और इन्हीं व्यक्तियों के कारण गड़बड़ी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों की भरती पर रोक लगायेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसी कोई शिकायत अभी तक सरकार के पास नहीं आयी है। यदि माननीय सदस्य कोई शिकायत भेंजे गे तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

शाहगंज तहसील में लेखपालों से अधिक काम लेने की शिकायत

*३६--**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के लेखपालों से इधर प्रायः प्रतिदिन १० बजे दिन से १० बजे रात तक तहसील हेडक्वार्टर पर विभिन्न विभागों का कार्य लिया जा रहा है और उन्हें इस अधिक कार्य के निमित्त किसी प्रकार का भत्ता वगैरह भी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--लेखपालों से निर्धारित समय के बाद काम नहीं लिया जाता।

*३७--**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि उपर्युक्त लेखपालों का वेतन भी ठीक समय पर नहीं दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी नहीं।

*३८--**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त तहसील में कोई इस प्रकार की पंजी है जिसमें लेखपालों की हाजिरी ली जाती हो जिससे मालूम हो सके कि उन्होंने महीने में कितने दिनों तहसील में काम किया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह उत्तर किन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर है ? क्या वह अधिकारी वही हैं जिन्होंने इन लेखपालों से काम लिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी दूसरे विभाग के अधिकारियों से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--सरकार के उत्तर जिलाधीशों की रिपोर्ट पर दिये जाते हैं और यह आशा की जाती है कि जिलाधीश जांच करके रिपोर्ट भेजते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तनख्वाहें दी जाती हैं यह महीने की किन तारीखों को दी जाती हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलने की जो तारीख निश्चित है वही सर्वत्र लागू है परन्तु अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार तहसीलदार कोई तारीख रख लेते हैं और लेखपाल जिस दिन आया करते हैं उसी दिन उनको तनख्वाह दी जाती है ।

कमिश्नर गोरखपुर के सुझाव

*३९---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कमिश्नर गोरखपुर का दौरा टेढ़ीघाट में जनवरी सन् १९६० में हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार उनके दौरे की रिपोर्ट की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---जी हां।

कमिश्नर के दौरे की रिपोर्ट की एक नकल सदन की मेज पर रखी है।

*४०---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या न्याय मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि कमिश्नर गोरखपुर के सुझाव को कहां तक कार्यान्वित किया गया है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कमिश्नर के सुझावों की पूर्ति के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसकी भी एक नकल सदन की मेज पर रखी है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कमिश्नर महोदय ने जंगली जानवरों से किनारे के खेतों की फसलों को बरबाद होने से रोकने के लिये सुझाव दिया है कि जंगली जानवरों और गाय बछड़ों को पकड़ने का ठेका गांव सभाओं को दिया जाय और किसानों को सहूलियत दी जाय ताकि वह अपनी फसल बचा सकें ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां, ऐसा सुझाव दिया गया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---इस सुझाव को कार्यान्वित करने में सरकार को क्या दिक्कत पड़ रही है ? इस सुझाव को जल्द कार्यान्वित किया जाय ताकि उनकी फसलें बच सकें ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---यह सुझाव वन विभाग के अधिकारियों के पास आवश्यक कार्यवाही और विचार के लिये भेज दिया गया है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कमिश्नर साहब ने बहने वाले नालों पर पुलियां बांध कर सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों को बढ़ाने के लिये कोई सुझाव दिया है? यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---इसके लिये योजना बन चुकी है। वह अभावग्रस्त क्षेत्र रहा है जहां पर टेस्ट वर्क चालू होने का निश्चय हुआ है और कुछ काम चालू हुआ है। आगामी वर्ष में पहली अप्रैल के बाद आगे काम चालू होगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो सुझाव उन्होंने दिया है उसको छोड़ कर वहां बड़ी-बड़ी नदियों का सर्वे करने लग गये हैं जिसमें बहुत ज्यादा रुपया खर्च होगा और ये सुझाव कंडेम हो जायगा। इसलिये ऐसा न करके जिन नालों के लिये कमिश्नर साहब ने अलग से सुझाव दिया है उनका सर्वे कराकर सरकार सिंचाई का बन्दोबस्त करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, सरकार को यह सूचना है कि जिस सुझाव को कमिश्नर ने दिया है उसी के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

---

*नकल छापी नहीं गई।

*४१-४२---श्री प्रतापसिंह---[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४३---श्री राजनारायण---[हटा दिया गया ।]

लेखपालों को महंगाई भत्ता देने का कथित आदेश

*४४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७ का १०० रु० से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को २५ रु० मासिक मंहगाई भत्ता देने का आदेश लेखपालों पर लागू है कि नहीं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सन् १९४७ में इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था, जिससे इसके लेखपालों पर लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त उस समय लेखपाल नहीं बल्कि पटवारी थे। उस वर्ष यह आदेश अवश्य जारी हुआ था कि ५० रुपया तक मासिक वेतन पाने वाले पटवारियों को उनके वेतन के २५ प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिलेगा । यह आदेश पटवारियों पर लागू था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस आदेश को लेखपालों पर लागू न करने के कारण क्या हैं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, उत्तर दिया गया है कि १९४७ में ऐसा कोई आदेश नहीं था। उस समय पटवारी थे, लेखपाल नहीं थे।

*४५-४६---**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले में खरीफ की लगान में छूट

*४७---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अकबरपुर तहसील तथा पूरे फैजाबाद जिले में गत खरीफ में सूखे से कितने आने फसल का नुकसान हुआ है और छूट किस हिसाब से दी जा रही है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---पिछली खरीफ में जिला फैजाबाद की अकबरपुर तहसील तथा पूरे जिले में क्रमशः ९०८ ग्रामों और २,८५६ ग्रामों में सूखे से रुपये में ८ आना या उससे अधिक की क्षति पहुंची है शेष ग्रामों में कोई क्षति नहीं हुई । तहसील अकबरपुर के उक्त ग्रामों में मालगुजारी तथा लगान में क्रमशः ४,८१,३०४ रु० ४७ नये पैसे और २,२२५ रु० ०९ नये पैसे की छूट, और पूरे जिले के उक्त ग्रामों में मालगुजारी व लगान में क्रमशः १४,७०,२२५ रु० ८४ नये पैसे और ११,६१९ रु० ८१ नये पैसे की छूट देने का प्रस्ताव है।

श्री ऊदल---क्या माननीय राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि इतनी रकम पूरे फैजाबाद जिले में देने को है, लेकिन अकबरपुर तहसील में लेखपालों को खसरे की कोई कापी नहीं बांटी गई, तो कैसे अन्दाजा कर लिया गया कि इतना नुकसान हुआ है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं कि कापी नहीं बांटी गई, इसकी सूचना पहले से नहीं थी। इसकी सूचना चाहिये।

श्री ऊदल---क्या माननीय राजस्व मन्त्री मेरी बात को सूचना मान कर इसकी जांच करवायेंगे कि वहां पर खसरे का फार्म बांटा गया या नहीं बांटा गया?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी है कि जो अनुमान आया हुआ है यह गलत है या गलत तथ्य पर आधारित है । इसलिये कोई जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

राजकीय चिकित्सालयों के कम्पाउण्डर्स

*४८---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में कितने कम्पाउन्डर कार्य कर रहे हैं? उनमें कितने ट्रेन्ड हैं और कितने अनट्रेन्ड हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वांछित सूचना इस प्रकार है---

चिकित्सा प्रणाली		कुल कम्पाउन्डर	ट्रेण्ड	अनट्रेण्ड
एलोपैथिक	..	१,०२७	८५७	१७०
आयुर्वेदिक तथा यूनानी	..	६००	..	६००

श्री भजनलाल---क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक में एक हजार सत्ताइस में आठ सौ सत्तावन ट्रेण्ड और आयुर्वेदिक में छः सौ कम्पाउन्डरों में एक भी ट्रेण्ड नहीं है, इसका कारण क्या है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---आयुर्वेद के ६०० कम्पाउन्डर मैंने बताये कि अनट्रेण्ड हैं। उनको अभी तक ट्रेण्ड नहीं माना गया है। उनकी जो योग्यता है जब तक सरकार उसको ट्रेण्ड न मान ले तब तक अनट्रेण्ड ही समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---यानी वैसे वे ट्रेण्ड हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य---उन्होंने सहायक वैद्य का कोर्स कर लिया है, लेकिन सरकार ने ट्रेण्ड की मान्यता नहीं दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि यह जो विषमता है और विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है कि जो लोग सहायक वैद्य के रूप से ट्रेण्ड हैं उनको रिकगनाइज नहीं किया गया है इसका क्या कारण है और क्या उनको ट्रेण्ड मानने के लिये सरकार प्रस्ताव कर रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है कि उनको ट्रेण्ड माना जाय और विस्तार से उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक जिन्हें सरकार ट्रेण्ड कम्पाउन्डर मानती है, यह ट्रेण्ड किनको मानती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जिन कम्पाउन्डर्स ने बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग हासिल की है और जिनके पास, पास करने का सार्टिफिकेट है उन्हीं को ट्रेण्ड मानती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि सैकड़ों कम्पाउन्डर आयुर्वेदिक अस्पतालों में हैं, उनको इसलिए ट्रेण्ड नहीं माना है कि उनको अभी तक अस्थायी रखा गया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो कोई कारण नहीं है कि वह अभी तक अस्थायी हैं इसलिए अनट्रेण्ड माना गया है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसे आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर्स जो दस वर्ष तक सेवा कर चुके हों उनको ट्रेण्ड मान ले?

श्री अध्यक्ष---वह तो सभी को मानने को कह रहे हैं। वे जो सहायक परीक्षा पास हैं उन सबको मान्यता वह देने वाले हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मान लेंगे? यह मेरा स्पष्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---यह दूसरा प्रश्न है। वह पहले जो जवाब दे चुके हैं उससे नहीं उठता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जिस समय इन लोगों को नियुक्त किया गया था अनट्रेण्ड लोगों को इन स्थानों पर क्या उस समय कोई रिलैक्सेशन्स किये गए थे सर्विस कंडीशन में कि ट्रेण्ड न रखे जायं बल्कि अनट्रेण्ड रखे जायं?

श्री बल्देवसिंह आर्य---सन् १९५६ से पहले अनट्रेण्ड कम्पाउन्डर्स अस्पतालों में नियुक्त होते थे लेकिन जुलाई सन् ५६ से यह आदेश कर दिया गया है कि कोई भी अनट्रेण्ड न रखा जाय, तो यह पहले के अनट्रेण्ड हैं। इन लोगों के लिए यह सुविधा है कि वह ६ महीने का रिफ्रेशर कोर्स करें तो उनको ट्रेण्ड मान लिया जायगा और वह धीरे-धीरे कर रहे हैं।

लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर का कागजों का बक्स गायब होना

*४९---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९५८ में लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर के दौरे के समय कमिश्नरी का सरकारी जरूरी कागजों का एक बक्स रेलगाड़ी के थर्ड क्लास के डिब्बे से चोरी चला गया था? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह बक्स किसके चार्ज में था और उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की गई?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां, लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर के दौरे के समय सरकारी गुप्त कागजों का एक बक्स, जब वह उनके स्टेनोग्राफर के साथ रेलगाड़ी के डिब्बे में लखनऊ लाया जा रहा था, लखनऊ स्टेशन पहुंचने पर गायब पाया गया। इस सम्बन्ध में उनके स्टेनोग्राफर के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रखी गयी और विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई।

*५०---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास ऐसी भी सूचना है कि उक्त बक्स की चोरी किसी कर्मचारी ने दो हजार रुपये रिश्वत लेकर कराई थी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---इस सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई कि इस बक्स की चोरी किसी कर्मचारी ने २ हजार रुपये रिश्वत लेकर कराई। एक प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में सरकार के पास आया था, जिसे गलत नाम का (pseudonymous) पाया गया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच सी० आई० डी० पुलिस के द्वारा भी कराई गई थी और सी० आई० डी० ने यह सिफारिश की थी कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय, लेकिन केवल चेतावनी देकर ही क्यों उसे छोड़ दिया गया, और क्या जांच के पहले उसे मुअत्तल भी किया गया था?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, कई प्रश्न एक साथ होंगे?

श्री अध्यक्ष---आप एक-एक सवाल करें, यह ज्यादा अच्छा है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चोरी की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई गई थी और सी० आई० डी० ने यह सिफारिश की थी कि उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सी० आई० डी० द्वारा जांच जरूर कराई गई थी । सी० आई० डी० ने क्या सिफारिश की थी उसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारी को जांच के पहले मुअत्तल किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, जब तक यह निश्चित न हो जाय क्योंकि वह फाइल संदिग्ध अवस्था में गायब हुई थी और स्टेशन पर खुद कमिश्नर साहब के डिब्बे में ही रखी गई थी, लेकिन लखनऊ आने पर नहीं मिली, तो जिस वक्त में कि स्टेनोग्राफर नहीं था, उस वक्त में वह गायब हुई थी, इसलिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता था कि उसकी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन सारी परिस्थितियों में जब सी० आई० डी० ने जांच की तो सिवाय उसके और किसी की जिम्मेदारी नहीं साबित हुई।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कांफिडेंशियल फाइल किस सम्बन्ध की थी और केवल चेतावनी देना ही एक कांफिडेंशियल फाइल के चोरी हो जाने की पर्याप्त सजा क्यों समझी गई?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, वह फाइल तो जरूर गुप्त कागजों की थी लेकिन ऐसे कोई कागज उसमें नहीं थे जिनकी वजह से जो सजा दी गई उससे अधिक सजा देने की बात होती, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वह गायब हुई थी उसको देखते हुए और २२ वर्ष की उसकी सेवाओं को देखते हुए जिसमें कभी उसको टोकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इन सब बातों को देखते हुए जो दंड उचित था वही दिया गया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कर्मचारी के विरुद्ध इस प्रकार की भी शिकायतें हैं कि वह पी० ए० टू दी कमिश्नर के नाम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है, और प्राइवेट टेलीफोनों से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लखीमपुर-खीरी के पास कमिश्नर के कथित आदेश के आधार पर सूचना भेजता है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, यह प्रश्न इससे उठता नहीं प्रतीत होता है। इसलिए इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

प्रधान, गांव सभा, कमलसागर का प्रार्थना-पत्र

*५१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान, गांव सभा, कमलसागर, पो० रामपुर, जिला आजमगढ़ का १०-११-५९ का भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र कमलसागर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बढ़ाने हेतु उपसचिव, स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। इस सम्बन्ध में आख्या मांगी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह आख्या किस अधिकारी से मांगी गई है और कब तक आ जाने की सम्भावना है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह आख्या डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद से २९, फरवरी १९६० को मांगी गई है।

झांसी तहसील कार्यालय के क्लर्क

*५२---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि झांसी तहसील के दफ्तर में सन् १९४७ में कितने क्लर्क अस्थायी व स्थायी थे तथा सन् १९४७ से १९५९ तक बढ़ने वाले काम के अनुपात से उनमें कितनी वृद्धि की गई है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--झांसी तहसील के दफ्तर में सन १९४७ में ८ स्थायी क्लर्क थे। उस समय से अब तक बढ़ने वाले कार्य के अनुपातानुसार सन् १९४७ की संख्या में ११ अस्थायी क्लर्कों की वृद्धि की गयी और इस प्रकार अब ८ स्थायी तथा ११ अस्थायी क्लर्क कार्य कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जबकि काम इतना बढ़ गया है कि ११ क्लर्क अस्थायी रूप से सन् १९४७ से निरन्तर काम कर रहे हैं तो उनको मुस्तकिल न किये जाने का क्या कारण है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, सन् १९४७ से ११ अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ऐसा उत्तर मैंने नहीं दिया लेकिन इस समय जो काम कर रहे हैं वह ११ अस्थायी हैं। जिन विभागों में इन में से १० अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे भी अस्थायी हैं। जब वह विभाग ही अभी अस्थायी रूप से है तो इसलिये सभी कर्मचारी भी अस्थायी हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह प्रश्न उठता नहीं है और इसके लिये सूचना की जरूरत है। आप इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था देते तो ठीक था किन्तु मन्त्री जी को यह कहने का अधिकार कहां तक है? मैं समझता हूं यह चेयर पर रिफ्लेक्शन है और माननीय मन्त्री जी का यह कहना अनुचित है।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि "वह चूंकि इसमें शामिल नहीं हैं इसलिये मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, और इसके लिये मुझे सूचना की जरूरत है"। यह पुछल्ला उनके उत्तर में लगा हुआ था, जो न होता तो मैं उनको टोकता।

वाराणसी जिले में चेचक की शिकायत

*५३--**श्री ऊदल**--क्या सरकार को पता है कि वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी में इधर १ महीने से चेचक का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। खासकर मिर्जामुराद थाने के अदालत पंचायत वाराडीह के अन्दर ११-१२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा चोलापुर थाने के सरइयां, गोहपुर, अल्लोपुर व चौबेपुर थाने के जैरामपुर गांव में चेचक की बीमारी बहुत जोरों पर है? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जहां तक सरकार को सूचना मिली है इन स्थानों में चेचक का प्रकोप नहीं है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सूचना सरकार को मिली है, यह कहां से मिली है और किसके द्वारा मिली है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--संचालक, स्वास्थ्य विभाग के यहां से आई है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच वाराणसी के सिविल सर्जन के द्वारा कराई थी या नहीं?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह जांच तो जिले के स्वास्थ्य के अधिकारी ही करते हैं। उन्होंने संचालक स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी है।

*५४-५५--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नर्सिंग आर्डर्लीज की तरक्की के लिए प्रार्थना-पत्र

*५६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास सन् १९५९ तथा १९६० में ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं कि उत्तर प्रदेश के नर्सिंग आर्डर्लीज जो मेडिकल विभाग में सिविल सर्जन के आधीन काम करते हैं उन्हें भी असिस्टेंट नर्स अथवा स्टाफ नर्स के रूप में तरक्की दी जाय? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया किन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं है।

फांसी के कैदियों की मर्सी पेटीशन्स

*५७—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५८ और १९५९ में कुल कितने व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५८ में १२२ तथा १९५९ में १२२ व्यक्तियों को फांसी की सजा का हुक्म न्यायालयों से हुआ।

*५८—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन फांसी की सजा पाने वालों में से कितने व्यक्तियों ने मर्सी पेटिशन सरकार को भेजे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५८ में फांसी की सजा पाये हुये केवल १ व्यक्ति को छोड़ कर सभी व्यक्तियों ने मर्सी पेटीशन सरकार को भेजे।

*५९—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

छिबरामऊ अस्पताल के प्रान्तीयकरण की सिफारिश

*६०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छिबरामऊ अस्पताल के प्रान्तीयकरण किये जाने की अन्तरिम जिला परिषद् फर्रुखाबाद ने सरकार से सिफारिश की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*६१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—अगर हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रस्ताव पर विचार हुआ किन्तु प्रान्तीयकरण की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

*६२—श्री जगन्नाथप्रसाद—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर जिले में लेखपालों के लिए परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार

*६३—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश कानपुर के यहां फरवरी, मार्च, ५९ में कुल कितने प्रार्थना-पत्र लेखपाल ट्रेनिंग के सिलसिले में उम्मीदवारों के आये ? उनमें से कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुल १४६ प्रार्थना-पत्र आये जिनमें से १७ परिगणित जाति तथा २९ पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के थे।

मड़ियाहूं तहसील में खरीफ के लगान में छूट तथा शाहगंज तहसील में चकबन्दी

*६४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत मड़ियाहूं तहसील में १९५९ की खरीफ की सारी फसल अति-सूखा और वृष्टि के कारण नष्ट हो गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। सारी फसल उक्त तहसील के किसी भी गांव में नष्ट नहीं हुई थी ।

*६५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील में खरीफ की फसल को नुकसान हो जाने के कारण किसानों को सन् १९६० में लगान वसूल करते समय कुछ छूट दी गयी है ? यदि हां तो कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस तहसील में मालगुजारी व लगान में क्रमशः ७९,३८४ रु० २९ न० पै० तथा ४७ रु० ७ न० पै० की छूट देने का प्रस्ताव है।

*६६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की शाहगंज तहसील की चकबन्दी पूरी हो गयी या अभी बाकी है ? यदि हां, तो कितने दिनों में पूरी हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शाहगंज तहसील में चकबन्दी का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रायः समाप्त हो जाय।

*६७-६८—श्री जगन्नाथ (जिला बलिया)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६९-७१—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के किसानों पर धारा १०७,३७९ व १४५ के मुकदमे

*७२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कितने किसानों पर देवरिया जिले के अधिकारियों की ओर से भारतीय दण्ड विधान की धारा १०७, ३७९ व १४५ आदि के मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

जलालाबाद तहसील के बरखास्त संग्रह अमीनों की दरख्वास्त

*७३—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में भूतपूर्व कलेक्शन अमीनों को कम वसूली के कारण ३१-१-१९५६ को सेवाओं से मुक्त किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—६ संग्रह अमीन, कम वसूली तथा असन्तोषजनक कार्य के कारण नौकरी से निकाल दिये गये थे (removed from service)।

*७४-श्री हरदयालसिंह—उनमें से कितनों ने सरकार के पास आवेदन-पत्र इस आशय का भेजा था कि उनको पुनः सेवाओं का अवसर दिया जाय क्योंकि उनके साथ अवैधानिकता व्यवहृत की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल २ भूतपूर्व अमीनों ने भूमि व्यवस्था आयुक्त को आवेदन पत्र दिया था।

*७५--श्री हरदयाल सिंह---यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये थे।

फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी विभाग में छटनी

*७६---श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी विभाग में कितने कर्मचारी काम की कमी होने के कारण निकाले गये हैं और उनमें कितने लेखपाल सी क्लर्क तथा चकबन्दी कार्यकर्ता हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---३१ मार्च, १९६० तक फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी विभाग में काम की कमी होने के कारण निकाले गये कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९६६ पर)

जमानियां तहसील कार्यालय में धन का गोलमाल

*७७---श्री राजनारायण---क्या सरकार २६-२-६० के प्रश्न ३९ के उत्तर के क्रम में कृपया यह बतायेगी कि जांच करने पर कितने धन की गड़बड़ी निकली और अब तक जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जांच करने पर अभी तक ५,३१० रु० ७२ न० पै० की धनराशि का कुछ मुख्तारों द्वारा अनधिकृत ढंग से लिये जाने का पता चला है। जांच के परिणाम का पता पुलिस की जांच अथवा मुकदमा समाप्त होने के पश्चात् ही चल सकेगा।

सरैनी परगना में भूमि वितरण

*७८---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १३६५ फसली व सन् १३६६ फसली में डलमऊ तहसील के परगना सरैनी में कितनी भूमि भूमिहीनों को दी गयी और किस-किस गांव में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---परगना सरैनी में भूमिहीनों को १३६५ फसली में ८० बीघा, २ बिस्वा और ११ बिस्वांसी भूमि १४ ग्रामों में, तथा १३६६ फसली में २४ बीघा, ६ बिस्वा और १९ बिस्वांसी भूमि ६ ग्रामों में दी गयीं। ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९६७ पर)

बदायूं जिले में नवीन चिकित्सालय

*७९---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में सन् १९५९-६० में कितने अस्पताल किन-किन देहातों में खोले गये, उनमें से कितनों में केवल कम्पाउन्डर काम करते हैं और कितनों में डाक्टर पहुंच गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५९-६० में बदायूं जिले के ग्राम आसिफपुर में एक एलोपैथिक अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Primary Health Centre) के अन्तर्गत और ग्राम संग्रामपुर में एक यूनानी चिकित्सालय खोले गये हैं। आसिफपुर के अस्पताल को चलाने के लिए एक कम्पाउन्डर की नियुक्ति कर दी गयी है तथा डाक्टर की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। संग्रामपुर के यूनानी चिकित्सालय में हकीम और कम्पाउन्डर की नियुक्ति हो चुकी है।

चांदपार ग्राम सभा के सभापति के विरुद्ध कथित शिकायत

*८०--श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चांदपार, पो० भटनी (देवरिया), के सभापति के विरुद्ध शिकायत १४-७-५९ को परगनाधीश, सलेमपुर को दी गयी थी? यदि हां, तो क्या जांच की गयी और क्या परिणाम निकला?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। १४ जुलाई, १९५९ को कोई शिकायती-पत्र नहीं दिया गया था, अतएव जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहनसिंह, कृषि निरीक्षक, तराई उपनिवेश के बिरुद्ध आरोप

*८१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या न्याय मन्त्री को ज्ञात है कि ९,०१४ रुपया जिलाधीश मेरठ द्वारा गत वित्तीय वर्ष में न्यायालय में किसी सहायक कृषि निरीक्षक को, जो कि तराई उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत पदच्युत था, देने हेतु जमा करने पड़े थे? यदि हां, तो वे कौन से आरोप थे जिनके कारण उक्त अधिकारी पदच्युत किया गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। आरोपों का विवरण, जिनके कारण उक्त कृषि निरीक्षक को पदच्युत किया गया है, संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९६८ पर)

उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर नियमावली, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० पी० ९५/१-सी०--२३-सी०-६०, दिनांक २९ फरवरी, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

वित्त लेखे १९५८-५९ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५९ तथा विनियोग लेखे १९५८-५९ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६०†

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री महमूद अली खां)--मैं वित्त लेखे १९५८-५९ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५९ तथा विनियोग लेखे, १९५८-५९ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायत राज रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--मैं यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति सं० ९८१-प०/३३--२९३-५३, दिनांक १ मार्च, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधन को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर नियमावली, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २९५७/१-स--५५२-सी-५९,

---

† छापे नहीं गये।

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

दिनांक १८ फरवरी, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उत्तर प्रदेश वृत्त जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री महमूद अली खां)---मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति संख्या एस० टी० १३६५/१०---९९०-१९५६, दिनांक १ अप्रैल, १९६० को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

रामायण फाड़ने की घटना के संबंध में श्री भूपकिशोर तथा श्री राजनारायण द्वारा कथित गलत बयानी पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष---कल कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने के लिये मेरे पास नोटिस भेजा था और पालीवाल जी ने यह अपील की थी कि कानून से ऊपर उठ कर प्रश्न हल होना चाहिये क्योंकि विषय बहुत नाजुक है और हमें इसको खत्म ही करना चाहिये और इसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव भी दिया था। तो मैं भूपकिशोर जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं।

†श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में १२ तारीख को ही कह चुका हूं और ११ तारीख को जो कुछ मैंने कहा था उसमें एक चीज गलत छप गयी है। मैंने ग्रन्थ नहीं, पन्ना कहा था। इसको ठीक करा दिया जाय। दूसरे, पायनीयर में एक बात पढ़ कर मुझे बड़ा दुःख हुआ.....

श्री अध्यक्ष---अखबार की बात आप मत कीजिये। अखबार से इस सदन की कार्यवाही ज्यादा महत्व की होती है। आप जबान से जो कुछ कहना चाहते हैं, कहिये। आपने क्या कहा था, यह आप कह सकते हैं, लेकिन अखबार में अगर कुछ छप गया हो तो उससे कोई मतलब नहीं।

श्री भूपकिशोर---श्रीमन्, इस तरह से गलत बातें निकल जाती हैं.....

श्री अध्यक्ष---लेकिन आपको इस समय अखबार से कोई मतलब नहीं होना चाहिये....

श्री भूपकिशोर---लेकिन इससे प्रतिष्ठा की बड़ी हानि होती है, मानहानि होती है। अगर ऐसी बातें बार-बार हमको बदनाम करने के लिये की जायंगी तो मेरी बड़ी बदनामी होगी इस हाउस में।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जो प्रश्न उठाया है उसके ऊपर आपको कुछ कहना हो तो कहिये। कल पालीवाल जी ने एक सुझाव दिया था, उसके अनुसार अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये।

श्री भूपकिशोर---श्रीमन्, मैं परसों कह चुका हूं कि मैंने कोई मानहानि करने की तबियत से नहीं कहा था। मैंने तो, श्रीमन्, जो-जो धारायें शूद्र विरोधी थीं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये कहा था और मैं हमेशा उसकी इज्जत करता हूं और मैं हिन्दू हूं।

---

* छापी नहीं गई।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पालीवाल जी ने कल क्या कहा था उसको आपने सुना और जो कुछ उन्होंने अभी इरशाद फरमाया उसे भी आपने सुना। मेरी रिक्वेस्ट है कि खाली पालीवाल जो जो कह जायं उसी पर आप अपनी राय न कायम करें, हाउस क्या कह रहा है उसको भी आप सुनें और फिर अपनी राय कायम करें, लेकिन हाउस को सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—जब मैं इस प्रश्न को उठाने की इजाजत दूं तभी तो। मैं समझता हूं कि पालीवाल जी आज नहीं हैं और इस प्रश्न को मैं ऐसा नाजुक समझता हूं कि इस विषय में बहुत शान्त वातावरण में विचार होना चाहिये और कानून से उठ कर विचार होना चाहिये। मैं भूपकिशोर जी से यह कहना चाहता हूं कि यह कोई धमकी की बात नहीं है और न कोई दबाव का सवाल है जरा भी, लेकिन कुछ लोगों के हृदय में ठेस पहुंची है यह बात आप मानते हैं। इस विषय में जब मैंने आपको अपने कमरे में बुलाया था और आपने अपना प्रस्तावित बयान पढ़ कर सुनाया भी था कि अगर कुछ लोगों के दिल को दुख हुआ है तो उसके लिये आप खेद प्रकट करते हैं। अगर ऐसा हो तो यह आपका बड़प्पन ही होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें आप पर दबाव से कोई बात कराई जा रही है। अपने साथियों के सामने यह कहने में कोई बुराई नहीं होती।

श्री भूपकिशोर—श्रीमन्, उस समय मैंने आपसे यह कहा था, लेकिन जब अखबार में यह एक चीज निकली है कि जिसमें लिखा गया है कि बिना किसी शर्त के माफी मांगना चाहते हैं तो इससे और ज्यादा क्या बदनामी मेरी होगी? पायनियर अखबार ने यह छापा है।

श्री अध्यक्ष—अखबार के खिलाफ जो कुछ आपको कार्यवाही करनी हो उसके लिये आप शिकायत मेरे पास भेज दें, लेकिन अगर आपका अंतःकरण गवाही दे और जिन लोगों के दिल को ठेस पहुंची है उसके लिये अगर आप समझते हैं कि अपने उन भाइयों के दिल दुखने बन्द हो जायं तो उस उद्देश्य से ही मैं ऐसा करने के लिये आपसे कह रहा हूं। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी ही, ऐसा मैं समझता हूं। आप सोच लीजिए।

श्री भूपकिशोर—श्रीमन्, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूं लेकिन अखबार में एक ऐसी चीज हो गयी है जिससे मेरे दिल पर भी धक्का पहुंचा है.....

श्री अध्यक्ष—ऐसी अवस्था में मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजता हूं यह जानने के लिये कि श्री भूपकिशोर जी ने ११ तारीख को क्या कहा था और कल क्या कहा। केवल इतना ही जानने के लिये मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्री भूपकिशोर जी ने कल क्या कहा था? मैं कल मौजूद था, कल तो पालीवाल जी ने ही कहा था....

श्री अध्यक्ष—आज जो कहा है और परसों जो कहा था, जिसके ऊपर यह प्रश्न उठाया गया। परसों कहा गया और उसके पहले नरसों कहा गया। तो यह देखना होगा कि कौन-सी बात कही गयी, चूंकि मैं मौजूद नहीं था और वह कार्यवाही में है। वह यह कहते हैं कि मैंने अमुक बात नहीं कही, कार्यवाही गलत छपी है.....

श्री भूपकिशोर—श्रीमन्, मैं आक्षेप नहीं करता हूं, वह गलत छप गई होगी।

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने कहा है, गलत छप गयी होगी। तो यही सब जांचने के लिये मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजता हूं। विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं, अभी इसका फैसला नहीं हो रहा है। मुझे यह भी अधिकार है कि कोई

[श्री अध्यक्ष]

सत्य जानने के लिये विशेषाधिकार समिति के पास इन्क्वायरी के लिये किसी प्रश्न को भेज सकूं। पहले जैसे नियम ६७ था, अब मालूम नहीं उस नियम का नम्बर क्या है, संभवतः ८२ है, तो उस नियम के अनुसार मैं इस प्रश्न को समिति के सुपुर्द करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरे बारे में क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—आपके खिलाफ क्या है?

श्री राजनारायण—माननीय श्रीपाल जी ने नोटिस दिया था और जो उन्होंने माननीय भूपकिशोर जी के लिये लिखा है उसी के साथ-साथ हमको भी लिखा है।

श्री अध्यक्ष—क्या आपके खिलाफ भी नोटिस है, आपने तो पढ़ा होगा?

श्री राजनारायण—उसमें हमारा भी नाम है। उस समय यहां उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे। वह कापी हमने उनको दे दी। हमारे पास वह कापी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इन्क्वायरी में यह सब चीजें आ जायेंगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, तो यह भी ले लिया जाय। हमारे ऊपर यह लाञ्छन है। उनके ऊपर हम विशेषाधिकार का प्रश्न उठायेंगे। इसलिये इसको भी ले लिया जाय। मैं तो...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जायं, मैं अधिक चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

मझारा, जिला प्रतापगढ़ में कृषि विभाग द्वारा कथित गैरकानूनी ढंग से किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास यह नियम ५२ की सूचनाएं हैं। इनमें एक तो बहुत महत्व का प्रश्न है और उसमें साथ ही कुछ आक्षेप भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी आफिसर के ऊपर प्रश्न उठाते समय आक्षेप नहीं होना चाहिये। इसमें जहां तक आक्षेप किया गया है, उसको मैं हटा देता हूं, लेकिन जो घटना हुई है उसके सम्बन्ध में कोई वक्तव्य माननीय मंत्री जी देना चाहते हों, सम्बन्धित मंत्री जी, कृपा करके दें। वह घटना यह है—

"ग्राम मझारा, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ में गत ११ अप्रैल, १९६० से १४ गरीब किसान अनशन कर रहे हैं, अनशन करने का कारण यह है कि सरकारी कृषि विभाग ने उनकी १२९ बीघा जमीन पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करने का प्रयत्न किया है, इस प्रश्न ने आज तमाम प्रतापगढ़ जिले में क्षोभ का वातावरण उत्पन्न कर दिया है, अतः मैं आपकी आज्ञा से नियम ५२ के अन्तर्गत निम्नांकित विषय प्रस्तुत कर सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है?"

तो यह ऊपर का जितना हिस्सा है उसी को मैं लेता हूं। बाद का जो विषय है उसमें आक्षेप है, इसलिये आक्षेप वाला विषय जो है उसको मैंने काट दिया है। क्या आप आज ही वक्तव्य दे देंगे?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, सदन में हल्ला बहुत मच रहा है। इसलिये सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—कृपया सदन में लोग शान्ति के साथ सुनें।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ जिले में जिस गांव का इसमें जिक्र है वहां कृषि विभाग ने ८०.८६ एकड़ जमीन रुद्रपाल कुंवरि से खरीदी। इस जमीन की मिल्कियत श्रीमती रुद्रपाल कुंवरि की है, इसमें किसी को कोई वादविवाद नहीं है। जब यह जमीन खरीदी गयी उस समय रजिस्ट्रार के सामने रुद्रपाल कुंवरि स्वयं मौजूद थीं और एक ड्राफ्ट के द्वारा उनकी मौजूदगी में उसका पेमेंट हुआ। इस ८०.८६ एकड़ जमीन में से ४०.८३ एकड़ तो इनके अपने काश्त में है और ४०.०३ एकड़ असामियों के पास है। अब जब जमीन खरीद ली गयी तो वह ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आ गयी और उसकी प्रोप्राइटरशिप हो गयी।

अब यह सवाल है कि जो वहां पर आसामी हैं क्योंकि उनको वहां से हटाया जा रहा है इसलिये उन्होंने अनशन कर दिया है। जहां तक इन असामियों का सम्बन्ध है, उनका कोई अधिकार इस जमीन पर है नहीं। इसलिये उनको उस जमीन पर रहने का अधिकार उस वक्त तक है जब तक इस जमीन की मिल्कियत रानी की है जो कि विधवा हैं। उनको यह भी अधिकार है कि वह कुछ लोगों को उठा दें आज और कल दूसरे को उठा दें, यह नहीं है कि जब तक वह जिन्दा रहेंगी तब तक एक को ही पट्टा मिला रहेगा। वह चाहें तो सेल से या ट्रांस्फर से, या जैसे चाहें वह जमीन चली जायगी। तो यह आदमी अब उस जमीन पर आसामी नहीं रह सकते इसलिये कि इन आदमियों का कोई ऐसा टाइटिल नहीं है कि ये उस वक्त तक रहेंगे ही। यह प्रश्न है इस वक्त इसलिये कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो जमीन खरीदी है वह जिनकी मिल्कियत थी उनसे खरीदी है और उस पर कोई वादविवाद या मतभेद नहीं है। अगर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास न भी आयी होती यह जमीन और कोई दूसरा इसको खरीद लेता या अगर रानी किसी को गिफ्ट में दे दें तब भी वह जमीन इन असामियों के अधिकार में नहीं रहती। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनसे जमीन खरीदी है और वह जमीन लेना चाहती है और रानी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है जिनकी प्रोप्राइटरशिप इस जमीन पर है। अब जो आसामी हैं, कोई वहां पर कब तक रह सकते हैं, उनका क्या अधिकार है? क्यों उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया है, यह प्रश्न है। उनका कोई अधिकार नहीं है इसलिये उनका हंगर स्ट्राइक करना बिल्कुल गलत है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)— क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि रानी रुद्रपाल कुंवरि ने २२ अक्तूबर, १९५८ को जिलाधीश के समक्ष यह बयान दिया था कि उनकी जानकारी में उनकी राय से जमीन नहीं बिकी और न उनको रुपया मिला है और न वह रुपया लेना चाहती हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—रुद्रपाल कुंवरि जी के दो-तीन कागज मेरी फाइल में हैं और दोनों तीनों कन्ट्राडिक्टरी हैं। इसलिये मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अब तक कोई चीज ऐसी नहीं लिख कर दी कि हमारी जमीन जो खरीदी गई है वह गलत है, हम बेचना नहीं चाहते या हमारे साथ फ्राड हुआ है। ऐसी कोई शिकायत गवर्नमेंट के पास उनकी तरफ से आज तक नहीं आई।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीमती रुद्रपाल कुंवरि ने जिलाधीश को यह लिख कर दिया था कि जो जमीन इस समय कृषि विभाग ले रहा है उसमें ३३ काश्तकार उनके पिता के समय से उस जमीन पर काबिज हैं और उन काश्तकारों को वह किसी प्रकार भी उस जमीन से बेदखल नहीं करना चाहतीं?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने निवेदन किया कि मेरे सामने दो-तीन कागज ऐसे हैं जो रुद्रपाल कुंवरि के कन्ट्राडिक्टरी बयान बताये जाते हैं। उसमें एक उनके दस्तखत से मौजूद

[श्री मोहनलाल गौतम]

है और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने का उनका बयान है जो कि प्रमाणित है, ओरीजिनल नहीं है और एक कागज और है ।

श्री अध्यक्ष--तो क्या इस तरह का उनका कोई बयान है ?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसा भी एक कागज है और उसके खिलाफ भी एक कागज है ।

श्री राजनारायण--तो जब सरकार के पास कुंवरि रुद्रपाल जी का यह बयान है जिलाधीश के सामने का, तो सरकार उस बयान को सही क्यों नहीं समझ रही है ?

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि कन्ट्राडिक्टरी बयान भी है ।

श्री राजनारायण--तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से जो यह कहा जा रहा है कि रुद्रपाल कुंवरि का कन्ट्राडिक्टरी बयान है तो जिलाधीश के सामने जो बयान है उसके अतिरिक्त और उन्होंने कहां बयान दिया और उसकी क्या वेलिडिटी (वैधता) है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला अधिकारी के सामने यह मामला पेश हुआ, उनका एक आर्डर मेरे सामने है । उन्होंने अपने दस्तखत से एक हुक्म दिया जिसमें उनको बुलाया गया लेकिन वह नहीं आयीं । बावजूद इसके उन्होंने फैसला दिया कि यह बयनामा सही है, इसमें कोई गल्ती नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या इस जमीन के लेने के पहले उस गांव के जो सरकारी कागजात हैं उनका मुआइना किया गया था कि उस जमीन पर रानी के अलावा शिकमी काश्तकार भी दर्ज थे या नहीं और अगर दर्ज थे तो क्या काश्तकार बेदखल किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने जो पहले निवेदन किया उसको शायद माननीय गेंदा सिंह जी ने सुना नहीं कि यह रुद्रपाल कुंवरि एक बेवा हैं और उनके प्रोप्राइटरी राइट्स को कोई चैलेन्ज नहीं कर रहा है । जब तक विधवा के पास जमीन रहेगी तब तक उसे दूसरों को जमीन उठाने का अधिकार है, यह सभी जानते हैं, लेकिन बेचने के बाद दूसरे का अधिकार आता है । तो उन्होंने जमीन बेचने के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत नहीं की है । उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि मैं जमीन बेचना नहीं चाहती थी या मुझ से फ्राड किया गया या मुझे रुपया नहीं मिला या उसके खरीदने में कोई गलती हुई ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने जो यह जमीन खरीदी तो खरीद करते समय रानी साहबा की तरफ से स्वयं उन्होंने बात की या अन्य किसी व्यक्ति ने ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह तो इस वक्त सूचना नहीं है कि किसने बात शुरू की लेकिन इतनी सूचना मेरे पास है कि जब रजिस्ट्रार के दफ्तर में ये बातें हुईं तो रानी खुद वहां मौजूद थीं ।

श्री अध्यक्ष--वह यह पूछ रहे हैं कि सरकार ने यह बातचीत डायरेक्टली की या किसी आफीसर ने उसकी तरफ से की ।

श्री मोहनलाल गौतम--सरकार तो ऐसी बातचीत नहीं करती । डिस्ट्रिक्ट आफीसर और डिवीजनल आफीसर्स ही उसकी तरफ से बातचीत करते हैं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रानी साहिबा कब बेवा हुई हैं और ये किसान जो उनकी जमीन को जोते हुए हैं वे बेवा होने से पहले से जोते हुये हैं या बाद से ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो ठीक नहीं मालूम है लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उनका कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं है सिवाय इसके कि जो बेग़ा के आसामियों को होता है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--क्या सरकार को इस बात की भी सूचना है कि जिस गांव की यह जमीन है उस गांव में रानी साहिबा की तरफ से खेती करने के प्रबन्ध के सिलसिले में कोई हल या बैल भी रखा हुआ है या उनके नौकर वहां पर रहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी सूचना तो इस वक्त नहीं है लेकिन यह सूचना अवश्य दे देना चाहता हूं कि ४०.८३ एकड़ जमीन रानी साहिबा को खुद काश्त में लिखी हुई है और ४०.०३ एकड़ आसामियों पर है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--सरकार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के समय रानी साहिबा स्वयं मौजूद थीं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन पर हस्ताक्षर भी किये हैं या केवल मौजूद थीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी यह मालूम नहीं है लेकिन अगर मौजूद थीं तो हस्ताक्षर भी किये होंगे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जब यह पत्र दो-तीन माह पूर्व मैंने सरकार के सामने भेजा था तब ऐग्रीकल्चर विभाग के डायरेक्टर साहब मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे यह सूचना दी थी कि रुपया नहीं दिया गया है। परसों भी यही सूचना दी गयी कि रुपया नहीं दिया गया। फिर सरकार कैसे कहती है कि रुपया दे दिया गया और उस रुपये को किसने रिसीव किया ?

श्री मोहनलाल गौतम--रुपया यहां से दे दिया गया है लेकिन अभी यह सूचना नहीं है कि वह रुपया उनको मिल गया या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या और किसी के दफ्तर में है। हमने दे दिया है। किसी वजह से उन्होंने न लिया हो, यह हो सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि श्रीमती रुद्रपाल कुंवरि अंधी हैं और पढ़ी-लिखी नहीं हैं तो जब उनका बयान जिलाधीश के सामने हुआ और उन्होंने कहा कि ये काश्तकार हमारे बाप के जमाने से काबिज हैं, इस बात को प्रामाणिक मानते हुए क्या सरकार फिर से जांच करायेगी और फिर उस पर कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट के सामने एक बयान होना बताया जाता है, उस पर जिला मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिला मैजिस्ट्रेट का आर्डर है उसमें कहा गया है कि मैंने उनको बुलाया लेकिन वे नहीं आयीं और फिर उन्होंने फैसला दिया। फिर रानी साहिबा का दस्तखती एक कागज भी मेरे पास है जिसमें लिखा गया है कि सब ठीक है। अब मेरा निवेदन यह है कि हम कोई कार्यवाही कैसे कर सकते हैं जब तक कि हमारे सामने रानी साहिबा की तरफ से कोई शिकायत इस किस्म की न हो।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष--आपको मंत्री जी ने संकेत दे दिया, आप उसके अनुसार कार्यवाही करें।

श्री राजनारायण--जिला कृषि अधिकारी कैफियत के खाने में कब से नाम लिख रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--अब आप बैठें। यह प्रश्न आपने पहले क्यों नहीं किया ?

प्रदेश में कोयले के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अर्न्गतत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब श्री गौरीशंकर राय द्वारा दिनांक १३ अप्रैल, १९६० को दी गई सूचना पर उत्तर प्रदेश में कोल डिपो के मालिकों द्वारा रुपया न जमा कर सकने के कारण कोयले का कोटा समय से न उठाने से उत्पन्न कोयले की कठिनाई आदि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था कि आयरन ऐन्ड स्टील कंट्रोलर कलकत्ता के यहां से कोई चिट्ठी नहीं आयी, वह बात सही है। एक चिट्ठी ४ तारीख को नहीं बल्कि ५ तारीख को आयी थी जिसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, केवल दो चार शब्द उसमें लिखे हैं जो ये हैं:---

"While appreciating your difficulties regarding supply of coke, it is regretted that no special allotment can be arranged having regard to the present availability of transport in relation to the various pressing needs. However, you are requested to ask the Depot holders in U. P. to advise their supply collieries to place adequate acceptable indents on the Railways in order to ensure prompt supplies and every effort will be made....."

ऐसी दो चार बातें उन्होंने लिखी हैं, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने इसके द्वारा कोई संकेत नहीं किया है कि पैसा नहीं मिलता है, आदि। मगर मालूम होता है कि इस पत्र से माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम-सा हो गया और वह भ्रम यह है कि ४ तारीख को हमारे आयरन ऐन्ड स्टील कंट्रोलर से कोई पत्र गया। साल भर पहले फूड कमिश्नर की तरफ से सब डिप्टी मैजिस्ट्रेट को लिख कर भेजा गया था कि ऐसा पता चलता है और कुछ शिकायतें इस तरह की आयी हैं कि कोल डिपो वाले रुपया जमा नहीं करते हैं, तो उसके लिये उन्हें ताकीद दे दी गयी कि अगर ऐसी बात सही है तो तुरन्त उनके नाम भेजें और उनको इस बात की हिदायत करें कि रुपया किसी का बकाया न रहे। वहां कलकत्ता से कोई पत्र नहीं आया। केवल इतना ही लिखा है रिपोर्ट में कि इस प्रकार का एक आदेश हमारे (PISC) के आफिस की तरफ से ४ अप्रैल को गया था।

माननीय मुख्य मंत्री के पत्र के पश्चात उनको जो रेलवे मिनिस्टर ने उत्तर दिया था उसको मैंने पिछली दफा पढ़ कर सुनाया था और उसकी बाबत कोल कंट्रोलर ने हमारे प्रांविशियल कोल कंट्रोलर के पास एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने यह कहा कि आप डिस्टिनेशन भेज दें कि कहां-कहां कोल भेजना है। इस पर हमने उनको लिख कर भेज दिया कि अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ और बलिया इतनी जगह आप फौरन भेज दें। मगर बावजूद इसके कि उनका यह पत्र था और ४ मार्च को भेजा गया था, हमारा साफ्ट कोक का कोटा जो ५,३०० वैगन्स का होता है उसमें से केवल २,४४१ वैगन्स ही आया, और स्लैक कोक का कोटा जो १४,९९९ वगन्स का होता है, उसमें से केवल १,६०८ वैगन्स ही मिल पाया। इसका पता लगाया गया कि क्यों मूवमेन्ट नहीं हो रहा है तो हमें मालूम हुआ कि उसके तीन कारण थे। उनमें से एक कारण तो यह है कि लेबर ट्रबुल जो हुए उनकी वजह से कोलियरीज से बहुत कम कोयला निकला, दूसरे यह कि गुड्स ट्राफिक के लिये बहुत ज्यादा वैगन्स रेलवे में ही लैग गये और आजकल स्वयं रेलवे को ही कोयले की कमी पड़ रही है जिससे इन्डिविजुअल्स का कोटा रेलवे को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी तरह से जैसा कि मैंने दुर्गापुर, भिलाई के संबंध में भी बतलाया, नये फर्नेसेस बनने की वजह से वहां भी कोयला जा रहा है। तो जो पोजीशन है उससे ऐसा मालूम होता है कि वे दे

रहे हैं मगर हमारे कोटे का एक-चौथाई के बराबर भी नहीं आ रहा है। इससे यह पता चलता है कि जो बात श्री गौरीशंकर राय जी ने साफ्ट कोक के संबंध में कही कि चूंकि डिपो होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया इसलिये साफ्ट कोक के वैगन्स नहीं आ रहे हैं, सही नहीं है क्योंकि स्लेक कोक जो फैक्टरीज के वायलर्स में इस्तेमाल होते हैं उसके लिये तो किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, वह तो सीधे पेमेंट करते हैं, तो उनका भी तो नहीं आ रहा है। कलकत्ता से कोई पत्र हमारे पास नहीं आया बल्कि जनता की शिकायत पर हमने ही खुद नोटिस लिया। वह आयरन ऐन्ड स्टील कंट्रोलर से आया था और उससे पता चला लेकिन हमने अपना इंतजाम कराया था लेकिन अब पता चला है कि मेरठ के कोआपरेटिव किल्न्स के लिये एक गाड़ी आई है। फिर भी हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को कोयला मिल सके।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--जिस पत्र की चर्चा मंत्री जी ने की वह ४-४-६० का है जो श्री टी० एस० मिश्र द्वारा प्राविन्शियल आयरन ऐन्ड स्टील कंट्रोलर की तरफ से लिखा गया था। उसकी दो लाइनें मैं पढ़ दूं, उसमें लिखा है कि :

"It has been reported to this office that certain Coal Depot-holders with-held payment of coal and coke supplied to them, which has resulted in non-movement of the State Quota allotted to them. You are, therefore, requested to report immediately the names of such Coal Depot-holders mentioning clearly the amount due on them on April 1, 1960. Since this information is required urgently, a prompt action on your part would be appreciated."

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा कि वहां से एक पत्र आया था उसके रिफ्रेन्स में यहां के स्टील कंट्रोलर ने यह पत्र ४ तारीख को कोल एजेंट्स में सरकुलेट किया था....

श्री अध्यक्ष--यह तो कहीं नहीं लिखा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने उन्हें चिट्ठी भेजी, वह तो कह रहे हैं कि हमें पब्लिक से रिपोर्ट मिली.. ..

श्री गौरीशंकर राय--मैं जानना चाहता हूं कि १-४-६० तक जो रिपोर्ट मंगाई गई है उसके अनुसार कितने कोल डिपो होल्डर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने रुपया नहीं जमा किया था।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता, आपको तो यह ज्ञात ही है कि वहां से यह आया कि वह पेमेंट नहीं करते हैं और उसी के अनुसार यह पत्र है, इसलिये वह लिखा गया है।

श्री गौरीशंकर राय--यह रिपोर्ट किसने की कि रुपया उन लोगों ने जमा नहीं किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पिछले साल मई में ऐसी शिकायत आई थी और उसी वक्त हिदायत दी थी और लिखा गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूबे के कितने कोल वैगन्स बिहार की कोलियरीज में पहुंचे जो वापस आ गये और इसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--खाली आने का प्रश्न नहीं उठता। जब वैगन्स एलाट करते हैं तभी वे चलते हैं, उसके डिटेल मेरे पास नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री जी ने अपनी ओर से यह जानकारी कराई कि कितना रुपया वसूल होना चाहिये और बाकी है उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने शायद फिगर्स आपको बता दिये, मैंने बता दिया कि साफ्ट कोक कितना रिसीव हुआ, कितना कोटा है और स्टेट का कितना कोटा है, वह सब बता दिया।

श्री अध्यक्ष---उनका प्रश्न यह था कि क्या आपने इन्क्वायरी कराई कि कितनों ने रुपया नहीं दिया है जिसकी वजह से वैगन नहीं आ रहे हैं, तो उस इन्क्वायरी का परिणाम क्या हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी ४-४-६० को तो हमने लेटर इशू किये हैं तमाम जिलों को कि कोल डिपो होल्डर्स ने कितना रुपया नहीं दिया है, उस इत्तला का एकदम से आना मुश्किल है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो सूचना उन्हें मिली है वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन जिलों के नाम उन्होंने गिनाये हैं उसके खिलाफ क्या उनकी जानकारी है कि बलिया-आजमगढ़ में कोयला नहीं आया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---संभव हो सकता है न आया हो, इतना तो इसमें लिखा है कि जितना चाहिये था उतना नहीं भेज पा रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय---इसमें साफ लिखा है कि कुछ ऐसे लोगों को कोटा दिया गया है जिनका कोई हिसाब नहीं है, वह खुद काम करते हैं या किसी को सबलेट किये हैं, इस संबंध में क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश के एक बड़े उच्चाधिकारी के भतीजे, श्री महाजन के भतीजे श्री वी० कुमार जो ला प्रीवीयस के स्टूडेन्ट हैं .....

श्री अध्यक्ष---किसी का नाम न लीजिये ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी को ऐसा मालूम है कि बहुत से ऐसे कोटा होल्डर हैं जो खुद काम नहीं करते हैं और उन्होंने दूसरों को सबलेट कर दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जो ऐसा करते हैं उनके लाइसेन्स कैंसिल होते चले जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि आपके पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि ऐसे कोटा होल्डर हैं और आपने उसकी इन्क्वायरी की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अध्यक्ष महोदय, ऐसी शिकायतें हर शहर तथा हर जिले की बाबत आती हैं और कई खारिज हुए हैं।

श्री अध्यक्ष---अब यह समाप्त किया जाता है ।

श्री गौरीशंकर राय---अभी सफाई नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष---पत्र का आधार ही खत्म हो गया। मैंने जो इजाजत दे दी वह काफी दे दी ।

याचिका समिति के मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। नई याचिका समिति के बारे में मैंने कल कहा था कि जिनको मैंने मनोनीत किया है उनकी आज घोषणा करूंगा। समिति के निम्न सदस्य होंगे :---

श्री रामनारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, उसके सभापति होंगे। श्री जगदीश शरण अग्रवाल, श्री गज्जूराम, श्री गनेशीलाल चौधरी, श्री रामलखन मिश्र, श्री उबैदुर्रहमान, श्री मोहनसिंह मेहता, श्री मुजफ्फर हसन, श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री गनेश चन्द्र काछी, श्री अब्दुलरऊफ लारी, श्री रामशरण यादव, कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री देवनारायण भारतीय अन्य सदस्य होंगे।

विभिन्न समितियों के सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र तथा उनके स्थान पर चुनाव एवं मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---कुछ सदस्यों ने कुछ समितियों से इस्तीफे दिये हैं। उनके बारे में मैं सूचना दे देता हूं कि किनकी जगह पर मैंने किनको मनोनीत किया है और जो स्थायी समितियां हैं उनमें जिन सदस्यों ने इस्तीफे दिये हैं उनका फिर से चुनाव होगा।

श्री बुलाकीराम जी ने अपना त्याग-पत्र शिक्षा समिति से दिया है। उन्होंने लिखा है मैं इसका अभी सदस्य चुना गया हूं, अपना त्याग-पत्र देता हूं। कृपया इसे स्वीकार करने का कष्ट कीजिये। तो इनकी जगह दूसरा चुनाव होगा।

श्री चिरंजी लाल जी ने नियोजन समिति से अपना इस्तीफा दिया है। इस जगह भी दूसरा चुनाव होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर ने एम्प्लायमेन्ट स्थायी समिति से त्याग-पत्र दिया है। इसमें भी चुनाव होगा।

कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड से श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट जी ने इस्तीफा दिया है। उसका भी चुनाव होगा।

श्री बुलाकीराम को मैंने नियम समिति में रखा था। उससे भी उन्होंने इस्तीफा दिया। क्योंकि यह अचानक इस्तीफा आया है इसलिये किसी दूसरे रोज मैं इनके स्थान पर किसी को रखना निश्चित करूंगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह ने वाचनालय समिति से इसलिये इस्तीफा दे दिया और वे चाहते थे कि श्री शिव शंकर सिंह इसमें हो जायं। कुंवर श्रीपाल सिंह के बारे में मैंने बतला दिया कि वे याचिका समिति में रहेंगे और मैं वाचनालय समिति से उनके इस्तीफे को स्वीकार करता हूं और उनकी एवज में श्री शिवशंकर सिंह को मनोनीत करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने भी नियम समिति से अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि राजेन्द्र सिंह जी को उनके स्थान पर रखा जाय। मैंने उनके स्थान पर श्री राजेन्द्र सिंह को मनोनीत किया और उनके इस्तीफे को भी स्वीकार किया।

श्री देवनारायण भारतीय जी ने अपना इस्तीफा दिया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी से उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर मैंने डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा को मनोनीत किया है। जहां तक माननीय देवनारायण भारतीय का संबंध है, अभी मैंने यह घोषणा कर ही दी है कि वे याचिका समिति के सदस्य होंगे।

याचिका समिति के संबंध में पूछ-ताछ

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---एक जानकारी चाहता हूं। आपने पिछले दिन समितियों की घोषणा करते समय बताया था कि याचिका समिति की घोषणा आपने इसलिये नहीं की कि उसके सामने एक सवाल था। तो मैं जानना चाहता हूं कि याचिका समिति के सामने जो वाइस-चांसलर प्रोफेसर कालीप्रसाद का प्रश्न था उसका निर्णय क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---उस समिति ने यह निर्णय किया कि वह प्रश्न मुझे रेफर कर दिया जाय तो मैं तो उसको सब तरह से देखकर तभी फैसला दूंगा। वैसे तो मैं जब प्रश्न विचारार्थ पुरानी समिति के सामने था उसी समय नई समिति की घोषणा कर सकता था, वह तो कांटिनुइंग समिति रहती है लेकिन क्योंकि समिति में उसमें थोड़ा-सा कानूनी मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने मुझे वापस प्रश्न निर्णयार्थ भेज दिया कि मैं उसके ऊपर फैसला दूं इस कारण नई समिति की घोषणा करने में देरी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक कानूनी जांच पूरी तरह से न कर लूंगा तब तक अपना फैसला घोषित न करूंगा और यदि आवश्यकता हुई कि समिति के सामने प्रश्न में फिर भेजूं तो यह नयी समिति के सामने जायगा। यह याचिका समिति अगर कुछ याचिकायें लेने लगेगी तो अधिक भी आ सकती है और बहुत से कानूनी प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिये आपने देखा होगा कि मैंने कानूनदां सदस्य भी उसमें रख दिये हैं, जैसे जगदीशशरण जी, श्रीवास्तव जी आदि।

१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न १४६–१४७ के उत्तर में शोधन

श्री अध्यक्ष---अब माननीय समाज कल्याण मंत्री अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, २ मार्च, १९६० को श्री ताराचन्द माहेश्वरी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ३ व ४ के उत्तर में जो सूचना दी गई थी वह सही है। लेकिन १ अप्रैल, सन् १९५९ को जो उनका उत्तर दिया गया था उसमें अवश्य अशुद्धि है।

१ अप्रैल सन् १९५९ के प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर में यह बताया गया था कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में प्रदेश की जेलों के लिये सभी प्रकार के अन्न मिलाकर २,११,६५८ मन गल्ला खरीदा गया था। उसमें बलिया जेल में खरीदे गये खाद्यान्न की मात्रा सम्मिलित नहीं थी। प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में यह कहा गया था कि---"वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के मुकाबले सन् १९५८–५९ में अधिक मात्रा में खाद्यान्न खरीदे गये थे तथा लगभग ४,७९,८५६ रुपये का व्यय हुआ"। यह दोनों ही उत्तर गलत थे। जैसा कि अब हिसाब की जांच से ज्ञात हुआ है सन् १९५८–५९ में २,५७,८८० मन गल्ला खरीदा गया था तथा वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के मुकाबिले १९५८–५९ में अधिक मात्रा में खाद्यान्न नहीं खरीदे गये। मुझे खेद है कि १ अप्रैल, सन १९५९ ई० का दिया गया उत्तर अभी तक शुद्ध न किया जा सका। विभागीय आंकड़ों में अशुद्धि हो जाने के कारण यह उत्तर गलत दे दिया गया जिसके लिये मैं सदन के समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूं। उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं एक निवेदन आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पर कोई वक्तव्य देंगे .....

श्री अध्यक्ष---उसी के लिये मैं कह रहा हूं। दो चीजें हैं। एक तो प्रोग्राम के संबंध में उन्हें कहना है कि आगे २६ या २८ तारीख से जब भी यह सदन बैठेगा, क्योंकि कुछ सदस्यगण मेरे पास आये थे और वे यह कहते थे कि २६ तारीख को बैठक करने से बहुत से लोगों को असुविधा होगी और वे इस संबंध में नेता सदन से बातचीत करेंगे, तो उस विषय में निश्चय हो जाना चाहिये और जो प्रोग्राम हो उसकी सूचना मुख्य मंत्री जी दे दें और जो वक्तव्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में वे देने वाले हैं---मैं समझता हूं कि उसे उन्होंने पहले साइक्लोस्टाइल करके तैयार कर लिया है तो मैं उसको पहले बंटवा दूं फिर वे वक्तव्य देंगे क्या वे भाषण देने के बाद उसे बांटना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं पहले बंट जाने में ज्यादा सुविधा होगी क्योंकि लोग साथ साथ पढ़ते भी जायेंगे। जब तक आप प्रोग्राम के बारे में बताइये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमन्, आपने तो उस दिन घोषणा की थी कि २६ तारीख को फिर बैठेंगे और मैं यही समझ रहा था लेकिन आज मैं सुन रहा था कि अधिकांश माननीय सदस्यों का यह खयाल है कि २८ तारीख से सदन हो तो अच्छा है। तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यानी फिर उधर समय बढ़ जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उधर बढ़ जायगा।

प्रोग्राम कब तक रहेगा यह मैं नहीं कह सकता हूं, यह माननीय सदस्यों की इच्छा पर है, और जो काम होगा उसको बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी निश्चय करेगी कि किस तरह से काम हो---इस समय तीन विधेयक हैं। एक तो मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, दूसरा सीलिंग वाला, और तीसरा कुमायूं जमींदारी वाला।

श्री अध्यक्ष---यह सरकारी काम है, दो असरकारी दिन हैं और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट भी है। इनमें जितना समय लगेगा तब तक सदन बैठेगा।

श्री अध्यक्ष---२८ तो आप कहते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाजहांपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्मी अभी से बहुत ज्यादा पड़ने लगी है और २८ मई से जब हम दुबारा बैठेंगे....

श्री अध्यक्ष---२८ अप्रैल से बैठेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय---तो उस समय भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। इसका मतलब यह है कि मई तक जब यह अधिवेशन चलेगा तो काफी गर्मी पड़ने लगेगी; इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि सेशन २८ के बजाय पहले से शुरू कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है जिससे अधिक गर्मी पड़ने से पहले अधिवेशन समाप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष---वह तो सब विचार हो चुका है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो बात कही उसके संबंध में शायद भारतीय जी को मालूम नहीं है कि बहुत से इधर के और उधर के सदस्यों ने प्रार्थना की थी कि अधिवेशन की तारीख २८ हो जाय। सभी की सुविधा को दृष्टि में रखकर उन्होंने ऐसा कहा है। वैसे मैं तो २६ ही चाहता था। इतना मैं जरूर कहूंगा कि सीलिंग वाला बिल १९५९ में पूरा हो जाना चाहिये था जिसको १९६० में कर रहे हैं तो इसको जरूर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया कि सदन की इच्छा के ऊपर रहेगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि २८ में और २६ में कोई ऐसा फर्क नहीं है और दो दिन में कोई ऐसी गर्मी आ जाय जिससे हम लोग गल जायं या मर जायं तो दूसरी चीज है। किन्तु आपके द्वारा मुझे एक निवेदन करना है कि सदन में एक तो भ्रष्टाचार न कहा जाय, भ्रष्टाचार का भाषण न दे कोई और रिश्वत-खोरी का भाषण न दे कोई जो चीज उधर इतनी नहीं है वह इधर चौगुनी पैदा हो गई है...

श्री अध्यक्ष---यह दूसरी चीज है।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मैंने यह देखा कि १२ बजे तक हमको सोने नहीं दिया और सौ-सौ रुपये के नोट डाल रहे थे और हमसे कहा कि....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जाइये।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, खास चीज है और कहा गया कि हरी पेंसिल का निशान लगाना तब जानेंगे कि वोट पड़ गया और इधर भाषण देंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और रिश्वतखोरी बढ़ रही है। श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत-खोरी को हटा दिया जाय "तेलिन से कहा धोबिन घाट, वाके मोंगरा वाके लाट।"

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के नियोजन विभाग ने २४ अप्रैल, १९५९ को एक स्मृति-पत्र जारी कर के उसमें उन सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख किया जिन के आधार पर राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा बननी चाहिये। इसके पूर्व दिसम्बर, १९५८ में कृषि, सिंचाई व विद्युत विभागों के अध्ययन मण्डलों (working groups) का संगठन करके उनसे यह कहा गया था कि फिलहाल के लिये वित्तीय कठिनाइयों का ध्यान छोड़ कर वे प्राविधिक (Technical) व भौतिक सीमाओं के भीतर अपने-अपने क्षेत्र में दीर्घकालीन सम्भावनाओं के आधार पर योजनायें बनायें। नियोजन विभाग के २४ अप्रैल, १९५९ के स्मृति-पत्र द्वारा इन तीन अध्ययन मंडलों के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्यारह और अध्ययन मंडलों की भी स्थापना की गई:---

१---वित्तीय साधन।
२---ग्रामीण व छोटे पैमाने के उद्योग।
३---बड़े व मध्यम पैमाने के उद्योग।
४---शिक्षा।
५---स्वास्थ्य।
६---गृह निर्माण तथा नगर विकास।
७---समाज कल्याण और पिछड़ी जातियां।
८---यातायात और संवादवाहन।
९---श्रम।
१०---सामुदायिक विकास और पंचायत, खेलकूद तथा पर्यटन।
११---जन-संख्या तथा सांख्यकीय (स्टैटिसटिक्स)।

कुछ समय बाद एक अध्ययन मंडल प्राविधिक शिक्षा पर भी बनाया गया।

२---इन अध्ययन मण्डलों के सदस्यों का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट में किया गया है। इन मंडलों को विकास के विभिन्न उप-क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिये उप-मंडल (Sub-group) संगठित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया।

३---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नियोजित विकास का एक स्वरूप (perspective) निर्धारित किया गया जिसका लक्ष्य था कि १९७५-७६ तक प्रति व्यक्ति की आय को दुगुना किया जाय। इस लक्ष्य को सामने रखते हुये १९७५-७६ तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विनियोग (investment) और बचत (savings) की वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें इस स्वरूप (perspective) पर बराबर ध्यान रखना है। जनसंख्या वृद्धि के पूर्व अनुमानित आंकड़ों (१.५ प्रतिशत सालाना) की अपेक्षा अब के अनुमानित आंकड़ों (२ से २.१ प्रतिशत सालाना) में कुछ वृद्धि हुई है। इस के विपरीत समस्त राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में अनुमानित की गई थी। परिणामस्वरूप पूर्व अनुमानित लक्ष्य की अपेक्षा प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि कम ही रहेगी। तृतीय योजना में हमें इस तथ्य पर पूरा ध्यान देना है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ निर्धारित स्वरूप को सामने रखकर उस तक पहुंचने के लिये और अधिक प्रयत्न करना है। द्वितीय योजना की अवधि में आई कठिनाइयों पर भी समुचित ध्यान देकर पर्याप्त साधनों को उपलब्ध करने के लिये प्रबन्ध करना है। तृतीय योजना का लक्ष्य यह है कि राष्ट्र की आय में ५ से ६ प्रतिशत वृद्धि हो और लोगों को यथोचित रोजगार का अवसर प्रदान किया जाय।

४---इस राज्य की अधिकांश जनसंख्या का आधार खेती-बाड़ी है इसलिये कृषि कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश का खाद्य उत्पादन लगभग ६५० लाख टन अनुमानित किया गया था। इस उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य १५५ लाख टन रखा गया। अतः १९६०-६१ में वास्तविक उत्पादन ८०५ लाख टन होना था। पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त कृषि अध्ययन मंडल की सम्मति है कि इस लक्ष्य की पूर्ति सम्भवतः नहीं होगी और १९६०-६१ में वास्तविक उत्पादन लगभग ७५० लाख टन ही रह जायगा। इसकी तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश के साथ खाद्य उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य १/१०० लाख टन रखा गया था।

५---१९५५-५६ में उत्तर प्रदेश का खाद्य उत्पादन ११६ लाख टन आंका गया था। योजना आयोग ने २४ लाख टन की उपज वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया, अर्थात १९६०-६१ तक कुल खाद्य उत्पादन का लक्ष्य १४० लाख टन रखा गया। देश के लिये निर्धारित आंकड़ों में से उत्तर प्रदेश का भाग लगभग १८ प्रतिशत आता है। इस समय १३० लाख टन की अनुमानित उपज की तुलना में १९६५-६६ की उपज का लक्ष्य अनुपात से १९० लाख टन के लगभग होता है। इसलिये तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ५०-६० लाख टन के लगभग उपज वृद्धि की व्यवस्था करनी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में पर्याप्त पूंजी लगानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि पंचायतों व सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जनशक्ति का भरपूर उपयोग किया जाय।

६---अतः सभी अध्ययन मंडलों तथा विशेष कर ग्राम क्षेत्रों से सम्बंधित अध्ययन मंडलों से यह कहा गया कि वे ऐसे उपाय सोचें जिनसे अप्रयुक्त जनशक्ति का भरपूर उपयोग सामूहिक उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के लिये किया जा सके। साथ ही साथ इस पर भी विचार करें कि जन शक्ति का उपयोग किन दिशाओं में किया जा सकता है। इस समस्या को हल करने के लिये निम्न सुझाव पेश किये गये---

(अ) कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके सम्पादन का वैधानिक उत्तरदायित्व स्थानीय समाज पर ही होना चाहिये जैसे सिंचाई के साधनों का रख-रखाव, गूलों का निर्माण व सुधार,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कल्चर बन्धी, भूमि और जल संरक्षण। प्रत्येक स्थानीय समाज में परम्पराओं के प्रति श्रद्धा होती ही है, पुरानी श्रद्धा व मान्यताओं का नये लक्ष्य के प्रति विस्तार ही नवीन चेतना का प्रतीक है।

(आ) (१) स्वच्छ पेय जल की समुचित व्यवस्था, (२) ग्राम पाठशाला तथा (३) प्रत्येक गांव की निकटवर्ती सड़क और रेलवे स्टेशन से मिलाने के लिये सड़क का निर्माण, ग्राम क्षेत्रों के लिये न्यूनतम सामाजिक कार्यक्रम कहे जा सकते हैं। ग्रामवासियों के उत्पादन कार्य के लिये भरसक चेष्टा की आशा करना उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कि उनके सामने ऐसे लक्ष्य न रखे जायें जिनकी पूर्ति के लिये वे उत्साहपूर्वक जुट सकें।

(इ) स्थानीय जनशक्ति व साधनों पर आधारित ऐसी योजनायें बना ली जायं जो खाद्योत्पादन से विशेषरूप से सम्बन्धित हैं, जैसे अल्प सिंचाई, तालाब खोदना आदि, और उनका समन्वय सरकारी सहायता से चलने वाली योजनाओं के साथ कर लिया जाय।

(ई) सरकारी विभागों की यह नीति होनी चाहिये कि वह पूरे गांव के सामूहिक उत्पादन और जनशक्ति के ऐसे साधनों के विस्तार में सहायक हों, जैसे गांव के तालाब, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, चरागाह की व्यवस्था आदि। इन कार्यों से ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। सरकारी व सहकारी ऋण-व्यवस्था का संचालन इस उद्देश्य से किया जाय कि ग्राम्य जीवन में सहकारिता की भावना को बल मिल सके।

(उ) जिन कार्यों में अकुशल (unskilled) जनशक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ऐसी सरकारी योजनाओं को जहां तक सम्भव हो ग्राम्य संस्थाओं द्वारा ही संपादित किया जाय जिससे उस गांव अथवा क्षेत्र के लोग उसका लाभ उठा सकें। ऐसे सभी कार्यों में गांव में प्रचलित मजदूरी के हिसाब से भुगतान किया जाय।

(७) विद्युत अध्ययन मण्डल को छोड़कर सभी अध्ययन मण्डलों ने अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया है। सहकारिता अध्ययन मंडल का विवरण हाल ही में प्राप्त हुआ है। इन मंडलों की सिफारिशों का सार यह है—

(अ) १९६६ में प्रदेश की जनसंख्या लगभग ८.२३ करोड़ होने की सम्भावना है जब कि १९५१ की जनसंख्या ६.३२ करोड़ थी। खाद्य के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये यदि हो सके तो थोड़ा निर्यात करने के लिये उपज में ५५ लाख टन की वृद्धि का लक्ष्य रखना उपयुक्त होगा।

(आ) राज्य में चल रहे सिंचन कार्यों की प्रगति से आशा की जाती है कि सन् १९६०-६१ तक १२१.१६ लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचन क्षमता प्राप्त हो सकेगी सिंचन कार्यों पर नियुक्त अध्ययन मंडल ने सिफारिश की है कि ४१.५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिये सिंचन क्षमता उत्पन्न की जाय। सरकारी स्तर पर बड़ी मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं और अनावश्यक जल की निकासी की योजनाओं (Anti-water Logging Schemes) पर ८३ करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

(इ) चालू योजनाओं की तृतीय योजना काल में १,६४,००० किलोवाट शक्ति उत्पन्न होने की आशा है। प्रारम्भिक छान-बीन से विदित होता है कि तृतीय योजना काल के अन्त तक लगभग १२,००,००० किलोवाट शक्ति की आवश्यकता होगी। अतः यह जरूरी हो जाता है कि विद्युत् शक्ति १०,००,०००किलोवाट और अधिक बढ़ाई जाय। केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग ने यह निश्चय किया है कि इस राज्य में सिंगरौली के निकट ४,५०,००० किलोवाट का एक वाष्प (Thermal) विद्युतगृह स्थापित किया जाय। भारत सरकार द्वारा सोवियत सरकार के साथ किये गये हाल के समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि ५०,००० किलोवाट के

५ सेट , जिनका योग २,५०,००० किलोवाट होता है, प्रस्तावित विद्युत गृह के लिये उपलब्ध किये जायें। इस सम्बन्ध में आगामी कुछ सप्ताहों में एक रूसी दल इस राज्य का दौरा भी करेगा । यह आशा है कि तृतीय योजना काल में ही इस विद्युत गृह के लिये शेष २,००,००० किलोवाट शक्ति के उत्पादन की व्यवस्था भी अन्य साधनों द्वारा की जा सकेगी।

(ई) बड़े और मध्यम उद्योगों के अध्ययन मण्डल ने सिफारिश की है कि वर्तमान सरकारी कारखानों का विस्तार किया जाय। साथ ही साथ नई औद्योगिक इकाइयां खोली जायं, जैसे रिफरेक्टरीज, हाई टेन्शन इन्सुलेटर, सिमेन्ट पर निर्धारित उद्योग कैल्शियम कारबाइड रेयोन ग्रेड व न्यूज प्रिंट कारखाना व सहकारी चीनी के कारखाने निजी क्षेत्र में कृषि और वन-जनित उद्योगों की भी सिफारिश की गई है। इन्जीनियरी और विद्युत यन्त्रों के उद्योग की स्थापना की सिफारिश भी निजी क्षेत्र में ही की गई है ।

(उ) शिक्षा अध्ययन मण्डल ने यह सुझाव दिया है कि तृतीय योजना में प्राइमरी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय। ६ से ११ वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा योजना के लागू करने में लगभग ६८.३७ करोड़ रुपये का व्यय होगा ।

(ऊ) स्वास्थ्य अध्ययन मण्डल ने अपने प्रतिवेदन में मेडिकल कालिजों और जिला तथा तहसील स्तर पर स्थापित औषधालयों में रोगियों के लिये अधिक पलंगों का सुझाव दिया है। महिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथिक चिकित्सालयों के स्थापन के सुझाव भी दिये गये हैं। साथ ही शिक्षण तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की भी सिफारिश की गई है।

(८) अध्ययन मण्डलों ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की हैं उनका जोड़ ६५२.८३ करोड़ रुपया आता है। प्रदेश के लिये इतनी धनराशि मिलना सम्भव नहीं और इसमें कटौती करनी ही पड़ेगी। १६ व २० मार्च, १६६० को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में यह निश्चय किया गया कि सरकारी क्षेत्र में ७,००० करोड़ रुपया का प्राविधान किया जाय जिसमें राज्य सरकारों का भाग ३,६५० करोड़ रुपये रहे। योजना आयोग ने यह भी बताया कि इस धनराशि में से राज्य सरकार को १,१५० करोड़ रुपये के साधन खोजने पड़ेंगे और केन्द्रीय सरकार का भाग २५०० करोड़ रुपया रहेगा। विकास की प्रमुख मदों में इस धनराशि का वितरण निम्न प्रकार है--

(करोड़ रुपये में)

विकास की मद	तृतीय पंचवर्षीय योजना		
	अखिल भारतीय	केन्द्र	राज्य
१--कृषि एवं सामुदायिक विकास ..	१०००	१५०	८५०
२--सिंचाई	६५०	५	६४५
३--विद्युत (पावर)	६००	१००	८००
४--छोटे उद्योग	२५०	१००	१५०
५--बड़े उद्योग तथा खनिज विकास ..	१,३००	१,२७०	३०
६--यातायात व संवादवाहन ..	१,४५०	१,२२५	२२५
७--समाजिक सेवायें	१,२५०	३००	६५०
८--स्टाक	२००	२००	..
योग ..	७,०००	३,३५०	३,६५०

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

(९) अभी यह कहना कठिन है कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में कितना रुपया आयेगा। फिर भी राज्य नियोजन विभाग की यह धारणा है कि राज्य की आबादी के अनुसार इसे समस्त राज्यों की धनराशि का १।६ भाग मिलना चाहिये। अतः ६०० करोड़ रुपये के लगभग की योजना को ध्यान में रखते हुये अध्ययन मण्डलों से विचार विनिमय चल रहा है।

(१०) इस अवधि में जिलों को भेजे जाने के लिये ग्राम विकास क्षेत्र एवं जिला स्तर की योजनायें बनाने हेतु आवश्यक निर्देश तैयार किये जा चुके हैं। इन निर्देशों पर ८ व ९ अप्रैल, १९६० को आयोजित राज्य के जिला नियोजन अधिकारियों के सम्मेलन में काफी चर्चा भी हुई। सिंचाई की योजनाओं का जिलेवार ब्योरा भी बन गया है और उर्वरकों की जिलेवार सप्लाई का भी अनुमान पांचों वर्षों के लिये लगा लिया गया है। इस आधार पर विकास खण्ड तथा जिले अपनी-अपनी उत्पादन योजनायें बनायेंगे। इसी प्रकार जनशक्ति द्वारा सम्पादित योजनाओं का भी जिलेवार व विकास खण्डवार ब्योरा तैयार किया जायगा।

(११) इस बार के भी आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं कि ग्राम-स्तर की योजनायें बनाते समय गांव की जन-संस्थाओं से पूरा विचार विनिमय किया जाय और उनसे मिलकर व उनके स्वीकृति के अनुसार ही योजना को अन्तिम रूप दिया जाय। इसी प्रकार खण्ड स्तर की योजनायें क्षेत्र विकास समितियों द्वारा तैयार व स्वीकृत की जायंगी। जिला स्तर की योजनायें बनने पर वे जिला परिषद् के सम्मुख रखी जायंगी। उसी प्रकार मण्डलीय स्तर पर मंडल के संसद सदस्यों व विधान सभा के सदस्यों की राय आरम्भ व अन्त में दोनों बार ली जायगी। ऐसी आशा है कि इस कार्यप्रणाली द्वारा हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना सचमुच ही जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा बनायी हुई और जनतांत्रिक आधार पर निर्मित होगी।

परिशिष्ट

तृतीय पंच वर्षीय योजना बनाने के लिये अध्ययन मण्डलों के सदस्यों की सूची:

१—कृषि-अध्ययन मण्डल	१—सचिव, कृषि विभाग	संयोजक
	२—संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
	३—सचिव, सिंचाई विभाग	,,
	४—मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ..	,,
२—सिंचाई-अध्ययन मण्डल	१—मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ..	संयोजक
	२—मुख्य अभियन्ता, विद्युत (रिहांद) ..	सदस्य
	३—मुख्य अभियन्ता, विद्युत (हाइडिल) ..	,,
	४—संचालक, कृषि विभाग	,,
	५—गन्ना आयुक्त	,,
	६—आयुक्त भूमि सुधार या उनका प्रतिनिधि ..	,,
	७—आयुक्त चकबन्दी या उनका प्रतिनिधि ..	,,
	८—विकास आयुक्त	,,
३—विद्युत (पावर) अध्ययन मण्डल	१—मुख्य अभियन्ता विद्युत (हाइडिल) ..	संयोजक
	२—मुख्य अभियन्ता, विद्युत (रिहंद) ..	सदस्य
	३—मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ..	,,
	४—जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन	,,
	५—संचालक, उद्योग विभाग	,,
	६—संचालक, कृषि विभाग	,,
	७—विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार ..	,,
	८—विकास आयुक्त	,,

४—वित्तीय साधन अध्ययन मण्डल	१—वित्त आयुक्त	.. ..	अध्यक्ष
	२—विकास आयुक्त	.. ..	सदस्य
	३—संचालक, अर्थ एवं संख्या विभाग	..	
	४—प्रो० बलजीतसिंह	.. ..	,,
५—ग्राम तथा लघु-उद्योग अध्ययन-मण्डल	१—सचिव, उद्योग विभाग	.. ..	अध्यक्ष
	२—संचालक उद्योग विभाग	.. ..	सदस्य
	३—संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग	..	,,
	४—उप सचिव, उद्योग विभाग (श्री ए० दास)		,,
	५—संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग	..	,,
	६—सचिव, विद्युत विभाग	.. ..	,,
	७—मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)	..	,,
	८—निबन्धक, सहकारी समितियां	..	,,
	९—डा० एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर	..	,,
	१०—उप-संचालक, घरेलू उद्योग	.. ..	,,
	११—नवाब एजाज रसूल, १, माल एवेन्यू, लखनऊ		,,
	१२—उप संचालक, अखिल भारतीय करघा बोर्ड	..	,,
	१३—श्री करन भाई, वाराणसी	.. ..	,,
	१४—श्री शम्भू सिंह, कानपुर	.. ..	,,
	१५—श्री टी० पी० भल्ला, लखीमपुर-खीरी	..	,,
	१६—श्री सी० एम० सुखिया, आगरा	..	,,
	१७—श्री सुरेन्द्र कुमार, अलीगढ़	.. ..	,,
	१८—अतिरिक्त संचालक, उद्योग विभाग, कानपुर		,,
६—बड़े तथा मध्यम उद्योग अध्ययन मण्डल	१—श्री एस० एस० एल० कक्कड़, आई० ए०एस०		अध्यक्ष
	२—प्रो० के० एन कौल, संचालक, वनस्पति उद्यान, लखनऊ	.. .. ..	सदस्य
	३—श्री एस एन० गुर्टू, संचालक, राष्ट्रीय चीनी उद्योग, कानपुर	.. ..	,,
	४—श्री एस० डी० महन्त, राष्ट्रीय रिसर्च विकास कारपोरेशन, नई दिल्ली	.. ..	,,
	५—श्री एस० एस० जौहरी, अधीक्षक, आर्डिनेन्स फैक्टरी, कानपुर	.. ..	,,
	६—डा० सत्य प्रकाश, वैज्ञानिक रिसर्च समिति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	..	,,
	७—डा० वी० एस० दुबे, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी		,,
	८—श्री आर० सहाी, चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, उत्तर प्रदेश		,,
	९—प्रो० सी० एस० घोष, रूड़की विश्वविद्यालय	..	,,
	१०—डा० एम० एच० देसाई, दिल्ली पोलीटेक्निक, दिल्ली		,,
	११—डा० ए० आर० किदवई, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़		,,
	१२—डा० बी० मकर्जी, डायरेक्टर आफ सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	.. ..	,,

१३—श्री के० सी० गुप्ता, जनरल मैनेजर, कानपुर विद्युत सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन, .. सदस्य

१४—डा० डी० एन० श्रीवास्तव, संचालक फल संरक्षण, रानीखेत .. .. .. ,,

१५—श्री एम० एस० दास, आई० ए० एस०, संचालक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश .. .. ,,

१६—श्री के० एन० श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, उद्योग विभाग, (बड़े उद्योग) .. .. संयोजक

१७—विकास आयुक्त .. .. .. सदस्य

१८—सचिव, विद्युत विभाग .. .. ,,

१९—संचालक, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी .. .. ,,

२०—संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक कार्य .. .. ,,

२१—गन्ना आयुक्त .. .. .. ,,

२२—डा० रामदास, संचालक, विकास अन्वेषणालय ,,

२३—डा० के० एन० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, हरकोर्ट बटलरटेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट .. ,,

२४—संयुक्त सचिव, नियोजन .. .. ,,

२५—श्री आर० के० बसु, जनरल मैनेजर, राजकीय रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर .. .. .. ,,

२६—डा० गोपाल त्रिपाठी, प्रधानाचार्य कालेज आफ टेक्नोलाजी, बनारस विश्वविद्यालय, वाराणसी ,,

२७—श्री एस० सी० एल० जैन, वर्क्स मैनेजर, साहू केमिकल्स .. .. ,,

२८—डा० आत्माराम, संचालक, सेन्ट्रल ग्लास एन्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता .. .. ,,

२९—संचालक, जिओलाजी एन्ड माइनिंग .. ,,

३०—डा० आर० बी० भट, सीनियर रिसर्च आफिसर, फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून .. .. ,,

३१—श्री एम० एन० लाल, चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री चुर्क, मिर्जापुर ,,

३२—श्री जी० एम० टंडन, संचालक, जी० ई० सी० आफ इंडिया प्राइवेट लि०, मैगनेट हाउस, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर .. .. .. ,,

३३—श्री बी० ए० कनाई, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर .. .. ,,

३४—डा० हरिनारायण, अधीक्षक, जियोफिजिस्ट, आयल एन्ड नेचुरल गैस कमीशन, देहरादून .. ,,

३५—डा० सुरेन्द्र रोहतगी, हिन्द केमिकल्स, कानपुर .. ,,

३६—श्री जे० जे० वागची, अधीक्षक, डिफेन्स रिसर्च लेबोरेट्रीज, कानपुर .. .. .. ,,

३७—सचिव, वन विभाग .. .. .. ,,

७—सामान्य शिक्षा-अध्ययन-मण्डल	१—डा० सी० एम० भाटिया, उप संचालक, शिक्षा विभाग	संयोजक
	२—श्री एस० दीक्षित, अतिरिक्त सचिव, नियोजन	सदस्य
	३—श्री केहर सिंह, सचिव, शिक्षा विभाग ..	,,
	४—श्री वी० एस० हैकरवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग	,,
	५—श्री सी० एन० चक, शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश	,,
	६—श्री एल० एन०सकलानी, उप-सचिव, शिक्षा विभाग	,,
	७—डा० एम० सी० पन्त, अनु-सचिव, शिक्षा विभाग	,,
	८—श्री एम० नजमुल हसन, उप-शिक्षा संचालक ..	,,
	९—श्री आर० एस० जौहरी ,, ..	,,
	१०—डा० डी० एन० चतुर्वेदी ,, ..	,,
	११—श्री एच० एस० शर्मा ,, ..	,,
	१२—कुमारी के० डी० खन्ना ,, ..	,,
	१३—श्री डी० डी० तिवारी, विशेष पदाधिकारी (नियोजन) .. ,, ..	,,
८—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजना अध्ययन मण्डल	१—सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य ..	सभापति
	२—श्री के० सी० जोशी, आई० ए० एस० उप-सचिव	संयोजक
	३—डा० के० एम० लाल, संचालक, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	सदस्य ,,
	४—अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	,,
	५—उप संचालक (आयुर्वेद)	,,
	६—डा० वी० वी० भाटिया	,,
	७—प्रो० वी० एस० मांगलिक	,,
	८—डा० एच० एच० भट्ट, प्रधानाचार्य, आगरा मेडिकल कालेज	,,
	९—डा० ए० सी० बनर्जी, भूतपूर्व संचालक, मेडिकल एण्ड हेल्थ	,,
	१०—प्रधानाचार्य, कानपुर मेडिकल कालेज ..	,,
	११—डा० डी० एन० बनर्जी, होम्योपैथिक बोर्ड ..	अध्यक्ष
	१२—डा० एस० एस० मिश्रा, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल असोसियेशन (यू० पी० ब्रान्च)	सदस्य
	१३—श्री एम० यू० अहमद, उप-सचिव, चिकित्सा विभाग	,,
	१४—अनु-सचिव (नियोजन)	,,
	१५—डा० बी० एस० दरबारी, सहायक संचालक,, (नियोजन)	,,
	१६—डा० जी० पी० चक्रवर्ती, सहायक संचालक (नियोजन)	,,
	१७—श्री के० एस० साहनी, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, कार्यालय संचालक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य ..	,,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

९—गृहनिर्माण, नगर विकास तथा जलव्यवस्था मण्डल अध्ययन	१—सचिव, स्वायत्त शासन	अध्यक्ष
	२—श्री ए० ई० सईमुद्दीन, आई० ए० एस०, संयुक्त-सचिव	संयोजक
	३—टाउन एन्ड विलेज प्लानर, यू० पी० ..	सदस्य
	४—निबंधक, सहकारी समितियां ..	,,
	५—संचालक, पंचायत राज	,,
	६—मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन, विद्युत विभाग ..	,,
	७—मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका प्रतिनिधि	,,
	८—मुख्य अभियन्ता, सिंचाई या उनका प्रतिनिधि	,,
	९—श्रम-आयुक्त	,,
	१०—उप सचिव (नियोजन)	,,
१०—समाज व पिछड़ी जाति कल्याण अध्ययन मण्डल	१—अतिरिक्त सचिव, (नियोजन)	अध्यक्ष
	२—संचालक, हरिजन कल्याण	सदस्य
	३—संचालक, समाज कल्याण	,,
	४—उप-सचिव, समाज कल्याण	संयोजक
	५—उप सचिव, हरिजन कल्याण	सदस्य
	६—उप-संचालक, हरिजन कल्याण	,,
	७—सहायक संचालक, समाज कल्याण ..	,,
	८—महिला कार्यक्रम संचालक, विकास अन्वेषणालय	,,
११—यातायात एवं सम्वाद वाहन अध्ययन मण्डल	१—सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	सभापति
	२—अनु सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	संयोजक
	३—मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	सदस्य
	४—परिवहन आयुक्त	,,
	५—गन्ना आयुक्त	,,
	६—उप सचिव (नियोजन)	,,
	७—संचालक, उद्योग विभाग या उनका प्रतिनिधि ..	,,
	८—सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (नियोजन) सार्वजनिक निर्माण विभाग	,,
	९—रेलवे का प्रतिनिधि	,,
१२—श्रम अध्ययन मण्डल	१—सचिव, उद्योग एवं श्रम	अध्यक्ष
	२—श्रम आयुक्त	संयोजक
	३—संयुक्त सचिव, नियोजन	सदस्य
	४—संचालक उद्योग, या उनका प्रतिनिधि ..	,,
	५—श्री के० सी० गुप्ता, कानपुर विद्युत सप्लाई एण्ड-मिनिस्ट्रेशन	,,
	६—परिवहन आयुक्त (श्री डी० एस० राठौर) ..	,,
	७—अतिरिक्त श्रम आयुक्त	,,
	८—मुख्य निरीक्षक "फैक्ट्रीज"	,,
	९—श्रम आयुक्त के गृह निर्माण व कल्याण सलाहकार	,,
	१०—श्रम आयुक्त के क्षमता सलाहकार ..	,,
	११—डा० बलजीत सिंह	,,

	१२—श्री एस० पी० पान्डे, आई० ए० एस०, उप-सचिव, श्रम विभाग		सदस्य
	१३—श्री एस० ए० अहमद, आई० ए० एस०, उप-सचिव, श्रम विभाग		,,
१३—सामुदायिक-विकास, पंचायत खेल कूद तथा पर्यटन अध्ययन मण्डल	१—अतिरिक्त सचिव, नियोजन विभाग		अध्यक्ष
	२—श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०	..	सदस्य
	३—संचालक, पंचायत राज	.. ..	,,
	४—अतिरिक्त संचालक, कृषि	.. ..	,,
	५—निबंधक, सहकारी समितियां	.. ..	,,
	६—उप-सचिव, नियोजन	.. ..	,,
	७—श्री जे० एन० प्रधान, उप-सचिव	.. ..	,,
	८—श्री एस० एम० गोयल, उप-सचिव, नियोजन	..	संयोजक
	९—श्री राम किशन	..	सदस्य
	१०—डाक्टर रामदास, संचालक विकास अन्वेषणालय		,,
	११—श्री वी० आर० सिंह, उप-सचिव, नियोजन	..	,,
	१२—उप सचिव, (प्रशासन) नियोजन	..	,,
१४—जन संख्या व सांख्य- कीय अध्ययन मण्डल	१—सचिव, अर्थ एवं संख्या विभाग ..	..	अध्यक्ष
	२—प्रो० मुकर्जी	..	सदस्य
	३—संचालक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	..	,,
	४—उप सचिव, अर्थ एवं संख्या विभाग	..	,,
	५—संचालक, कृषि विभाग ..	..	,,
	६—उप संचालक, अर्थ एवं संख्या विभाग	..	,,
	७—संचालक, अर्थ एवं संख्या विभाग	..	संयोजक
१५—प्राविधिक शिक्षा अध्ययन मण्डल	१—श्री एस० एस० एल० कक्कड़, आई० ए० एस०, सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ..		अध्यक्ष
	२—डाक्टर ए० एन० खोसला, उप कुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की		सदस्य
	३—श्री के० एल० जोशी, शिक्षा संचालक, सचिव, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन मण्डल-प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार, नई दिल्ली		,,
	४—श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर	..	,,
	५—श्री एम० एस० दास, आई० ए० एस०, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, कानपुर		,,
	६—मुख्य मेकैनिकल इंजीनियर, उत्तर प्रदेश सरकार, सेन्टर रोडवेज वर्कशाप, कानपुर		,,
	७—डाक्ट एच० त्रिवेदी, प्रधानाचार्य, हरकोर्ट बटलर, टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर	..	,,
	८—डाक्टर सी० मित्रा, औद्योगिक सलाहकार (कैमिकल इंजीनियरिंग) द्वारा हरकोर्ट बटलर, टेक्नालोजिकल इन्सटीट्यूट, कानपुर		,,
	९—श्री के० एच० पारिख, ग्लास टेक्नालोजिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर		..

१०--डाक्टर ई० डी० दारूवाला, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर .. सदस्य

११--श्री टी० सी० अजमानी, उप-शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार, वैज्ञानिक अनुसन्धान सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ७/१६९, स्वरूपनगर, कानपुर ,,

१२--श्री के० एल० म्योर, प्रधानाचार्य, सरकारी लेदर इंस्टीट्यूट, कानपुर .. .. ,,

१३--प्रधानाचार्य, दयालबाग, इंजीनियरिंग कालेज दयालबाग, आगरा .. .. ,,

१४--डीन फेकल्टी आफ इंजीनियरिंग, आगरा विश्व-विद्यालय, आगरा .. .. ,,

१५--डीन फकेल्टी इंजीनियरिंग, मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़ .. .. ,,

१६--श्री बी० पी० सोनी, प्रधानाचार्य, उत्तरी रेलवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ .. ,,

१७--श्री बी० स्वरूप, आई० ए० एस०, संयुक्त संचालक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर .. .. ,,

१८--श्री डी० बी० दत्त, उप सचिव, नियोजन विभाग ,,

१९--श्री बी० बी० लाल, आई० सी० एस०, सचिव, विद्युत् विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार .. ,,

२०--श्री अजीज अहमद, आई० ए० एस०, उप-सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार .. ,,

२१--श्री केहर सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग .. .. ,,

२२--मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ .. .. ,,

२३--मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग, लखनऊ .. .. .. ,,

२४--मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, विद्यु _ विभाग, लखनऊ .. .. ,,

२५--कर्नल जी० आर० नागर, संचालक, प्रशिक्षण एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ .. ,,

२६--श्री एल० एस० पाण्डे, सचिव, राजकीय बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ. . ,,

२७--श्री डी० एन० जयकर, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ .. ,,

२८--संचालक, माइनिंग जियालाजी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ .. .. .. ,,

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं समझता हूं कि इस पर विवाद के लिये कोई समय निश्चित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे उदाहरण के लिये मैं आपके सामने एक बात रख दूं कि केन्द्रीय डेवलपमेंट काउन्सिल ने कुल ५ करोड़ रुपया रखा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब आप २८ तारीख को यहां बैठें उस समय इस बात पर विचार कर लें। उस समय कुछ गरमी भी बढ़ जायगी और इसका ठीक अन्दाजा भी हो सकेगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह ठीक है कि विवाद तो जरूर होना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे पास इस समय वाद-विवाद करने के लिये कोई सामग्री नहीं है। हम हवा में बात करेंगे। हमने ६०० करोड़ रुपये का यह प्लान बनाया है, प्लानिंग कमीशन ने जो हिसाब रखा है उसकी अरिथमेटिक के हिसाब से हमको ६०० करोड़ रुपया मिलना चाहिये, लेकिन वह भी हमें देंगे इसमें शक है और यहां हवा में उड़ती हुई एक बात सुनने में आयी है कि शायद ४०० करोड़ हमको मिले। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस समय हम कोई रूप रेखा इसकी तैयार कर लेंगे उस समय उसे मैं सदन के सामने अवश्य रखूंगा।

लाभ पद विषयक संयुक्त समिति गठित करने के सम्बन्ध में संकल्प

राजस्व उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा, विधान परिषद् द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प से सहमत है :—

"यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् संकल्प करती है कि—

१—राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाय जो लाभ पद विषयक संयुक्त समिति कहलाये और जिसमें १५ सदस्य हों, पांच इस सदन के और दस उत्तर प्रदेश विधान सभा के। ये सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित होंगे।

२—उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(१) वर्तमान तथा आगे गठित की जाने वाली ऐसी सभी समितियों, परिषदों (Boards) तथा अन्य परिनियत निकायों (Statutory Bodies) के गठन तथा स्वरूप की जांच करना जिनकी सदस्यता से कोई व्यक्ति "भारत का संविधान" का अनुच्छेद १९१ के अधीन राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह हो जाय :

(२) अपने द्वारा जांच की गयी ऐसी समितियों, परिषदों तथा निकायों के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के ग्रहण करने से सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न होगी और किनके ग्रहण करने से नहीं उत्पन्न होगी : तथा

(३) उक्त विषय पर वर्तमान राज्य विधियों के विभिन्न उपबन्धों की जांच करना और उनमें आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, चाहे वे वृद्धि या लोप के रूप में हों अथवा अन्य प्रकार के हों।

उक्त संयुक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदस्यों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी।

उक्त संयुक्त समिति के सदस्य अपने पदों पर वर्तमान विधान सभा की अवधि तक रहेंगे।

उक्त संयुक्त समिति की बैठक करने के लिये गणपूरक संख्या, समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी।

अन्य विषयों में विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायं : और

यह सदन विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि विधान सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति के लिये विधान सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को दें।"

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अविष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए।)

मान्यवर, भारत के संविधान के आर्टिकिल १०२ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि ऐसे कौन-कौन से लाभकारी पद हो सकते हैं कि जिनके ग्रहण करने से कोई भी व्यक्ति भारतीय संसद के उभय सदनों का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह हो जाता है। गत वर्ष संसद में जब पार्लियामेंट प्रिवेंशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल, १९५९, पर विचार करने के लिये उक्त दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति बैठी थी तो उसने इस बात का अनुभव किया कि एक प्रगतिशील समाज में जिसमें कि ऐसी समितियां या परिषदें या अन्य परिनियत निकायें प्राय: बनती रहती हैं जिनकी सदस्यता के लिये संसद के राज्य विधान मंडल के सदस्यों को प्राय: चुना जाता है। तो इस बात का निश्चय करना कि किसी एक समाज में अंतिम रूप से एक एग्जास्टिव लिस्ट तैयार कर देनी चाहिये कि कौन-कौन से पद ऐसे हो सकते हैं जो लाभ पद कहे जा सकें और जिनके ग्रहण करने में धारक को राज्य विधान मंडल या संसद के सदस्य होने के लिये अनर्हता हो जायेगी। तो उक्त समिति ने संसद को यह सिफारिश की कि ऐसी एक स्थायी समिति होनी चाहिये जो सदैव समय-समय पर इस बात को जांच करती रहे और छानबीन करती रहे कि ऐसे कौन-कौन से पद हैं या उत्पन्न होते रहते हैं जो लाभप्रद कहे जायं और कौन से ऐसे पद होंगे जिनके धारण को उक्त संसद के उभय सदनों की सदस्यता के लिये अनर्हता नहीं माना जायेगा। इन सब बातों के लिये वह संसद को परामर्श देगी। इस सम्बन्ध में संसद ने पिछले अगस्त महीने में एक बिल Parliamentary (Prevention of disqualification) Bill, 1959 भी पास किया। इस तरह से वहां इन विषयों पर जांच के लिये एक स्थायी संयुक्त प्रवर समिति की व्यवस्था करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, भारतीय संविधान की धारा १९१ के अन्तर्गत इसी प्रकार की एक व्यवस्था संविधान में राज्य विधान मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में भी है कि राज्य विधान मंडल का यह अधिकार है कि वह समय-समय पर घोषित करे कि कौन-सा पद ऐसा है जिसके धारण करने से राज्य विधान मंडल के लिये अनर्हता हो जाती है। इस सम्बन्ध में संविधान के प्रचलित होने के पश्चात् इस सदन ने करीब एक दर्जन अधिनियम भी समय-समय पर पारित किये जिनके द्वारा समय-समय पर ऐसी व्यवस्था की कि ऐसे कौन से पद हैं जिनके धारण करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिये, मान्यवर, जिस आवश्यकता को संसद ने महसूस किया उसी आवश्यकता को यहां पर राज्य विधान मंडल ने भी महसूस किया कि यहां पर भी उसी तरह की एक संयुक्त स्थायी समिति यहां के राज्य विधान मण्डल के सदस्यों की बनायी जाय जो ऐसे पदों की समीक्षा करती रहे तथा संसद को परामर्श देती रहे कि विधि में कब, कहां और किस प्रकार के संशोधन, प्रवर्धन एवं विलोपन की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव ठीक संसद के उसी प्रस्ताव की तरह का है और उसी का एक अनुकरण मात्र है और उसकी जिस आवश्यकता को संसद ने महसूस किया है उसी को यहां भी महसूस किया गया है। अत: यह प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रदेश की विधान परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। अत: यह आशा की जाती है कि यह सदन भी इस प्रस्ताव से सहमत होगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--सर्वप्रथम मैं माननीय उपमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और सुन्दर ढंग से इस प्रस्ताव को रखने की चेष्टा की। लेकिन मुझे आशंका है कि जो उनका आशय था और जो आज यह प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है यह कहां तक संविधान की मर्यादा के अनुकूल है और कहां तक हमारे नियमों के अनुकूल भी है। इस बात से मैं वैसे तो पूर्णतया सहमत हूं कि विधान परिषद् जो कि हमारे ही सामकक्ष एक सम्मानित विधान बनाने वाली सहकारी संस्था है और उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा पारित किसी भी विधेयक या प्रस्ताव की हमें पूर्ण प्रतिष्ठा करनी चाहिये और उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिये। तो इस नाते तो मैं इस प्रस्ताव से पूरी तौर से सहमत हूं और उसको पूरा महत्व देना चाहता हूं जो कि वह प्रस्ताव अपेक्षा करता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय यह प्रस्ताव वहां पारित किया गया तो उन्होंने बिना किसी तरह की आलोचना किये हुये ही इसको पास कर दिया। मुझे आशंका है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहली तो यह कि यदि आप अपनी नियमावली के नियम ९३ (५) को देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि—"उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो।"

अब मैं श्रीमन् का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १९२ (१) और १९२ (२) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपकी आज्ञा से उसे अंग्रेजी में पढ़ दूं फिर बाद में हिन्दी में कह दूंगा :

"192.(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

इसमें श्रीमन्, लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रकार की अनर्हता का प्रश्न जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद १९१ (१) में उठता है तो वह प्रश्न राज्यपाल महोदय के फैसले के लिये भेजा जायगा और वह फैसला अन्तिम होगा। आगे चल कर अनुच्छेद के उपानुच्छेद (२) में कहा गया है :—

"192.(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

इसमें कहा गया है कि गवर्नर कोई निश्चय करने से पहले एलेक्शन कमीशन की राय लेंगे और उसी की राय के मुताबिक काम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अन्ततोगत्वा एलेक्शन कमीशन की जो राय होगी उसी को गवर्नर महोदय लागू करेंगे। तो यहां पर आप देखें...

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कृपया जरा बैठें। वे कृपया यह देखें कि कांस्टीट्यूशन में यह राइट इस लेजिस्लेचर को है कि वह ला बनाकर तय कर सकता है कि कौन आफिस आफ प्राफिट है और कौन नहीं। मैं इसको पढ़ कर सुना दूं :

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the first Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder ;"

इस आर्टिकिल से जाहिर है कि आफिस आफ प्राफिट क्या होगा, इसको डिसाइड करने का अधिकार इस सदन को है। तो एक समिति का बैठा देना और उसका रिकमेंडेशन के मुताबिक निश्चय करना कि कौन आफिस आफ प्राफिट माना जायगा, यह नियम के विरुद्ध नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन, मैंने प्वाइंट आफ आर्डर नहीं रेज किया था जिसमें आप फैसला दें।

श्री अधिष्ठाता—प्वाइंट आफ आर्डर तो नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं वह सब चीजों को ध्यान में रख कर नहीं कह रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर मैं पूरी बात कह लेता तो शायद आप भी मुझ से सहमत हो जाते। मैं तो केवल यह कह रहा था कि जिस ढंग से यह प्रस्ताव लाया गया है उससे इसका आशय पूरा नहीं होता। इस सम्बन्ध में मैं संवैधानिक कठिनाई को पेश

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कर रहा हूं। एलेक्शन कमीशन एक न्यायाधिकरण के रूप में, कोर्ट के रूप में फैसला करता है जहां कि एलेक्शन का मसला आता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग हो चुकी है। तो पहला सवाल यह है, जिस पर श्रीमन, मैं आपका राय चाहूंगा, कि बिना हम अपनी नियमावली का संशोधन किये जहां पर कि एलेक्शन कमीशन को कोर्ट माना गया है, क्या हम इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। पर प्रश्न जिस पर आपको अन्ततोगत्वा फैसला देना होगा, इस पर आप विचार कर लें कि एलेक्शन कमीशन को आप कोर्ट मानते हैं या नहीं....

श्री अधिष्ठाता--इसमें थोड़ी सी शंका मालूम होती है। अगर आप अंग्रेजी का ट्रान्सलेशन देखें तो स्पष्ट हो जायगा। यह इस प्रकार से है :--

"It shall not relate to any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India."

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अन्डर एडजुडीकेशन हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अंग्रेजी की नियमावली मानी जायगी या हिन्दी की?

श्री अधिष्ठाता--मैंने अर्थ को स्पष्ट करने के लिये अंग्रेजी की प्रति से सुनाया, मान्य तो हिन्दी की प्रति ही है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--एडजुडीकेशन का ही ट्रान्सलेशन निर्णयन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--न्यायालय का अर्थ क्या है?

श्री अधिष्ठाता--न्यायालय का अर्थ कोर्ट से है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा प्रश्न था कि एलेक्शन कमीशन न्यायालय है या नहीं जहां पर कि एलेक्शन का मामला उठता है।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि एलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफिकेशन को तय करता है तो उसको कोर्ट की तरह से मानना चाहिये लेकिन उससे इस हाउस का अधिकार खत्म नहीं होता। कोई पर्टीकुलर क्वेश्चन अगर कोर्ट के सामने हो और उस समय अगर ऐसा प्रस्ताव आये तब उस पर यह लागू होगा लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के जनरल क्वेश्चन पर या संकल्प पर आपका आब्जेक्शन लागू नहीं होता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, विधान की धारा १९२ में दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न अनर्हता का उठेगा तो वह गवर्नर के यहां जायगा और गवर्नर एलेक्शन कमीशन की सलाह के बाद तय करेगा। इसलिये अगर यहां पर अनर्हता का प्रश्न तय किया जाता है तो निश्चित रूप से एलेक्शन कमीशन पर उसका दबाव पड़ेगा, वह सोचेंगे कि सदन की एक कमेटी ने इसको तय कर दिया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको यहां नहीं आना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर अगर यहां कोई डिस्कशन हो तब तो आपकी बात ठीक है लेकिन जनरल क्वेश्चन पर यह बात लागू नहीं होती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने काफी मार्गदर्शन किया। केवल शंका यह है, मैं नहीं चाहता कि बार-बार आपका ध्यान आकृष्ट करूं, मुझे क्लेश हो रहा है लेकिन इसमें जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वह यह हैं कि "किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा", किसी एक केस का उल्लेख नहीं है बल्कि शब्द विषय है। आफ़िस आफ़ प्राफिट कौन पद होगा और कौन नहीं होगा, इसी के लिये "विषय" शब्द लिखा है।

श्री अधिष्ठाता--आप तो इसे बहुत सीमित करना चाहते हैं। यह उचित नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आप भले ही यह आज्ञा दे दें कि नियमों के अन्तर्गत यह आ जाता है---जो शायद आपने आज्ञा दे दी है---तो भी यह आशंका बनी रहती है कि इस प्रकार की स्थायी समिति बनाना जरूरी है या नहीं। जब तक लोकतांत्रिक परिपाटी इस देश में रहेगी, जब तक मानवता जीवित रहेगी, तब तक सदन किसी न किसी रूप में अवश्य रहेगा। इसलिये जब सदन के सामने यह प्रश्न आ सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस प्रकार की एक स्थायी समिति बनावे जो यह देखे कि कौन पद आफ़िस आफ प्राफिट है और कौन नहीं है। इसमें पहले तो यह बात आती है कि हमारी यह मंशा है कि हम निरन्तर ऐसे पद बनाते रहे, जो हमारी मंशा नहीं है। हम लोग यह चाहते हैं कि हम बिना किसी सरकारी दबाव के विधान बनावें और हमारी सरकार हो, न कि हम सरकार के हों। डिस्क्वालिफिकेशन आफ मेम्बरशिप के पीछे यही सिद्धान्त है कि सरकार के दबाव में सदस्य न हों, बल्कि सरकार सदस्यों की हो। इंगलैण्ड में, हाउस आफ़ कामन्स में, शताब्दियां बीती हैं ऐसे प्रश्नों की विवेचना में। वहां अगर आज भी किसी सदस्य को इस्तीफ़ा देना होता है तो वह डाक्ट्रन चिल्टर्न हन्ड्रेड्स के नाम से अर्जी देता है और उसे टाइटिल और आनरेरियम मिलता है और कह देते हैं कि तुम अब राज्य के नौकर हो। यानी, यह कहा ही नहीं जाता है कि तुम्हारा इस्तीफा मंजूर हुआ। यहां हमने स्पष्ट कहा है कि मिनिस्टर्स के ऊपर ये डिस्क्वालिफ़िकेशन्स लागू नहीं होंगी चूंकि वे इस विधान मंडल के सदस्य हैं, रहेंगे और चूंकि वे सरकार के अंग हैं और विधान मंडल के प्रति जिम्मेदार हैं, इसलिये वे इस विधान मंडल की विधायक शक्ति के अंग हैं और इस सदन की एग्जीक्यूटिव पावर के द्योतक हैं। इसलिये संविधान में मिनिस्टर्स को आफ़िस आफ़ प्राफिट की डिस्क्वालिफ़िकेशन से ठीक ही वंचित किया गया। उसके बाद इस विधान मंडल ने एक विधेयक पास किया जिसमें यह निश्चित किया गया कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी वगैरह और कमेटी के लोग जिनमें हम मेम्बर हैं, जिसकी एक सीमा रहनी चाहिये उसमें आफ़िस आफ़ प्राफिट नहीं माना जायगा, ऐसा जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन हो। लेकिन यह अधिनियम रहते हुये और संविधान के रहते हुये रोज ऐसे विधेयक पास करना सदन को शोभा नहीं देता है। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि बजाय स्टैंडिंग कमेटी होने के एक सेलेक्ट कमेटी होती जो यह देखती कि पिछले १३ वर्षों में जिन पदों में विधान मंडल के सदस्य रहे हैं और जिनमें रहने की सम्भावना है, उनमें कौन आफ़िस आफ प्राफिट की परिभाषा में आते हैं और कौन नहीं आते हैं, कौन संविधान के अनुच्छेद १९१ की परिधि में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। उस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम यह निश्चित करते कि किन पदों को हमें डिस्क्वालिफिकेशन से वंचित करना है। यह भी हो सकता है कि सदस्य ऐसी किसी कमेटी या बोर्ड से इस्तीफा दे दें क्योंकि विधान मंडल की सदस्यता किसी कमेटी की सदस्यता से अधिक महत्व रखती है। पब्लिक सर्विस कमीशन, हाई कोर्ट की जजशिप या किसी बड़ी कमेटी की बात दूसरी है। हमने देखा है कि वाइस-चांसलर तक विधान मंडल के सदस्य रहे हैं। तो जहां मैं छानबीन की आवश्यकता मानता हूं वहां मैं यह भी मानता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं है लेकिन सेलेक्ट कमेटी की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि क्या हमें लोक सभा की प्रक्रियाओं का अन्धा-अनुकरण करना है। अगर ऐसा है तो उनकी बहुत सी प्रक्रियाओं का अनुकरण करना होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जो सरकार के बतौर घाटे में रहेंगे अगर वह वहां की सारी बातों को यहां लागू कर दें। अगर वह लोक सभा की दलील देते हैं तो मैं हाउस आफ कामन्स की दलील देता हूं जहां कोई इस प्रकार की स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। शायद मंत्री जी को हाउस आफ कामन्स का भी ज्ञान होगा। वहां सेलेक्ट कमेटी समय-समय पर जरूर बैठती हैं। सन् १९५५-५६ में वहां की एक सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी जिस पर दो-तीन साल तक विचार होता रहा और अन्ततोगत्वा कौन पद आफ़िस आफ प्राफिट में आता है और कौन नहीं आता है, इसकी विषद व्याख्या की गई जो दो बार सेलेक्ट कमेटियों के हाथ में गई और तब उन्होंने यह सिफारिश की। हम उस परम्परा को यहां नहीं अपना रहे हैं। इस तरह की आशंका यहां हो सकती है कि हम एक स्थायी समिति का निर्माण करके शायद बहुत से आफिस आफ प्राफिट बनाना चाहते हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सरकार की यह मंशा नहीं होगी, लेकिन फिर हमें आशंका का मौका क्यों दें कि नारायणदत्त तिवारी किस कमेटी के मेम्बर हैं तो वह आफ़िस आफ़ प्राफिट है या नहीं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—व्यक्तियों की बात इस कमेटी को रेफर नहीं होगी। माननीय सदस्य नाम लेकर कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति का केस हो तो कमेटी निर्णय करे, ऐसी बात नहीं है। वह एक जनरल रूप से विचार करेगी। विशिष्ट विचार नहीं करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर ऐसी बात है तो माननीय मन्त्री जी को इस कमेटी के बनाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हर पद जो सरकार बनाती है वह आफिस आफ प्राफिट है। जहां एक रुपया भी आनरेरियम या टी० ए० अथवा डी० ए० दिया तो वह आफिस आफ प्राफिट हो गया, इसलिए फिर यह स्टैंडिंग कमेटी बेकार है। मिसाल के लिए, तीन-चार मूल्यांकन कमेटियां बनीं, पुलिस कमीशन बना और ये बनते रहेंगे लोगों को टी० ए० वगैरह मिलेगा, तो ये आफिस आफ प्राफिट हैं ही। अगर गवर्नमेंट किसी एम० एल० ए० को प्लानिंग ऐडवाइजर के पद पर रखती है तो वह आफिस आफ प्राफिट है। इसलिए इतनी जानकारी हासिल करने के लिए ही मन्त्रीजी ने अगर इस बात की तकलीफ उठायी है तब तो मैं कहूंगा कि उनकी सहमति असहमति में परिणत हो जायगी और विधान परिषद् से भी उन को यह संस्तुति करनी चाहिए कि वे भी इस को वापस ले लें। मैं केवल नाम की बात ही नहीं कह रहा था, पद की बात भी कह रहा था। माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करें, नहीं तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें और विधान परिषद् से संस्तुति करें कि वे भी इसको वापस ले लें और अगर हमारी सहमति नहीं जाती तो वह यों ही लैप्स हो जायगा।

इसके अतिरिक्त यह भी उचित होता अगर इस प्रकार का प्रस्ताव विधान सभा को प्रस्तुत किया जाता। यह ज्यादा शोभनीय होता। दूसरे यह प्रस्ताव अधूरा भी है। इसमें केवल प्रोसीजरल बात है। इसमें लिखा है—विधान सभा, विधान परिषद् द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प से सहमत है। लेकिन इसका आपरेटिव पार्ट यह होता कि विधान सभा यह भी तय करती है कि दस सदस्य इस समिति में भेजे जायं। लेकिन इस संकल्प में विधान परिषद् के प्रस्ताव से सहमति प्रकट की गयी है। इसलिए आपरेटिव पार्ट के लिए हमें दूसरा संकल्प लाना होगा।

इस में अन्तिम पैराग्राफ यह दिया हुआ है—"विधान सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति के लिए विधान सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम की सूचना इस सदन को दें।" इस में आपरेटिव क्लाज यह होता—"यह विधान सभा यह भी निश्चय करती है कि उक्त समिति में सम्मिलित होने के लिए विधान सभा के निम्नलिखित दस सदस्यों को नियुक्त किया जाय अथवा जिनके नाम बाद में दिये जायेंगे।" इस प्रकार की चीज इसमें और होनी चाहिये थी।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—श्रीमन्, इसी प्रस्ताव में ऊपर दिया हुआ है—"ये सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकलसंक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित होंगे।"

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"विधान सभा, विधान परिषद् द्वारा पारित संकल्प से निम्नलिखित संशोधनों सहित सहमत है।

पंक्ति १९ के शब्द 'प्रतिवेदन देगी' के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

'इन प्रतिवेदनों पर निश्चित समय पर विचार होगा और उचित समझा गया तो तत्सम्बन्धी विषय पर संशोधन (विधेयक) प्रस्तुत किया जायगा'।"

"पंक्ति २२ के पश्चात् शब्द 'अन्य विषयों में विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जावें' हटा कर निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं।—'यह संयुक्त समिति अपने अन्य प्रक्रिया नियमावली सम्बन्धी नियम भी निर्मित कर सकेगी किन्तु ऐसे नियमों की पूर्व स्वीकृति सदन से प्राप्त कर लेगी'।"

श्रीमन्, आज हमारे सामने जो यह सरकारी संकल्प है वह विधान परिषद् द्वारा पारित होकर हमारे सामने आया है और इस से सहमति मांगी जा रही है। उस सहमति को देने के पहले हमें कुछ बातों पर विचार कर लेना है। हमें यह बात पूर्ण रूप से सोच लेनी है कि इस संविधान के अन्तर्गत जिस के अन्तर्गत शक्ति ली जा रही है, उसे मैं दुबारा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सदन के सामने पूर्व वक्ता महोदय ने उसको पढ़ कर सुना दिया है, किन्तु यह बात मान लेने लायक है कि अनर्हता का सवाल उठने पर इसमें जो व्यवस्था दी हुई है वह यही है कि राज्यपाल के पास प्रश्न उठने ही यह सवाल पहुंचेगा और राज्यपाल इस को निर्वाचन आयोग के पास निश्चय करने के लिए भेज देगा। एक व्यवस्था हमारे पास अभी तक यह रही है। अब उसी व्यवस्था के साथ कुछ और जोड़ कर इस संकल्प के द्वारा सरकार हमारे सामने एक व्यवस्था और ला रही है और वह व्यवस्था यह लायी जा रही है कि इस तरह की एक स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण होगा जो बराबर इस विधान मंडल के समय काल तक रहेगी और यह विधान मंडल के कुल १५ सदस्यों का संगठन होगा जिन के चुनाव का तरीका इस में दिया हुआ है और यह स्टैंडिंग कमेटी निरन्तर इस बात का ध्यान कर के जांच करेगी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९१ के अधीन कौन से सदस्य अनर्ह हो रहे हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी के फंक्शन्स के सम्बन्ध में लिखा हुआ है कि "वर्तमान तथा आगे गठित की जाने वाली सभी समितियों, परिषदों तथा अन्य परि-नियत निकायों यानी जितनी भी हैं उन सब के संगठन का वह विश्लेषण करेगी और जो आगे गठित होंगी उन सब का भी विश्लेषण करेगी तथा विश्लेषण कर के यह देखेगी कि अनर्हता के अन्दर कौन-कौन सदस्य किस प्रकार से आते हैं।"

दूसरी बात यह भी उसे करना होगा कि जांच करके विश्लेषण करने के बाद वह यह सिफारिश करे कि इन में से कौन-कौन से पद हैं जो अनर्हता में आते हैं और कौन ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। इन बातों की जांच करने के बाद, सिफारिश करने के बाद, वह यह भी सिफारिश करेगी कि जो अभी राज्य की तमाम विधियां हैं और जो उनके सम्बन्ध में उपबन्ध लगे हैं उनकी भी उसे जांच करनी होगी। यह स्टैंडिंग कमेटी उन में कुछ संशोधन करने की भी सिफारिश करेगी कि इसमें किस प्रकार से वृद्धि की जाय या कमी की जाय। यानी एक प्रकार से वाच ऐंड वार्ड कमेटी यह हुई ताकि लोगों में सतर्कता रहे कि फलां-फलां पद अनर्हता में आता है। इस रूप में तो यह कहा जा सकता है कि कौन सदस्य अनर्हता में आते हैं, इस की जानकारी लोगों को सहायक रूप में होगी। किन्तु इसकी जो प्रक्रिया है जिस के मुताबिक हम उस पर अपने विचार दे सकेंगे, इसमें मुझे जरा सन्देह है। उस में लिखा हुआ है कि उक्त संयुक्त समिति विधान मण्डल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी। उसको रिपोर्ट देने के सम्बन्ध में जो अभी तक हमारे सामने अनेक विषय रहे हैं, कोई कमीशन या कोई कमेटी मुकर्रर होती रही है, उनका प्रतिवेदन हमारे सामने मेज पर प्रस्तुत किया जाता रहा है लेकिन फिर उस के बाद जो लिखा है, इसका अन्तिम भाग है जिसमें विधान मण्डल की जो समिति होगी उसके कोरम के विषय में है तथा इसमें उस समिति की अन्य प्रक्रिया नियमावली की सभी बातें दी हुई हैं।

मैं थोड़ा-सा यह जानना चाहता था कि इस प्रतिवेदन के आने के बाद फिर क्या प्रक्रिया होगी। वह प्रतिवेदन केवल मात्र हमारे लिए दूर से दर्शनीय वस्तु रहेगी? कहां तक वह मान्य होगी या अमान्य होगी इन दोनों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। यदि

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सरकार अनर्हता के बारे में अवधि और उपबन्ध के ऊपर कोई संशोधन लाने का विचार रख कर ही स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहतीहै ताकि प्रत्येक सदस्य की अनर्हता तत्काल मालूम हो जाय तो आवश्यकता इस बात की है कि इसमें परिश्रम व खोज के बाद जो बात हो वह सदन में आवे, उस पर हम विचार करें और देखें कि यह प्रतिवेदन जो हुआ है वह कहां तक उचित हुआ है । प्रतिवेदन को अगर हम ग्राह्य समझें तो जो संशोधन करना उचित हो वह हम करें और अगर ग्राह्य न समझें तो उसे अस्वीकार करें और हर तरह से अपनी राय उसमें सन्निहित करा लें। इसीलिए मैंने अपने विचार इन दो संशोधनों के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की है । यदि सरकार एक उचित कार्य का प्रयास कर रही है तो उस को जांच करने का अधिकार मिले वह अधिकार हमारे हाथ में रहे और हम अन्तिम रूप से फैसला दें कि स्टैंडिंग कमेटी का कार्य जो कुछ भी रहा वह कहां तक मूल्यवान और माननीय था। इसलिये आवश्यकता है कि जहां इस संकल्प में सब बातें सामने हैं, उसके पक्ष में या विपक्ष में क्या है, कहने को इस की आवश्यकता कोई मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता लेकिन एक परिश्रम है वह स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा होता है और अगर वह हमारे अधिकार में होगा तो हम उसकी जांच कर लेंगे और इस वास्ते आवश्यकता है कि हमारे क्या सम्बन्ध होंगे, उसको हम आगे जोड़ें और हम अपनी इच्छा प्रदर्शित करें। मैं इस बात को थोड़ी देर के लिये माने लेता हूं कि अनर्हता किस समय उत्पन्न होगी, किसी संस्था के साथ रिश्वत होने पर, तो इसकी जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है। यह जांच हमें कानूनन उपलब्ध है। संविधान की दफा १९१ के अनुसार जहां हमने अधिकार गवर्नर की रिपोर्ट पर कमीशन को दिया है वहां पर दूसरा अधिकार उसी के समकक्ष दूसरे को भी दे रहे हैं। हमारे सामने मान लीजिये कि एक दर्पण-सा सामने आता है जिसमें एक चीज सामने दिखाई पड़ती है, तो उस का उपयोग भी हम कर सकेंगे जब उसको सामने रख कर उसके औचित्य पर हम गौर करें। जरूरी है कि उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये एक प्रक्रिया हमारे सामने रहे लेकिन इस संकल्प में कोई स्पष्टीकरण इस विषय में नहीं है। दो-तीन पैरा पढ़ने के बाद यह पता लगेगा कि प्रतिवेदन दिया जायगा लेकिन उस के बाद प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही होगी यह कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है। मेरे इस छोटे से संशोधन का अर्थ केवल यह है कि थोड़ा प्रतिवेदन पर विचार हो जाय। इसके माने यह नहीं हैं कि प्रतिवेदन को हम एक बिल मान लें या एक कानून मानें, हम तो चाहते हैं कि हम सिर्फ रिपोर्ट पर विचार करें और उसके किसी अंश को यदि हम उचित समझें तो उस अंश को हम अपने लिये लागू करें और उचित समझें तो उतने अंश का बिल लाने की हम अनुमति दे दें और उसके बाद वह बिल हमारे सामने आये। उसके बाद पूर्ण रूप से सारी प्रक्रिया की जांच हो जायगी।

अभी हमारे सामने माननीय नारायणदत्त तिवारी ने यह राय रखी कि इस अनर्हता के बारे में सेलेक्ट कमेटी होगी स्टैंडिंग कमेटी के बजाय। मैं उनकी बात सुनने के बाद समझ नहीं पाया कि सेलेक्ट कमेटी पूर्व १३ साल का सारा क्रम मंगाकर जांच करेगी, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि वर्तमान और कुछ आगे की यानी इस समय जो समितियां हैं, कई समितियां ४ साल की हैं, १३ साल की भी हों और आगे बनने वालियों के लिये भी हो तो उनकी मन्शा में और इस मन्शा में कहां पर अन्तर था मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मेरे इस संकल्प के संशोधन का समर्थन करने के माने यह नहीं हैं कि मैं इस संकल्प के पूर्ण अंश पर विश्वास करता हूं। समर्थन जिस रूप में मैं करता हूं वह मेरे संशोधन से साफ है। पीपुल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट संसद द्वारा नये रूप में पास हो चुका है और उसमें बहुत से संशोधन अनर्हता के बारे में भी हो चुके हैं। इसके अलावा अभी हमने अभी वाइस-चांसलर की अनर्हता के सम्बन्ध में एक संशोधन स्वीकार किया है और इस राज्य के द्वारा जो विधियां पास होती रही हैं उनमें हम आये दिन अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं और वर्तमान विधियां कुछ ऐसी हैं जिनमें अनर्हता की कुछ बात रखी गयी है। इन सब में और इसके अलावा अन्य समितियों, परिषदों और निकायों के बारे में जो

पुनरीक्षण करने के लिये व्यवस्था है वह उस रूप में ठीक है कि हमको एक मौका मिलेगा जानने का और विचार करने का। कोई भी सदस्य जानकारी हासिल नहीं कर सकेगा जब तक उसके लिये कोई साधन उपलब्ध न हों।

इसमें एक यह भी आवश्यकता दिखायी गयी है कि अन्य विषयों में विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के समितियों से सम्बन्धित उपबंध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायं। अब जितनी समितियां विधान सभा द्वारा बनती हैं उन सब में एक प्रक्रिया नियमावली बनती है और अध्यक्ष द्वारा उनमें परिवर्तन और परिष्कार भी होते रहते हैं। उसमें अध्यक्ष को जो अधिकार है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं "दूध का जला मट्ठा को फूंक कर पीता है" इस आधार पर कह सकता हूं कि एक विशेषाधिकार समिति बनी थी जिसे सोशलिस्ट पार्टी के १२ सदस्यों के ऊपर लगाये गये आरोप की जांच करना था ....

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि कमेटियों द्वारा की गयी बात का रेफरेन्स इस हाउस में नहीं देना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं केवल हवाला दे रहा हूं। उस समिति के लिये एक प्रक्रिया नियमावली अध्यक्ष की तरफ से बना कर दी गयी और इसलिये दी गयी ताकि सुचारुता आये। लेकिन उसकी आवश्यकता क्यों समझी गयी, यह भी एक वैसी बात है। तो यह अधिकार जो अध्यक्ष को होगा यह हमारी स्वीकृति से रहेगा। जहां तक अध्यक्ष के अधिकार बढ़ाये जाने की बात है, मैं कई दफा विचार करने के बाद उस पर स्वीकृति देने को तैयार हो सकूंगा। इसलिये इस पर मुझे एक आपत्ति सी है और इस आपत्ति पर ही मैंने एक संशोधन भी रखा जिसका तात्पर्य आपके सामने मौजूद है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—व्यवस्था का प्रश्न है। यह व्यवस्था तो जरूर है कि लंच टाइम के समय कोरम का सवाल नहीं होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या १६ आदमियों के बैठे रहने पर भी हाउस चल सकता है। यह परम्परा है, कोई रूल तो है नहीं और अगर हम सवाल उठायें कि कोरम नहीं है, तो आप रूलिंग पार्टी से यह कहें कि कम से कम सदन में कोरम तो बना रहे।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष को देखना चाहिये कि इतने सदस्य यहां रहें लेकिन दूसरी तरफ प्रथा के अनुसार मैं समझता हूं माननीय सदस्य को भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह कह रहा था कि इसमें जो अधिकार दिये हुये हैं जो नियम, समितियों के सम्बन्ध में परिवर्तन और परिष्कृत करने के लिये लिये गये हैं उसी रूप में उनको उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बजाय ....

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रूलिंग का जो आधा हिस्सा है उसको पूरा कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि यह पांच मिनट बाद लागू हो जायगा। इस समय यह प्रश्न रेज न करें तो ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जब प्रश्न उठ गया है तो घंटी बजानी पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता—मैंने कहा कि अगर प्रश्न उठता है तो मैं कालबेल दूंगा लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि वह प्रश्न न उठायें तो ठीक है। परसों भी यह प्रश्न उठा था प्रथा के बारे में। अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तब तो मैं निश्चय ही कालबेल दूंगा। लेकिन आप यह सोच लें कि इस प्रथा को कायम रखना चाहिये या नहीं, क्योंकि यह सभी सदस्यों की सुविधा के लिये है। अगर आप इसको कायम रखना चाहते हैं तो ठीक है वरना मैं काल बेल दूंगा।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, प्रथा चल सकती है यदि उसको जिम्मेदारी के साथ निभाया जाय । यह नहीं कि खाली मिनिस्टर साहब रहें ।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष इसको समझ गया होगा और आगे इसका ध्यान रखेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, यह हमारा दुर्भाग्य है कि एक और दो के बीच में कभी कोरम पूरा नहीं रहता है ।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें तो ठीक है क्योंकि मैं रूलिंग दे चुका हूं कि आगे से सरकारी पक्ष खयाल रखेगा कि कोरम पूरा रहे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां, श्रीमन्, आप अधिष्ठाता हैं और हमारी दिक्कतें आपके सामने आनी चाहिये और आपको राय देना चाहिये । मैं यह कह रहा था कि यह समिति नियम भी निर्मित कर सकेगी, लेकिन ऐसे नियमों की पूर्व स्वीकृति सदन से प्राप्त कर लेगी। इस संबंध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकार माननीय अध्यक्ष के पास थे उनको लेकर संयुक्त प्रवर समिति को दिये जा रहे हैं । लेकिन उसको भी उसी समय प्राप्त होंगे जब सदन से स्वीकृति मिल जायगी । अन्ततोगत्वा ऐसी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में जो नियम बन रहे हैं उसके लिये नियमावली बनाने का काम उनके सुपुर्द कर सदन की स्वीकृति इसलिये आवश्यक समझते हैं कि सदन का हर समय किसी भी समिति के कार्य पर अपना कंट्रोल रहे ।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि जैसा संकल्प हमारे सामने है और जैसी चीज दिखाई पड़ती है, वह यह है कि सरकार अपने बहुमत के द्वारा इसको स्वीकृत कराना चाहती है और इस पर वह तुली हुई है । ऐसी हालत में हम आशा कर सकते हैं कि इस संकल्प से जो लाभप्रद संयुक्त समिति बन रही है उसके द्वारा जो प्रतिवेदन हों उन पर हमारा नियंत्रण रहे और उसकी जानकारी प्राप्त करने का और बहस करने का हमको अधिकार हो और उसके बाद हम तय करें कि इसमें कोई संशोधन करना उचित होगा या नहीं । जो बात करना चाहते हैं वह संशोधन के रूप में आये और उसमें पूर्ण रूप से विचार हो, जैसा किसी विधेयक में होता है । इस स्टैंडिंग कमेटी का जो कार्य होगा, उसके औचित्य पर पुनर्विचार करने का मौका हमें फिर भी रहेगा अन्यथा स्टैंडिंग कमेटी एक स्वतंत्र समिति बन सकती है जो हमारे लिये घातक भी सिद्ध हो सकती है ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--अधिष्ठाता महोदय, आपने अभी जो व्यवस्था दी कि सरकारी पक्ष इस बात का लिहाज रखेगा कि कोरम बनाये रखे, तो इसको सरकारी पक्ष ने कोई परवाह नहीं की ।

श्री अधिष्ठाता--मैंने कहा था कि आगे से इस बात का सरकारी पक्ष खयाल रखे । अब दो बज गये हैं, मैं कोरम बेल देता हूं ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस लाभ पद जानकारी के सम्बन्ध में यह एक संकल्प हमारे सामने जो आया है, इस समय ही क्यों आया है, इस बारे में भी हमें कौतूहल है । इसके पहले भी इसकी आवश्यकता हो सकती थी । इस पांच साल के काल में जो इस विधान सभा का कार्य रहा है, अब जब कि उसका दो साल से भी कम समय रह गया है, तब हम इस बिल का सुधार कर रहे हैं । हो सकता है कि इसके साथ यह भी हो कि अब एलेक्शन कमीशन के सामने बहुत से विषय पहुंचे । उसके सम्बन्ध में एक स्टैंडिंग कमेटी की अदब में कोई चीज ला कर, दूसरे प्रकार से चीज सोची जाय । इसलिये इस स्टैंडिंग कमेटी के औचित्य पर सरकार का मत पूर्ण रूप से प्रकाशित होना चाहिये और यह भी बताया जाना चाहिये कि इसकी आवश्यकता इस समय क्यों प्रतीत हुई, और पहले दो-तीन साल पहले क्यों नहीं प्रतीत

हुई । इस अनर्हता के बारे में प्रदेश के नियम हैं और जब कभी भी आवश्यकता दिखाई पड़ती है तो समय-समय पर संशोधन भी आते रहते हैं । लेकिन एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यह कार्य किया जाना, इसकी आवश्यकता सरकार के ही मस्तिष्क में आ सकती है । हम आज तक उसके बारे में जान नहीं पाये कि यह लाभप्रद पद तो हमेशा ही एक ऐसा विषय बना रहेगा....

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं फिर आपका ध्यान कोरम जैसी महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । कुल ३७ लोग बैठे हुये हैं और ४७ की आवश्यकता होती है कोरम के लिये । यह तीसरी मर्तबा है....

श्री अधिष्ठाता—आवश्यकता तो ४३ की है ।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई ।)

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं भी उठाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—अभी बैठिये । अभी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री लाल बहादुर—मान्यवर, आपने आज्ञा दी कि सरकारी बेंच का कर्तव्य है कि कोरम रखे तो अपोजीशन का क्या यह कर्तव्य है कि वह सब गायब हो जायं ?

श्री अधिष्ठाता—कर्तव्य तो सभी सदस्यों का है कि सदन में उपस्थित रहें, लेकिन सरकारी पक्ष का विशेष रूप से है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इसका स्वागत करता हूं । मैं यह नहीं कहता कि केवल उधर के ही लोग बैठें, इधर के न बैठें । यह घंटी तो सभी के लिये बजती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था, अब कुछ सदस्य अधिक संख्या में आ गये हैं तो मेरी इस दिक्कत को वह महसूस कर लें कि यह जो संकल्प सामने है वह अधूरा है और इसमें मेरे संकल्प को स्वीकार कर लेने के बाद यह संकल्प पूरा तो भी सकता है, इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता और औचित्य पर वह विचार कर लें और प्रतिवेदन की जो इसमें व्यवस्था है उस प्रतिवेदन के आने के बाद उसका क्या हो और इसमें जो मैंने संशोधन में उसकी पूर्ति की है उसके विषय में वह पूरी जानकारी अपनी कर लें । मैं अपने संशोधन को इस शब्दों के साथ सदन के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लेगा ।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, पहले तो मैं आदरणीय अवस्थी जी ने जो संशोधन उपस्थित किये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर दूं । उनको भय यह है कि जब यह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तो वह प्रतिवेदन स्वयं ही इप्सो फैक्टो कानून बन जायगा । अगर हमारे माननीय सदस्य अनुच्छेद १९१ को पढ़ने का कष्ट करते तो उनको यह विदित हो जाता कि केवल कानून द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है कि कौन-सा पद लाभप्रद होते हुये भी अपवाद स्वरूप एक्जेम्शन किया गया । श्रीमन्, देखेंगे :

"A person shall be disqualified from being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State, if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the first schedule other than an office declared by the legislature of a State by law not to disqualify its holder."

तो संविधान स्वयं इस बात का प्राविधान करता है कि अगर किसी भी लाभप्रद स्थान को वर्जित करना है इस अनुच्छेद की चोट से, तो आवश्यक होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधान मंडल द्वारा स्वीकृत कानून बने जिससे कि वह पद इस आघात से वर्जित हो जाय या उसके सम्बन्ध

[श्री मदनमोहन]

में अपवाद किया जाय । अगर इस संविधान के अनुच्छेद को मैं सही समझा हूं तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि पहला संशोधन, जो अवस्थी जी ने उपस्थित किया है और जिसके ऊपर माननीय अवस्थी जी ने आधे घंटे तक हम लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, कि प्रतिवेदन के आधार पर कोई विधेयक प्रस्तुत हो उस विधेयक को अधिनियम का रूप दिया जाय और सदन को उस पर विचार विनिमय करने का अवसर मिले, सब अनावश्यक ह । यह तो संविधान स्वयं इस बात का प्राविधान करता है । हमें इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

दूसरा संशोधन जो आपने रखा है वह यह रखा है कि जो प्रक्रिया इस समिति की कार्यवाही के सम्बन्ध में होगी, वह प्रक्रिया के नियम इस सदन के समक्ष रखे जायं और यह सदन उन्हें स्वीकार करें, या वह समिति स्वयं उस प्रक्रिया के नियमों को निर्धारित करे । अगर माननीय अवस्थी जी अध्याय १६, जो हमारी नियमावली का है, उसको देखने का कष्ट करें, तो देखेंगे कि सब ही समितियों के जो सामान्य नियम हैं, वह उस अध्याय में दिये हुये हैं । अब प्रत्येक समिति, जिसका निर्माण इस सदन द्वारा होगा उस पर यह सामान्य नियम लागू होंगे । आवश्यकता इस बात की पड़ सकती है कि सामान्य नियमों को उस समिति में लागू करने पर कुछ अड़चन उपस्थित हों, तो अब प्रश्न यह है कि वह समिति स्वयं अपने नियमों को निर्धारित करे या इस नियमावली में परिवर्तन कर दें, या हम किसी भी विशेष अधिकारी को यह अधिकार प्रतिनिहित करें, कि वह अड़चनों को समझ कर उचित नियम, जो समिति के सम्बन्ध में बाधा पड़ती हों, उनके निराकरणार्थ बना दें । यह साधारण नियम इस समय, सभी पार्लियामेंट के हैं कि जहां पर नियमों के निर्माणका प्रश्न हो, जहां पर डिटेल्स का प्रश्न हो, जहां पर किसी बात के परीक्षण और सर्वेक्षण की आवश्यकता हो, कि कार्य सम्पादन में कौन-कौन अड़चनें हैं, जो उपस्थित हो रही हैं, और परीक्षण के बगैर उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था न हो सकती हो, तो ऐसी अवस्थाओं के लिये पार्लियामेंटस का यह स्वीकृत नियम है कि किसी एक विशेष अधिकारी को ऐसे अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जायं जिससे वह अन्वेषण करके उचित नियम बना सके । मैं समझता हूं, कि समिति की बैठक हो रही हो, कोई एक अड़चन प्रक्रिया सम्बन्धित उपस्थित हो गई हो, तब वह अपना नियम बनाये, नियम बनाकर इस सदन के समक्ष रखे, उस पर विचार हो, इस सब में कितना अधिक समय व्यतीत हो जायगा और तब तक कार्यवाही समिति की रुकी रहेगी ऐसी व्यवस्था कोई अधिक उचित या उपादेय या ग्राह्य बात नहीं मालूम होती । मैं समझता हूं कि जो इस सदन के समक्ष संकल्प रखा गया है वह अत्यन्त उचित रूप से रखा गया है ।

अब, नारायणदत्त जी ने दो-एक प्रश्न सामने रखे । मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं उनकी दिक्कत को जो उन्होंने सदन के सामने रखी, समझने में मैं असमर्थ-सा रहा हूं । नियम ९३ में जो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं और जो व्यवस्था है, मैं अत्यन्त आदर के साथ निवेदन करूंगा कि उनका भी वही आशय है जो कि अंग्रेजी के नियम में है । नियम ९३ (५) के शब्द हैं "उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा, जो भारत के किसी भाग म क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो ।" न्याय-निर्णयन का मतलब है कि जो उसके समक्ष हो मामला और जिसे निर्णय की अपेक्षा हो, जो फैसले का मोहताज हो, यानी जो पेंडिंग हो । जो मामले अदालत में हों और अदालत उन पर फैसला देने का अधिकार रखती हो तो वे मामले इस सदन के समक्ष नहीं आ सकते । मैं तो इसमें कोई अस्पष्टता नहीं देखता । तो मेरा निवेदन है कि यह नियम किसी प्रकार से इस संकल्प की वैधता में बाधक नहीं होता ।

अब संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद १९१ और १९२ देखा जाय । १९१ के पढ़ने पर कदाचित् माननीय तिवारी जी मुझ से सहमत हो जायं । वे देखें कि इसका आशय क्या है । श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं एक बार फिर इसे पढ़ने की अनुज्ञा चाहूंगा । यह इस प्रकार है :

"191(1) (*a*) If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any state specified in the First Schedule other

than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

इसका मतलब यह है कि लाभप्रद पद ग्रहण करने से या लाभप्रद पद पर रहने से वह अनर्हता उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद का आशय यह है कि, संविधान का रचयिता यह जानता था कि, ऐसा भी लाभप्रद पद हो सकता है, सरकार के अधीन ऐसा लाभप्रद पद हो सकता है जिसको कि स्थानीय विधान मंडल यह समझे कि हमारे देश या राज्य के लिये या समाज के लिये, यह अत्यन्त हितकारी है, अतः उसे.....

श्री अधिष्ठाता—आर्डर-आर्डर (एक सदस्य से) आप कृपया वापस जायं, फ्लोर क्रास न करें।

श्री मदनमोहन—मैं कह रहा था श्रीमन, कि संविधान के रचयिताओं ने इस बात को ध्यान में रखा था कि ऐसा सम्भव हो सकता है कि एक व्यक्ति सरकार के अधीन कोई पद प्राप्त करके लाभ प्राप्त करता हो, लेकिन वह पद समाज के लिये या प्रदेश के लिये या जन-हित की दृष्टि से इतना आवश्यक है कि हम उसके कारण पदासीन व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई न करें। ऐसा अधिकार लेजिस्लेचर को, राज्य विधान सभाओं को, संविधान द्वारा दिया गया। तो ऐसे पदों का हो सकना और यद्यपि वह लाभप्रद हैं तो भी उनके कारण अनर्हता उत्पन्न न होना ऐसी स्थिति हमारे संविधान की मंशा के भीतर है। तो उस मंशा को पूरा करने के लिये आवश्यक यह है कि विधान सभा विचार करें कि कौन-कौन से ऐसे पद हैं कि जिन पदों के ऊपर रहते हुये भी हम किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे।

अब १९१ और १९२ में कोई विरोध नहीं है। १९२ में केवल यह है :—

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191 the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

इसका मतलब यह हुआ कि १९१ में जो डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई हैं अगर वे किसी एक व्यक्ति या सदस्य के संबंध में सिद्ध हों या मालूम पड़ें तो कमीशन को या एक विशिष्ट अधिकारी के सुपुर्द वह मामला किया जावेगा, लेकिन अनर्हता १९१ में है या नहीं, यह तो निश्चय करने का कुछ हद तक इसी सदन को भी अधिकार है। यह सदन निश्चित करता है कि अमुक-अमुक पद यद्यपि लाभ पद हैं तो भी उससे अनर्हता उत्पन्न नहीं होती। यह हमें अधिकार है। अगर यह अधिकार है तो वह अनर्हतायें अनुच्छेद १९१ की सीमा से निकल जाती हैं। मैं नहीं कह सकता कि मेरी बात साफ हुई या नहीं। मैं यह समझता हूं कि १९१ एक विस्तृत क्षेत्र है, और उस विस्तृत क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र निकाल देने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है, अब उसमें से अगर कुछ क्षेत्र निकल जाता है, तो उतना निकला हुआ क्षेत्र, अनुच्छेद १९१ की चपेट में नहीं आता। इसलिये १९२ का कोई प्रभाव उस अंश तक नहीं पड़ता जिस अंश तक यह विधान मंडल निश्चित करता है कि यह १९१ कि अनर्हतायें उस पर लागू न हों। तो मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न माननीय नारायण दत्त जी ने इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया उससे कोई प्रभाव संकल्प पर नहीं पड़ता। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस हाऊस की अलग-अलग कमेटीज होती हैं। यह कैबिनेट भी, पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार इस हाउस की कमेटी ही होती है। और कोई विशेषता उसमें नहीं होती, उसके अधिकार होते हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न कमेटियों का निर्माण किया जाता है ताकि हाउस, जो वस्तुतः कानून बनाता है, शासन की सारी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व है, अपना राज्य सम्बन्धी बातें समझ सकें। इसलिये वह कमेटियों का निर्माण किया करता है। समितियां भी समय-समय पर अपने विषयों के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती रहती हैं, ताकि उन प्रतिवेदनों को प्राप्त करके, सदन अपनी व्यवस्थाओं को निर्धारित करें। तो यह समिति भी केवल एक यंत्र है, जिसके द्वारा सरकार उन बातों को जानने का

[श्री मदन मोहन]

प्रयत्न करेगी कि कौन-कौन से पद हमारे हैं जिनके सम्बन्ध में डिस्क्वालिफिकेशन का कानून लागू हो जाता है और इन पदों के सम्बन्ध में अनुच्छेद १९१ के अन्तर्गत कोई अपवाद हम करें या न करें। इस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारी सिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विवाद बन्द किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर अब विवाद बन्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री वर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे बोझ को न केवल बहुत हल्का कर दिया, बल्कि बहुत योग्यता के साथ विधान संबंधी सारी बातों के संबंध में जिनके लिये हमारे आदरणीय साथी श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने प्रश्न उपस्थित किये थे, उत्तर दिया है और अब उनके संबंध में कुछ भी कहने की आवश्यकता बाकी नहीं रह जाती।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा इस संकल्प से ही स्पष्ट है कि इस समिति के संगठन की आवश्यकता केवल इसलिये है कि संविधान के आर्टिकिल १९१ के अन्तर्गत इस राज्य के विधान मंडल को जो अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं उनके परिपालन और निर्वहन के लिये इस समिति के परामर्श की आवश्यकता है और इससे अधिक इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जैसा कि माननीय वर्मा जी ने स्पष्ट किया १९१ और १९२ दोनों अनुच्छेदों के अलग-अलग कार्य हैं और अलग-अलग क्षेत्र हैं। एक तो संबंध रखता है इन विधान मंडलों से और दूसरा संबंध रखता है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय तो उसका निराकरण कैसे किया जाय। १९२ में केवल इस बात की व्यवस्था है कि यदि १९१ के अन्तर्गत कोई अनर्हता उत्पन्न हो और कोई ऐसा विशिष्ट, स्पेसिफिक इंस्टांस उपस्थित हो सदन के सामने या कहीं भी तो उसे राज्यपाल को रेफर किया जाय और राज्यपाल उस संबंध में एलेक्शन कमीशन की राय लेंगे। इसलिये यह विषय तो सुस्पष्ट हो गया है और इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि संसद में जब यह विषय उपस्थित हुआ था तो वहां के विधि विभाग ने इस पर पर्याप्त विचार करके इस संकल्प को प्रस्तुत किया था और यहां भी राज्य के विधि विभाग ने इस पर सम्यक प्रकार से विचार कर लिया है और कोई वैधानिक अड़चन इसके सदन में लाये जाने या इसके स्वीकार किये जाने में उपस्थित नहीं होती।

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के संबंध में जो आपत्ति माननीय सदस्य श्री तिवारी जी ने उपस्थित किया था उसका मान्यवर ने स्वयं ही उत्तर दे दिया है और अब उस संबंध में कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। उसके संबंध में भी माननीय वर्मा जी ने बड़ी योग्यता से इस सदन के सामने उपस्थित किया है और मैं समझता हूं कि उस संबंध में कोई आवश्यकता किसी राय की शेष नहीं रह जाती। जहां तक कि माननीय तिवारी जी ने यह कहा था कि इस संबंध में हाउस आफ कामन्स में कोई प्रैक्टिस नहीं है तो मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हाउस आफ कामन्स का संबंध है वहां भी इस प्रकार की व्यवस्था है और माननीय सदस्य जानते होंगे कि विभिन्न कमेटियां, स्थायी कमेटियां सदन की हैं जो विभिन्न विषयों पर समय-समय पर विचार करती हैं। हो सकता है इस विषय पर वहां कोई कमेटी न हो लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हाउस आफ कामन्स ने इसको रूल आउट कर दिया है। उनके कन्वेन्शन्स के अनुसार वहां कोई कमेटी न हो, ऐसा हो सकता है।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं, अपितु एक सेलेक्ट कमेटी की आवश्यकता है, वही इस पर विचार कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी तो इस सदन की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जब कोई विधेयक प्रस्तुत हो तभी उस पर नियुक्त की जाती है अन्यथा नहीं। इस प्रकार से सदन के प्रतिनिधित्व का निर्वाहन करने के लिये नियमावली में स्थायी समितियों की व्यवस्था है और वह इस सदन की भी हो सकती है और इस विधान मंडल की संयुक्त समिति भी हो सकती है। तो इस संकल्प के द्वारा यही प्रस्ताव किया गया है कि इस विधान मंडल की एक स्थायी समिति ऐसी हो जो सदन को संविधान के अनुच्छेद १९१ के अन्तर्गत विधान मंडल को विधायन का जो अधिकार प्राप्त है, उसके संबंध में समय-समय पर परामर्श देती रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो संकल्प स्वतः परिपूर्ण है। जिस प्रकार से इस सदन की स्थायी समितियां कार्य करती हैं उसी प्रकार से इसमें भी कार्य करने की व्यवस्था है। जिस प्रकार से और अस्थायी समितियां इस सदन के नियमों के अनुसार अपने कार्य परिचालित सम्पादित करती रहती हैं उन्हीं नियमों के अनुसार यह समिति भी अपना कार्य सम्पादित करेगी।

माननीय अवस्थी जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस समिति का जो प्रतिवेदन हो उस पर यह सदन विचार करे। मैं उनका ध्यान इस संकल्प के एक अंश की ओर दिलाना चाहता हूं "(३) उक्त विषय पर वर्तमान राज्य विधियों के विभिन्न उपबंधों की जांच करना और उनमें आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, चाहे वे वृद्धि या लोप के रूप में हों अथवा अन्य प्रकार के हों।" तो उन संशोधनों के संबंध में अगर सदन सहमत होगा तो उस पर कार्यवाही करेगा और वह कार्यवाही यही हो सकती है कि सदन में जो वर्तमान विधान हो उसमें संशोधनों के लिये कोई विधेयक उपस्थित हो या नया विधेयक प्रस्तुत हो। इसलिये उनकी वह शंका भी निर्मूल है। मैं समझता हूं कि यदि वह इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उनको भी संतोष हो जायगा।

मान्यवर, दूसरा संशोधन भी जोकि उन्होंने पेश किया है कि यह समिति स्वयं अपने नियम बनाये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान मंडल की जितनी स्थाई समितियां हैं उनके लिये नियमावली में व्यवस्था की गई है और मैं यह समझता हूं कि इस समिति को इतना अवकाश भी नहीं होगा इसलिये इस बात की भी आवश्यकता नहीं है कि वह स्वयं अपने नियमों को बनावे। हमारी नियमावली में जो व्यवस्थायें हैं वह पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को यह अधिकार है कि इस समिति के कार्यसंचालन को जहां आवश्यक समझें वह संशोधन कर दें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—शुक्ल जी ने अभी कहा कि मेरे संशोधनों की जो मंशा है वह तो सरकार करेगी ही, इसलिये उनकी आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे संशोधनों में और सरकार की मंशा में कोई अन्तर नहीं है तो मैं नहीं समझता कि सरकार को मेरे संशोधनों को मानने में क्या दिक्कत है। मैंने उनको अक्षरों में लिख कर दे दिया है तो उनको सरकार स्वीकार क्यों नहीं करती। इसका मतलब यह है कि कुछ शंका अवश्य है। मैं सरकार पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहता। जो करना हो उसको स्पष्ट कर देना चाहिये और शब्दों में जो लिखा है उसको मान लेना चाहिये। स्टैंडिंग कमेटी की बात कही गयी। पी०ए०सी० और एस्टीमेट्स आदि स्टैंडिंग कमेटीज हैं। उनकी एक नहीं, दसियों रिपोर्ट्स आयी होंगी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनके किसी अंश को आज तक स्वीकार किया है। अगर किया होता तो उसका विवरण हमारे सामने आता। लाखों रुपया खर्च कर के ये कमेटियां बनतीं हैं और बड़ी-बड़ी अच्छी बातों को सजेस्ट करती हैं, बड़े-बड़े योग्य चेयरमैनों के मातहत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

बनती हैं लेकिन बाद में वे केवल अलमारियों को ही शोभित करती हैं। उसका उनसे पूर्णरूप से सहमत होना तो दूर रहा, वह यह भी नहीं बताती कि उनके बारे में उसका विचार क्या है। मैं चाहता हूं कि इस स्टैंडिग कमेटी को बनाने में जो व्यय लगे उसके मूल्य को अदा करने के लिये आप विचार भी करें, उसकी रिपोर्ट पर विचार करने का मौका हमें मिले। अधिष्ठाता महोदय, स्टैंडिग कमेटीज में तो आप भी रहे होंगे, आपने भी देखा होगा कि सदन में रखे जाने पर किसी भी अंश में उन पर विचार नहीं होता। नतीजा यह होता है कि अच्छी-अच्छी रायें रखी रह जाती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज के प्रतिवेदन देने से क्या लाभ जब हम उन पर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर पाते। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह तो अन्तर्निहित कि बाद में उनके प्रतिवेदन पर विचार किया जायगा और विधेयक लायेंगे। ऐसा अगर है तो फिर आप मेरा संशोधन स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि अनिवार्य रूप से उस पर विचार होगा और विधेयक अनिवार्य रूप से आयेगा। यदि वह मान लेते तो शायद फंस जाते। इसलिये वह मानना नहीं चाहते और कहते हैं कि कहेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं और मेरी शंका तो यह है कि "नहीं" की बात उसमें अधिक है।

हमारा संशोधन बिलकुल सीधासादा है। बात यह है कि हम सरकार के ऊपर ही केवल, सब बातों को छोड़ना नहीं चाहते। वह शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शक्ति पूरी इस हाउस के हाथ में रहे, जिसको वह स्वीकृत प्रदान करे वह विधेयक के रूप में सामने आये। इस प्रकार से सरकार उत्तरदायी बनती है और दूसरी प्रकार से निरंकुश। अब उसी प्रश्न पर विचार करके, कि क्या इस सरकार को आप उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं या निरंकुश सदन के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर मत देंगे और मैं आशा करता हूं कि हमारे संशोधन को सरकार स्वीकार कर लेगी और सदन की तरफ से भी उसको स्वीकार किया जायगा। अगर उसको स्वीकार नहीं माना जायगा तो हम प्रेस करेंगे ही और विभाजन करायेंगे ही। (किसी के कुछ कहने पर) हम जनता का पैसा अपव्यय करना नहीं चाहते हैं और इसीलिये हम अपनी राय व्यक्त करते हैं, मत देते हैं, हम यहां चुप बैठने नहीं आये हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहां चुप बैठे रहें, मत देते वक्त हाथ उठा दें और बाकी ६ घंटे सोते खाते रहें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य सदन में जो बातें कही गयी हैं उन्हीं का जवाब दें, कोई नया प्रश्न न उठावें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कहा कि सब लोग खाते-पीते हैं, और यहां बैठ कर आराम करते हैं, सिवा वे ही हैं जो जनतंत्र की रक्षा करने वाले हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा उनका कहना सब से ऊपर आक्षेप है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, अपने अन्दर जो छिद्र है उसे भी पहले देख लेना चाहिये। माननीय सदस्य जब माइक पर आते हैं और बोलने लगते हैं तो मालूम ही नहीं होता कि वे क्या कहना चाहते हैं। अक्सर उनको हमारी बातों पर कौतुहल होता है। वे चाहते थे कि निरंकुश जंगल में रहें लेकिन अब तो जंगल में बहुत से शेर आ गये हैं।

तो मैं यह कहने जा रहा था कि यदि हमारी सरकार अपने संख्यासुर के बल पर हमारे संशोधन को नहीं स्वीकार करेगी तो हम अपने कर्त्तव्य को निबाहेंगे, भले ही अल्पमत में रहें, एक रहें चाहे दो रहें।

श्री अधिष्ठाता---सदन में जो बातें पहले कही जा चुकी हैं उन्हीं को फिर रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार मेरे संशोधन को नहीं स्वीकार करेगी तो हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने में कभी नहीं हिचकेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि आयेगी और वह हमारे संशोधन को स्वीकार करेगी।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे मित्र कानपुर ने जो दो संशोधन पेश किये हैं, उनके बारे में कुछ बातें कहने के पहले उस संशोधन का आशय यह समझता हूं कि हमारे मित्र की यह ख्वाहिश है कि यह जो समिति बनायी जा रही है इसकी जो सिफारिश आवे, उसके ऊपर पहले यहां पर विचार कर लिया जाय। अगर यह काम पूरा हो जाता है तब तो इस संशोधन की जरूरत होती नहीं। जब विचार करके कोई विधेयक आयेगा तो उस सिफारिश के मुताबिक विधेयक पर डिस्कस किया जायगा और उस विधेयक में जितने प्राविजन्स हैं, वे उन सिफारिशों के ऊपर आधारित होंगे लिहाजा उन सिफारिशों पर विचार विनिमय हो सकता है। इसलिये अगर उनके दिल में कोई शक है तो उसे हम मिटा देना चाहते हैं। प्रस्ताव में वह लिखा है और यह संशोधन महज शंका पर आधारित है, लिहाजा शंका पर आधारित चीज खुद ही संदिग्ध हुआ करती है, इसलिये उसे मान लेना सरकार के लिये गलत बात होगी, इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं। इसको इस रूप में मान लेना अशोभनीय होगा सरकार के लिये। दूसरी बात यह कि हमारे मित्र की बात मान लेना जरूरी नहीं है क्योंकि जब यहां पर कमेटी मुकर्रर हो जायगी तो उसमें आप भी रहेंगे और हम भी अगर चुने गये तो रहेंगे और देखभाल करके ऐडवाइस करते रहेंगे कि किस कमेटी का कौन पद डिस्क्वालिफिकेशन के अन्दर आता है। इस तरह से हमारे माननीय सदस्य देखेंगे कि हमको हर एक के विचार जानने में सहूलियत होगी। मैं डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि हमारे डिप्टी मिनिस्टर और वर्मा जी ने बहुत विस्तार से सारी बातों और एतराज का जवाब दे दिया है। मैं केवल मात्र अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि मैं आदतन सब बातों को रिजेक्ट नहीं कर देता हूं। लेकिन मेरी तो अरमान ही रह गयी कि उधर से कोई माकूल बात आवे जिसको मैं मंजूर कर लूं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मेरा वह अरमान पूरा होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि विधान सभा, विधान परिषद् द्वारा पारित संकल्प से निम्नलिखित संशोधनों सहित सहमत है। पंक्ति १९ के शब्द "प्रतिवेदन देगी" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय "इन प्रतिवेदनों पर निश्चित समय पर विचार होगा और उचित समझा गया तो तत्संबंधी विषय पर संशोधन (विधेयक) प्रस्तुत किया जावेगा।"

पंक्ति २२ के पश्चात् शब्द "अन्य विषयों में विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के समितियों से संबंधित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिस्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जावें" हटा कर निम्न शब्द बढ़ा दिये जावें "यह संयुक्त समिति अपने अन्य प्रक्रिया नियमावली संबंधी नियम भी निर्मित कर सकेगी किन्तु ऐसे नियमों को पूर्व स्वीकृति सदन से प्राप्त कर लेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ)---

पक्ष में---६,

विपक्ष में ६३)।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि विधान सभा, विधान परिषद् द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प से सहमत है।

"यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् संकल्प करती है कि ---

(१) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाय जो लाभ पद विषयक संयुक्त समिति कहलाये और जिसमें १५ सदस्य हों, पांच इस सदन के और १० उत्तर प्रदेश विधान सभा के। ये सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल-संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित होंगे।

(२) उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे---

(१) वर्तमान तथा आगे गठित की जाने वाली ऐसी सभी समितियों, परिषदों (Boards) तथा अन्य परिनियत निकायों (Statutory Bodies) के गठन तथा स्वरूप की जांच करना जिनकी सदस्यता से कोई व्यक्ति "भारत का संविधान", के अनुच्छेद १९१ के अधीन राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह हो जाय :

(२) अपने द्वारा जांच की गयी ऐसी समितियों, परिषदों तथा निकायों के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के ग्रहण करने से सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न होगी और किनके ग्रहण करने से नहीं उत्पन्न होगी: तथा

(३) उक्त विषय पर वर्तमान राज्य विधियों के विभिन्न उपबन्धों की जांच करना और उनमें आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, चाहे वे वृद्धि या लोप के रूप में हों अथवा अन्य प्रकार के हों।

उक्त संयुक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के संबंध में प्रतिवेदन देगी।

उक्त संयुक्त समिति के सदस्य अपने पदों पर वर्तमान विधान सभा की अवधि तक रहेंगे।

उक्त संयुक्त समिति की बैठक करने के लिये गणपूरक संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी।

अन्य विषयों में विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के समितियों से संबंधित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायं; और

यह सदन विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि विधान सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति के लिये विधान सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को दें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) विधेयक, १९६०*

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Uttara Khand Division (Application of Laws) Bill, 1960] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

* १२ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

मान्यवर, इस सदन को विदित है कि गत २४ फरवरी, १९६० को इस प्रदेश की सीमा सम्बन्धी सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नया डिवीजन बनाया गया है। जबसे इस नये डिवीजन की सृष्टि हुई है तबसे जो अधिनियम, नियम और आदेश ऐसे थे जो कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त होते थे उनके संबंध में यह आशंका उत्पन्न हो गयी है कि वे इस उत्तराखंड डिवीजन में प्रवृत्त विधितः हो सकते हैं अथवा नहीं। इस संबंध में विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि यह आवश्यक है कि इस प्रकार का विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय ताकि एक लालेस स्टेट की सी जो स्थिति इस नये डिवीजन की सृष्टि के बाद उस भाग में उत्पन्न हो रही है उसको दूर किया जाय और कोई आशंका इस प्रकार के अधिनियमों और नियमों के प्रवर्तन के संबंध में न रह जाय।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में बहुत ही सुस्पष्ट कर दिया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता है। ऐसे कतिपय विधेयक हैं जो सारे प्रदेश में एक समान लागू हैं। उनके सम्बन्ध में तो इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुमायूं डिवीजन में और टेहरी राज्य जो कि विलीन हुआ था इस प्रदेश में, उनमें बहुत से अधिनियम और नियम विलीन होने के पहले ऐसे हैं जो कि विशेष संशोधनों और परिष्कारों के साथ केवल इसी भूखंड में प्रचलित हो रहे हैं प्रवर्तित हो रहे हैं। इसलिये इस प्रकार की जो एक स्थिति वहां उत्पन्न हो गयी है उसके निराकरण की आवश्यकता है। इसलिये यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है।

मान्यवर, इस प्रदेश के विधान परिषद् ने इस विधेयक को स्वीकार किया है और मुझे ऐसा विश्वास है कि यह माननीय सदन भी इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

***श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह उत्तराखंड डिवीजन विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने अभी पेश किया है उसमें मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि उपर्युक्त विधेयक इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जावे जो अपना प्रतिवेदन १ सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे। यह समिति अपनी परिधि भी बढ़ा सकेगी।

अधिष्ठाता महोदय, यह जो मैंने संशोधन पेश किया है इसका तातपर्य यह है.....

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---इसमें मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इस संशोधन का यह जो अंश है "यह समिति अपनी परिधि भी बढ़ा सकेगी।" इसके साथ यह संशोधन इस स्टेज पर पेश नहीं किया जा सकता। मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम १३२ की ओर श्रीमन् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि "इस प्रक्रम पर विधेयक में संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे किन्तु यदि विधेयक भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाय या उस पर राय जानने के लिये उस तिथि तक, जो प्रस्ताव में दी गयी हो परिचालित किया जाय," इसलिये इस संशोधन में उसकी परिधि बढ़ाने के लिये नहीं कहा जा सकता। केवल प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार पहले भी व्यवस्था दी जा चुकी है और उन्होंने यह आज्ञा दे दी है कि इस प्रकार का जब कभी कोई प्रस्ताव आये प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति का तो उसमें कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव कर सकता है। यह नियमावली में चाहे स्पष्ट न लिखा हो कि परिधि बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय, लेकिन जो स्वतः अधिकार संयुक्त प्रवर समिति के होते हैं उनके मुताबिक इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था पहले माननीय अध्यक्ष द्वारा हो चुकी है। यह नया प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वे अधिक जोर न दें ताकि इस पर किसी प्रकार की बात करना स्थगित हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि जो संशोधन है वह नियमों के अनुसार है, क्योंकि इस सदन को अधिकार है कि वह किसी भी समिति को अधिकार दे और निर्देशन दे कि किस प्रकार समिति कार्य करेगी और किस क्षेत्र तक वह जा सकेगी।

श्री सूरतचन्द रमोला—तो मैं यह कह रहा था कि टेहरी-गढ़वाल स्टेट जब सन् १९४९ में इस प्रदेश में विलीन हुई तो वहां कुछ नियम और कानून थे जो वहां पर पहले से लागू थे। एडाप्टेशन आफ लाज ऐक्ट के मुताबिक उनमें से कुछ कानून वहां रखे गये हैं और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक रेपील किया गया है। अधिष्ठाता महोदय, उसके कुछ अंश की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। टेहरी-गढ़वाल एप्लीकेशन आफ लाज आर्डिनेन्स बिल, १९५९ में एक शेड्यूल तो यह है जिसके मुताबिक भारत सरकार और इस सरकार के कुछ ऐक्ट उस प्रदेश में लागू किये गये हैं और एक शेड्यूल रेपील्ड ऐक्ट का है जिसमें यह दिया गया है कि फलां-फलां नियम और कानून जो टेहरी-गढ़वाल में पहले से प्रचलित थे वे अब रेपील कर दिये गये हैं। उस शेड्यूल में कुछ ऐक्ट ऐसे थे जो इस प्रकार के नोटीफिकेशन के जरिये से लागू नहीं किये जा सकते थे। मैं श्रीमान् का ध्यान उस शेड्यूल के संख्या ६२ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें इंडियन फारेस्ट ऐक्ट लिखा हुआ है। यह ऐक्ट इस प्रकार के नोटीफिकेशन से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट किस भू-भाग पर किस प्रकार लागू किया जायगा वह उसी में दिया हुआ है। इसके लिये मैं इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ के सेक्शन ४ को पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"4. (1) Whenever it has been decided to constitute any land a reserved forest, the Provincial Government shall issue a notification in the official Gazette—

(*a*) declaring that it has been decided to constitute such land a reserved forest;

(*b*) specifying, as nearly as possible, the situation and limits of such land; and

(*c*) appointing an officer hereinafter called "the Forest Settlement Officer" to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within such limits, or in or over any forest-produce, and to deal with the same as provided in this Chapter."

इसके बाद मैं सेक्शन २० पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है—

"20. (1) When the following events have occurred, namely :

notification declaring forest reserved.

(*a*) the period fixed under section 6 for preferring claims has elapsed, and all claims, if any, made under that section or section 9 have been disposed of by the the Forest Settlement-officer;

(*b*) if any such claims have been made, the period limited by section 17 for appealing from the orders passed on such claims has elapsed, and all appeals, if any, presented within such period have been disposed of by the appellate officer or Court."

तो जब तक सेक्शन ४ का नोटीफिकेशन न हो जाय, उस पर आब्जेक्शन्स न लिये जाय, बाकायदा उनकी हियरिंग न हो और उसके बाद सेक्शन २० का नोटिफिकेशन न हो जाय तब तक यह ऐक्ट इस प्रकार के नोटीफिकेशन से लागू नहीं किया जा सकता चूंकि कुमायूं डिवीजन या उत्तराखंड डिवीजन के जो नये जिले बनाये गये हैं वहां का जन-जीवन ज्यादातर इस ऐक्ट के रूल्स और इसके फ्रेमवर्क पर ही आधारित है और यदि यह गलत तौर से वहां लागू किया गया तो मैं यह समझता हूं कि वहां पर केआटिक कंडीशन हो जायगी। इसलिये लोगों के राइट्स फारेस्ट में क्या होंगे, वहां रिजर्व फारेस्ट कहां रहेगा और कहां नहीं रहेगा यह विषय विचारणीय है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया बैठें, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सूरतचन्द रमोला—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस प्रकार से फारेस्ट ऐक्ट सिर्फ नोटीफिकेशन कर देने से किसी भू-भाग पर लागू नहीं किया जा सकता है । इसी तरह से बहुत से ऐक्ट्स उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और भारत सरकार के भी हैं जो वहां लागू नहीं किये जा सकते हैं और जो ऐक्ट पुरानी टेहरी गढ़वाल स्टेट के रिपील किये गये हैं जैसे पंचायत फारेस्ट ऐक्ट था, कुमायूं डिवीजन में तो दूसरा ऐक्ट है लेकिन टेहरी गढ़वाल के लिये इसके स्थान पर और कोई ऐक्ट नहीं है । इंडियन फारेस्ट ऐक्ट वहां के एक हिस्से पर तो लागू है लेकिन कल्टीवेटेड लैंड और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के बीच की जो जमीन है उसके लिये कोई नियम नहीं है ।

श्रीमन्, आज दस साल हो गये वहां बगैर किसी नियम के उनका कटान बहुत बुरी तरह से किया जा रहा है और उसको रोकने के लिये कोई कानून इस समय नहीं है और न उसके बनाने की ही कोई कोशिश की गई है । मैं यह अर्ज करूंगा कि इस प्रकार के एप्लीकेशन आफ लाज बिल की कोई डिटेल नहीं दी गई है कि कौन-कौन कानून हैं बल्कि यह दिया गया है कि रूल्स रेगूलेशन्स और ऐक्ट जो वहां लागू थे वह लागू माने जायेंगे । मैं यह अर्ज करूंगा कि एप्लीकेशन आफ लाज बिल बहुत से वहां लागू नहीं किये जा सकते हैं बल्कि उनके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, इसीलिये मैंने प्रस्ताव रखा है कि अगर यह बिल इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तो मैं समझूंगा कि वहां पर हम लोग ज्यादा डिटेल्स में डिसकस कर सकेंगे और वहां पर बहुत सी बातों को हम समझ सकते हैं । जो कानून हम वहां लागू करने जा रहे हैं चाहे नये इलाके हों, चाहे पुराने इलाके हों, उनमें कैसे लागू किये जायेंगे, यह बात देखने की है । इस समय मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के ऐक्ट जो टेहरी-गढ़वाल में लागू हैं जैसे टेनेन्सी ला है और घर रात के नियम हैं इनका कोई प्राविधान नहीं है । हमारे सामने जो बिल प्रस्तुत है उसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि कुमायूं डिवीजन में जो रूल्स, रेगूलेशन्स और ऐक्ट्स लागू थे वह आयंदा भी लागू रहेंगे । बहुत से ऐक्ट्स जो टेहरी गढ़वाल में लागू थे वह कुमायूं डिवीजन में लागू नहीं थे । उनके लिये इस प्रस्तुत विधेयक में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसलिये भी यह अत्यन्त जरूरी है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि वह इसकी रूपरेखा निर्धारित करे और ठीक ढंग से इसे सदन में प्रस्तुत करे ।

(इस समय ३ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक और अर्ज कर देना चाहता हूं । २४ फरवरी, १९६० के जिस नोटीफिकेशन द्वारा उत्तराखंड बनाया गया है, वह एक छोटा सा हिस्सा है । इस हिस्से से टेहरी-गढ़वाल का वह भाग जो इससे मिलता है, चमोली और उत्तर काशी के बीच की ये पट्टियां, जिनकी परिस्थितियां बिलकुल समान हैं, वे भी इस में सम्मिलित की जा सकती हैं । इससे उनका लिंक भी मिल जायगा । इस प्रकार निलंग, बासर धापीकठूर जो टेहरी गढ़वाल के भाग हैं, इसमें वह भाग मिलाया जा सकता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पोजीशन को देखें, यदि यह हिस्सा लिया जा सकता हो, तो उसको लाने की कोशिश करें ।

एक और अर्ज कर देना चाहता हूं, उत्तराखंड डिवीजन के जिले तो बन चुके हैं और मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि हमारी कुछ सांस्कृतिक परम्परायें हैं हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, इसलिये कुमायूं और उत्तराखंड अलग-अलग न करें, दोनों एक डिवीजन में शामिल किये जायं, तो अति उत्तम होगा और मैं समझूंगा कि जिस प्रकार यहां हम लोग आपस में देख के रहते हैं, मैं समझता हूं कि यह हम लोगों के लिये बहुत जरूरी है । दो, आठ

[श्री सूरत चन्द रमोला]

तो कल सरकार को जरूर करना पड़ेगा। यों इसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो या सामान्य जीवन से सम्बन्ध हो, दोनों दृष्टियों से दोनों डिवीजन एक डिवीजन में मिलाये जाने चाहिये। इन कारणों से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि इसकी छानबीन उचित ढंग से की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय प्रताप सिंह, आप का जो संशोधन है इसका पहला भाग तो माननीय सूरतचन्द रमोला के संशोधन में समावेश हो गया ही है। अन्त का जो भाग है और जो अपना प्रतिवेदन १ मई, १९६० तक प्रस्तुत कर देवे। इसको आप माननीय सूरतचन्द रमोला के संशोधन में संशोधन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सूरतचन्द रमोला का जो संशोधन है उसमें यह संशोधन पेश करता हूं---

"यह प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १ मई, १९६० तक प्रस्तुत कर देवे।"

मान्यवर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधेयक, १९६० जो आज इस सदन में प्रस्तुत किया गया है इसके सिद्धांत का हम स्वागत करते हैं और इसकी महत्ता को भी हम समझते हैं। लेकिन मान्यवर, प्रवर समिति को क्यों भेजा जाय, उसके कई कारण हैं। मान्यवर, सबसे पहले इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं, समिति के लिये इसमें साफ होना चाहिये कि उत्तराखंड डिवीजन की क्यों आवश्कता पड़ी। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि वहां की सुरक्षा के लिये आवश्यक था कि एक डिवीजन की स्थापना की जाय। लकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार यह डिवीजन आज बने हैं उसके लिये आवश्यक है कि हम प्रवर समिति में बैठें और विचार-विमर्श करें और वह इसलिये कहता हूं कि उत्तराखंड में केवल तीन जिले इसलिये नहीं बनाये गये हैं कि केवल डिफेंस का सवाल है बल्कि वहां की समस्या तिब्बत और चीन से हिन्दुस्तान के रिश्ते में जब से खराबी आयी है तब से एक विकट समस्या हो चुकी है और यदि मैं यह कहूं कि केवल आज सुरक्षा का मामला ही नहीं है बल्कि वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा वहां के विकास सम्बन्धी तमाम मामलों का प्रश्न आज हमारे सामने है तो कोई अनुचित न होगा।

माननीय मंत्री जी से हम यह उम्मीद करते थे कि वह प्रत्यक्ष रूप से हमें बताते कि उत्तराखंड के जो तीन जिले बने हैं उसमें उन्होंने कौन कौन से हिस्से शामिल किये हैं केवल बिल में यह लिख देना कि उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जिलों से युक्त उत्तराखंड नाम का एक नया डिवीजन २४ फरवरी, १९६० से बनाया गया है, काफी नहीं है। आदरणीय सदन के सामने यह प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिये कि कौन कौन से हिस्से चमोली के हैं, कौन से हिस्से पिथौरागढ़ के हैं, कौन से उत्तरकाशी के हैं? आदरणीय सदन मंत्री जी से यह आशा करता है कि जो लोग जिस किसी भी हिस्से से आते हैं, वह समझें कि वहां पर क्या व्यवस्था हो रही है। मुझे यह कहते हुये दुख हो रहा है कि यह विज्ञप्ति हमारे सामने आयी, उसके बाद आवश्यक था कि जो वहां पर हमारी कमेटीज हैं जो गवर्नमेन्ट ने बनायी है वहां के विधायकों और अफसरों की डिवीजनल प्लानिंग कमेटी कहिये या डिवीजनल प्लानिंग बोर्ड कहिये, उसकी बातों को सुनते जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग के सिलसिले में उन सारे लोगों को बुलाकर उनको सुना और उनको समझाने की कोशिश की, ठीक वहीं व्यवस्था यहां भी करनेकी जरूरत थी। सरकार की ही बनायी हुई उस कमेटी के सामने मुख्य मंत्री जी आते और वहां के विधायकों और अफसरान की जो मिली जुली कमेटी सरकार ने बनायी है उसको इसके सम्बन्ध में पूछते। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा आसमान जमीन पर आ जाता अगर आप इस विधेयक को लाने से पहले उस कमेटी से---रीजनल प्लानिंग कमेटी कहिये या डिवीजन प्लानिंग कमेटी कहिये---उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमेटी से राय ले लेते। केवल यहां बैठे हुये अफसरों की राय लेकर वहां की समस्या हल नहीं की जा सकती। वहां की समस्या केवल इन तीन जिलों के बना देने से ही हल नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि जहां के लिये ये तीन जिले बनाये हैं सरकार डिफेंस की बात करती है ठीक है, डिफेंस होना आवश्यक है, लेकिन जो वहां रहते हैं, अगर वहां की ढाई लाख जनता का विकास नहीं हुआ, औद्योगीकरण नहीं हुआ, गरीबी नहीं मिटी तो मैं समझता हूं कि आपका डिफेंस यह अधूरा है ।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों हम इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं। पियौरागढ़ आपने बनाया। क्या आवश्यकता थी कि चम्पावत और लोहाघाट और टनकपुर को छोड़ दिया? मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दूसरे मन्त्री जी जो उनके पड़ोस में बैठे हुए हैं उनसे वह पूछ लें, तस्लीम करेंगे वह इस बात को। आज टनकपुर से सारी आरमी आपकी जायगी, सारा सामान जायगा और वहां के इलाके को आपने उस जिले में शामिल नहीं किया। चम्पावत और लोहाघाट की हालत पियौरागढ़ की तरह से है। उसे भी क्यों नहीं मिलाया गया? माननीय मन्त्री जी इसको साफ करें। कोई जल्दी की बात नहीं है, प्रेस्टिज का भी सवाल नहीं है। अगर आपने इस विधेयक को आज ही पास कर दिया इसी रूप में तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार की जो मंशा है जिसका हम भी स्वागत करते हैं वह मंशा उनका अधूरा रह जायगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि पियौरागढ़ के साथ-साथ चम्पावत और लोहाघाट और टनकपुर वगैरह को भी जोड़ा जाय। साथ ही माना और पिंडारी ग्लेशियर जो बार्डर से २५ मील की दूरी पर हैं उन्हें क्यों नहीं रखा गया? हम यह तो नहीं कहते कि हम उस क्षेत्र से आने वाले हैं इसलिये हम लोग वहां के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन कम से कम आपके लखनऊ में बैठे हुए अफसरों से तो ज्यादा ही जानते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी उनसे ज्यादा है।

सरकार पर मेरा यह चार्ज है, एक ओर तो आप जनतंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरी ओर आपने एक जनतांत्रिक तरीके से जो बाडी बनायी है उसकी राय भी लेना मंजूर नहीं करते। बार्डर एरिया लेजिस्लेटिव मेम्बर्स एसोशियेशन की बात अगर मैं करूं तो आप कहेंगे कि हम उसको रेकग्नाइज नहीं करते। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उसको रेकग्नाइज किया है। सीमावर्ती विधायक संघ ने जो अपनी रिपोर्ट दी, वह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी दी, पार्लियामेंट को भी दी और पंडित जवाहर लाल नेहरू को भी दी, हमें खुशी है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमें उसका जवाब भी दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठे हुए मुख्य मंत्री और कैबिनेट के और लोगों ने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि हमारे सवालों का वह जवाब भी दें। अगर हम यह कहें कि हमने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसी के आधार पर गवर्नमेंट मजबूर हुई कि वह कोई न कोई पालिसी वहां के लिये बनाये, तो कोई अत्युक्ति न होगी। यहां इसी सदन में बार्डर पर डिबेट के समय बहुत से वायदे गवर्नमेंट ने किये लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। कहते हैं कि डिफेंस के लिये आरमी वहां भेजी जा रही है। हम बराबर सुनते हैं कि आरमी जा रही है लेकिन वह वहां पहुंच नहीं पा रही है, पता नहीं कहां रास्ते में रुकी हुई है और सामान कहां से जायगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक अधूरा है। इसके लिये एक काम्प्रीहेंसिव बिल की आवश्यकता है। वह इसलिये कि आज कुमायूं के जितने भी जिले हैं, जैसे नैनीताल का उत्तरी क्षेत्र है, मैं पूरे नैनीताल जिले के इसलिये नहीं कह रहा हूं कि आप कहेंगे कि मैं पार्टी पालिटिक्स की बात कर रहा हूं, अल्मोड़ा है, गढ़वाल है, टेहरी-गढ़वाल है और देहरादून का चकराता वाला हिस्सा, ये साढ़े चार जो जिले हैं इनकी तमाम की एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि सामूहिक विचार हो, अगर आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा की एक सुदृढ़ पंक्ति बन सके तो आवश्यकता है कि चकराता और देहरादून की तहसील, अल्मोड़ा,

[श्री प्रतापसिंह]

गढ़वाल और टेहरी नैनीताल और यह टनकपुर का सारा इलाका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में होना चाहिये। एक ओर तो हमसे कहा जाता है कि सरकार वहां पर विकास करने की कोशिश कर रही है लेकिन दूसरी ओर चाहती है कि इस इलाके के इतने हिस्से कर दिये जायं। हमसे कहा जाता है कि हम सुरक्षा के लिये यह सब कर रहे हैं। मगर इससे सुरक्षा क्या होगी जब कि आप एक डिवीजन के कई हिस्से कर रहे हैं। अगर यह एक ही कमिश्नर के अन्डर इलाका रहता तो इसमें कौन सी परेशानी सरकार को आ जाती।

तीन जिले बनाये गये हैं हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन यह हमारी मांग है कि अ.प हमारी बात पर भी गौर करें। आपने उत्तराखंड कमिश्नरी बना दी जिसके लिये आप चाहते हैं कि कुमायूं के सारे कानून वहां पर लागू हों लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या उसका सर्वेक्षण किया? मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड के इलाके में आदमी कम रहते हैं। वहां पर जमीन का क्षेत्र ज्यादा है। वहां पर पहाड़ी शिखरों का क्षेत्र है जहां पर बरफ ज्यादा रहती है। पौधे पत्ते वहां पर पैदा नहीं होते हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की थी देश की सुरक्षा की दृष्टि से वह सारा ३२० मील का बार्डर इधर से लेकर उधर ऊपर तक एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अन्दर रखते। इससे वहां की जनता का विकास होता। टनकपुर और उत्तर काशी की जितनी जनता है और अल्मोड़ा से लेकर टेहरी तक जितनी जनता है उस सब का कल्याण होता। सरकार कहती है कि हमारी आर्मी जायगी और सड़कों को वहां पर बनाया जा रहा है। यह तो सरकार अपनी सुरक्षा के लिये कर रही है। देश का भला सरकार नहीं चाहती है और वहां की जनता का विकास करने नहीं जा रही हैं। यदि वहां की जनता का विकास नहीं किया जाता है तो यह सरकार के लिये गलत बात होगी। मैं सरकार पर यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि यह जो उत्तराखंड विधेयक आ रहा है इससे उनका लाभ नहीं होगा। इसके सम्बन्ध में दि लैंड आफ दि भोटियाज की एक रिपोर्ट जो सन् १९५२ में तैयार की गई थी उसमें ध्यान आकर्षित किया गया है कि यह जो भोट का जितना इलाका है उसमें किस तरह से विकास करना चाहिये। सन् १९५२ में भोटिया इलाके के सम्बन्ध में इसमें विचार प्रकट किये गये हैं। उस समय जो वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब थे उनके द्वारा वहां का सर्वेक्षण कराया गया था। उन्होंने कहा है कि इस इलाके की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन यह सरकार तब से लेकर अब तक सोती रही। उन्होंने कहा है कि :—

"The Political upheavals in the border land have brought this issue to the fore-front. Almost every department is preparing a scheme for the development of the Bhot area but there is no consolidated plan available. Indeed it is surprising that the district plan preppared by the district planning committee recently contains absolutely no items for the development of this area."

उन्होंने कहा है कि यहां पर राजनैतिक सम्मान ऐसा स्थापित हो रहा है कि जिसके कारण इस भोटिया इलाके की ओर और इनकी समस्याओं की ओर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाना चाहिये। तब से लेकर आज तक सरकार के विभागों ने वहां के लिये क्या विकास की योजना तैयार की है यह आश्चर्य की बात है। सब जानते हैं कि सन् ५२ से लेकर अभी तक कोई वहां के लिये स्कीम नहीं बनाई। उस रिपोर्ट में फिर आगे ध्यान आकर्षित किया गया है किन्तु यह सरकार वहां की २२॥ लाख जनता के लिये कल्याण की बात नहीं सोचती है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। उसमें उन्होंने कहा है कि :—

"The Red Star is looming large on our horizon. The inhabitants of the bordering areas are ethnically and racially one with those across the border. Bonds of blood sometimes prove strongest. The Tibetans have not yet given

up their claims over the Bhot Pattis. Poverty is the biggest ally to communism and economic prosperity the greatest bulwark against it. It is against that background that an all out effort to improve the condition of the Bhotias has become an urgent necessity now."

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जो कम्युनिस्ट के लिये कहा जाता है कि वे देश के विरोधी-तत्व हैं तो उस समय ही इसकी तरफ ध्यान दिलाया गया था। उस समय उन सब मर्जों की दवा जो बतलाई थी वह यही कि वहां की जनता बहुत गरीब है, उनकी गरीबी को मिटाना चाहिये। अगर उनकी गरीबी मिट जाय तो वहां रक्षा हो सकती है। यहां पर रोज रिपोर्ट पेश होती है कि बार्डर एरिया के लिये इतना रुपया केन्द्रीय सरकार से मांगा गया है। कल ही मैंने सवाल पूछा था तो उसके जवाब से ज्ञात हुआ कि १९५९-६० में और भी कम रुपया वहां के लिये व्यय किया गया है। १९५८-५९ में वहां पर उद्योग के लिये ९ लाख खर्च किया गया था लेकिन १९५९-६० में ५ लाख खर्च किया गया है। सरकार कहती है कि वहां पर अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन देखने से मालूम होता ह कि कम खर्च किया जा रहा है।

सरकार कहती है कि यह विधेयक वहां की उन्नति के लिये लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि महज तीन जिलों को मिला देने से और एक ऐक्ट पास कर देने से वहां का भला नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और इसमें कोई प्रेस्टीज का सवाल नहीं है। यह मुल्क की सुरक्षा का सवाल है और इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम और आप बैठें और पता लगायें कि कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं कि जिनको और इस में शामिल किया जा सकता है। जैसा मैंने पिथौरागढ़ के बारे में बतलाया, वैसे ही मैं चमोली के बारे में कहना चाहता हूं। उसे मिलाये जाने पर फिर एक जिला बनेगा और इसलिये मेरा सुझाव है कि इसको प्रवर समिति मे जाना चाहिये। चमोली में धनपुर पट्टी को शामिल नहीं किया गया और उत्तरकाशी में भदरा, नौगढ़ रमोली, आदि को शामिल नहीं किया गया। उधर रमोला साहब बैठे हैं, लेकिन वह शायद गलत जगह बैठने के कारण ही उसे भूल गये, उनको स्मरण नहीं रहा। यह इलाका इसमें नहीं मिला। या तो माननीय मंत्री जी इस के लिये विधेयक में संशोधन स्वीकार करें कि ये इलाके मिलाये जाने चाहिये या फिर इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और वहां इस पर ठंडे दिल से विचार हो। मुख्य मंत्री जी कुछ अंश में स्वीकार करते हैं कि यह केन्द्र का मामला है। मैं केन्द्र में पहुंचा और माननीय गोविन्द वल्लभ पंत जी से मिला और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उनकी राय है कि इसमें यह इलाके मिलाये जाने चाहिये। मैं नहीं जानता कि हमारे मंत्री जी केन्द्र के किस मंत्री से बात-चीत करते हैं। मैं जाता हूं और वहां के गृह मंत्री से बात करता हूं तो उनकी राय यह है कि कपकोट का इलाका मिलाया जाना चाहिये। यह उन्होंने इसी चार तारीख को कहा। लेकिन यहां विधेयक ले आया जाता है और हम से कहा जाता है कि इसको पास कर दो। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---समय कम है इसलिये आप संक्षेप में ही निवेदन करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत-सी बातें हैं और हम पहले आइटम पर ही काफी डिस्कशन कर सकते थे लेकिन उसे करटेल कर दिया इसलिये कि इस पर काफी बात हो सके। हम उस पर भी काफी तैयारी कर के आये थे, लेकिन हम इस पर ही बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह आज ही पास होना है। आपका भी नम्बर आ रहा है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, यह तो निश्चित हो चुका है कि यह आज ही समाप्त करना है। वहां पर तो ला-लेस स्टेट का रहना ठीक नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी इस आदरणीय सदन में, गैर-जिम्मेदाराना तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कैसे गलत सूचना दे रहे हैं। अगर वहां ला-लेस स्टेट होती तो इस बिल के यहां आने के पहले ही वहां पुलिस भेज दी जाती और धारा १४४ लग जाती। क्या वहां आज धारा १४४ लगी हुई है? वहां तो पीस लविंग

[श्री प्रतापसिंह]

इंसान रहते हैं। इस तरह की बात कर के जो आप यह विधेयक पास करवाना चाहते हैं यह गलत है और इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इस पर आप अधिक से अधिक सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करें। इस में देश की सुरक्षा का सवाल है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, यह तय नहीं हुआ है कि यह आज ही समाप्त हो जायगा। ऐसी बात कहीं नहीं आयी।

श्री उपाध्यक्ष—आ गयी है। आप बीच-बीच में खलल न डाला करें।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अगर हम बार्डर एरिया का सच्चे मानों में सुधार करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम वहां की आर्थिक स्थिति सुधारें। वहां की आर्थिक स्थिति खेती पर निर्भर करती है और वहां इस सम्बन्ध में क्या काम हुआ है यह सरकारी रिपोर्ट पढ़ने से ज्ञात हो जायगा। आपकी आज्ञा से मैं उसे थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कहना चाहता हूं कि आप विधेयक के बाहर की बातों पर बहुत जोर दे रहे हैं। इसमें बहुत संक्षिप्त विषय है, इसी पर रहिये।

श्री प्रतापसिंह—अभी उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिये हम तमाम चीजें ले रहे हैं इस विधेयक में और जितने कानून कुमायूं में लागू हैं वे सब वहां लागू हो जाना चाहिये। यह विधेयक तो ५ मिनट का है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा आदि के बारे में बहुत कुछ कहा और इसलिये मुझे अगर आपकी आज्ञा हो तो उन बातों का जवाब देने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—आप संक्षेप में कहिये। इतने विस्तार में नहीं जाना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह—मैं कानून पर ही आता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात यह कही कि वहां के लिये जो कानून है उसको हम उत्तरा खंड में लागू करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि वह कानून आज आउट आफ डेट हैं। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि कौन सा फारेस्ट ऐक्ट है जिसको वह वहां पर लागू करेंगे। लालेसनेस तो सरकार की तरफ से है। वहां पर कोई फारेस्ट ऐक्ट न हो और फारेस्ट रूल्स लागू हों, तो यह कहां तक उचित है।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं और बार्डर डिस्प्यूट की डिबेट जब हुई थी उस समय भी कहा गया था कि वहां पर एक देशद्रोही पार्टी ने अपना दफ्तर भी खोल दिया है आज जो आप कानून बनाते हैं उनके जरिये इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे लोग वहां पर न जा पायें ताकि विरोधी भावना वहां पर न फैल पाये। मुझे शक है कि सरकार का उस पार्टी के साथ कोई गठबन्धन हो गया है इसलिये कि सरकार रूस और चीन से सहायता लेना चाहती है। हम भूखे रह सकते हैं, मान्यवर, और मुल्क की सुरक्षा के लिये हमारे सामने रोटी का सवाल भी कोई सवाल नहीं है। आज जो आपने जिले बनाये हैं अगर वहां पर यातायात के साधन नहीं होंगे तो जो कानून आप वहां पर लागू करना चाहते हैं वह लागू नहीं हो पायेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप टनकपुर से बागेश्वर तक एक रेलवे लाइन बनाई जाय जिससे हमारे आफिसरान जो इस कानून को लागू करने के लिये गये, वे वहां सुविधापूर्वक जा सकें और उनको कोई कठिनाई न हो।

श्री रूपसिंह—इस समय कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, यह छठी बार है जो कोरम नहीं है। आपने एक बार कहा था कि अगर ३ बार कोरम नहीं होगा तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। यह आपकी रूलिंग हो चुकी है। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—मेरे समक्ष तीन बार होना चाहिये। (हंसी)

(गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, ऐक्ट में जो बातें हैं, मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा, उनके लिये यह आवश्यक है कि इसको एक तो सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और दूसरे उस डिवीजन के लिये जो प्लानिंग कमेटी बनायी गयी है उसकी बैठक अविलम्ब बुलायी जाय।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं, श्रीमन्, कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया उसे सुन कर मुझे बड़ी हैरत हुई। यह जो तीन जिले हैं यह जिन्दा नहीं रह सकते जब तक कि वहां के लिये एक प्लानिंग सही तरीके से न हो। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा रखी गयी है उसमें कहीं भी बार्डर का नाम नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आपने जो यह दो कमिश्नरी बनायी हैं इनकी जगह आपको एक ही कमिश्नरी बनानी चाहिये। इसके सम्बन्ध में वर्षों के रेकार्ड्स हमारे हैं, जजमेंट हैं, तमाम कागजात हैं, इन सब में आपको काट छांट करनी पड़ेगी और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब आप यह कहेंगे कि उत्तराखंड तो हमने इमरजेन्सी पीरियड के लिये बना दिया था अब इसको बदलना चाहिये। तो हमें कुमायूं के लोगों की भावना को भी देखना होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख जाना चाहिये जहां पर ठंडे दिल से इस पर विचार हो सके। हमें जल्दी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। हमें गम्भीरता के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है। इस स्थिति पर सोचिये क्योंकि यह केवल अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी के लोगों का सवाल नहीं है बल्कि सारे प्रदेश के लोगों का सवाल है। जो यहां पर देश-द्रोही तबका फैल गया है, वहां पर एक विशेष विंग कम्युनिस्ट पार्टी का खुला हुआ है, सरकार उस पर ध्यान दे इससे आपके जो जिले बन रहे हैं वे भी सुरक्षित रहेंगे। अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में खास-खास बातें कहें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—शुरू करने से पहले मैं यह अपील करना चाहता हूं कि इसको करटेल न किया जाय क्योंकि यह बड़े महत्व का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोगों की तरफ से पहले तो समझौता हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—किसने किया है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—समझौता कभी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—आप भाषण दीजिये।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह नया बिल यहां आया है उसपर मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं:

"उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो जिसमें जिलों की सीमा तथा संख्या परिवर्तन भी शामिल है तथा जो १ सप्ताह के भीतर इस सदन के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जावेंगे।)"

मान्यवर, अभी इस आदरणीय सदन में मान्यवर प्रतापसिंह जी तथा रमोला जी ने जो बातें कही हैं वे काफी हद तक ठीक हैं। जहां तक इन नये जिलों के संगठन और निर्माण का प्रश्न है उसके लिये सबसे पहले एक नोटीफिकेशन निकाला गया और वह नोटीफिकेशन इस प्रकार है :--

"All suits, cases or other proceedings instituted, commenced or pending on the twenty-third day of February, 1960, before any court, officer or authority having jurisdiction over that portion of the area of the Kumaun Division which is now included in the Uttarakhand Division, shall, with effect from the 24th day of February, 1960, be deemed to have been transferred to and continue to be heard and disposed by, the Court, office or Authority as the case may be having jurisdiction over such area of the Uttarakhand Division."

यानी २४ फरवरी के बाद जो इसमें अधिकारी हैं वे जो मुकदमे सुन रहे होंगे वे सब ट्रांसफर्ड समझे जायेंगे और इसके साथ ही यह भी आर्डर्स हैं कि "अन्टिल फर्दर आर्डर्स' सारे आफिसरान पुराने जिलों के उन जिलों के भी रहेंगे जो नये बनने वाले हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अल्मोड़ा, सुपरिन्टेन्डेन्ट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस रहेंगे, इसी तरह से एस० डी० ओज० और एस० डी० एम्स० के लिये भी बात है। सब को यह ताकत दी गई है कि ट्रांजिशनल पीरियड में जब तक नया सेट-अप न हो जाय तब तक नये जिलों और नयी तहसीलों के लिये भी वही रहेंगे तो विचारने की चीज यह है कि यह लैकुना कैसे मेक-अप कर सकेंगे। यानी जो केसेज २३ फरवरी तक चले हैं या चल रहे हैं वह सब ट्रांसफर्ड समझे जायेंगे नये जिलों के एस०डी०एम्स०के पास अगर इसका मंशा मैं ठीक समझा हूं। यह लैकुना रहेगा और इसको ठीक करने की जरूरत है कि कैसे वह ट्रांसफर्ड होंगे यानी पुराने नोटीफिकेशन के मुताबिक आप कह रहे हैं कि २४ तारीख को होना चाहिये, ट्रांसफर और दूसरी तरफ कहा रहे हैं कि जब तक सेट-अप नया न हो जाय तब तक सारे आफिसरान वही रहें जो पुराने जिलों के हैं। अब जो पुरानी अदालतों में केसेज रह जायेंगे तो वह कैसे ट्रांसफर्ड होंगे, यह लैकुना है। इसको मंत्री जी देख लें।

अब इसके बाद जो माननीय प्रतापसिंह जी ने और रमोला जी ने फारेस्ट रूल्स वाला यानी जो पहले शिड्यूल्ड ऐक्ट था वह रिपील हो गया है। वह चलते नहीं। और शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अधीन हमने नया ऐक्ट बनाया नहीं, रूल्स बनाये नहीं और जो पहले से लागू हैं उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई उतावली की बात नहीं है। अगर हाई कोर्ट में चला गया तो सारे का सारा खत्म हो जायगा। यहां पर सरकार हमेशा जल्दी करती है और हमारी बात को नहीं मानती। हमारी बात को चाहे बाद में हाई कोर्ट माने लेकिन सरकार कभी नहीं मानती। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इसको और गौर से देखने की जरूरत है। तो जो यह उत्तराखंड डिवीजन बना है, मैं निवेदन कर दूं कि इसमें चार जलों का वर्णन है। इधर की फीगर्स मेरे पास नहीं है लेकिन सन् ५१ की सेन्सस के अनुसार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में फीगर्स बता सकता हूं। वहां पर सात लाख और कुछ हजार आबादी थी अल्मोड़ा जिले में और अब नया जिला पिथौरागढ़ की आबादी २,२१,४०० है। इसमें चार तहसीलें बनेंगी। पिथौरागढ़ तहसील की आबादी ७६,५३४ है, धारचूला तहसील की आबादी २३,२२६, मुंसियारी तहसील की आबादी २४,९२० और तहसील डीडीहाट की आबादी १७,७४० है। इस तरह से पूरे नये जिला पिथौरागढ़ की आबादी २,२१,४०० है और ५,५१,४८० की आबादी वाला जो क्षेत्र है उसे अल्मोड़ा जिला घोषित किया गया है। तो यह जो व्यवस्था हो गई है इसका मैं स्वागत करता हूं, इससे लोगों को सुविधा होगी। लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ हलकों के लिये जैसे बाबल छीना और बेड़ी नाग के लिये डीडीहाट में अदालत रखी गई वह बहुत फासले पर पड़ती है और वहां जाने के लिये कोई मोटर रोड भी नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह डिवीजन किसी सिद्धान्त पर नहीं रखा गया। जिस तरह से कैपिटल एम० होता है उसी तरह से सरकार ने डिवीजन किया है, उसमें कोई सिद्धान्त नहीं मालूम होता। श्रीमन्, अभी हाल में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सीमान्त क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विकास कार्य की प्रगति के हेतु तीन जिलों का निर्माण किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यवस्था से सीमा की सुरक्षा हो सकेगी? हो सकता है कि मेरी राय उनसे पूरी तौर पर न मिले लेकिन मोटे तौर पर तो कुछ साथ होना चाहिये। लाथल और समचा मल्ला जो कि वहां से केवल २५-३० मील की दूरी पर है उसको छोड़ दिया गया है। हमारा नया निर्माण कार्य कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिये जिससे हम शत्रु को मौके से दबा सकें, रोक सकें। दूसरी तरफ क्या तमाशा किया गया है कि करीब १५० मील नीचे रामेश्वर और पंचेश्वर की जगह पूरब में ले ली गई। मैंने जिलाधीश से पूछा कि किस सिद्धांत पर आपने नयी तहसील बनाई तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आये जो गोपनीय हैं बाकी के लिये हमने सोचा कि एक-एक तहसील ले लें। उसमें क्या किया गया कि अल्मोड़ा जिले की दो पट्टियां पल्लाखीगांव और तल्लाखीगांव ले ली गईं। विधान परिषद् में, मैंने अखबार में पढ़ा....

श्री उपाध्यक्ष—दोनों हाउस डिफरेंट हैं और अपनी-अपनी राय रखते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह भी आदरणीय सदन है। मैं उस सदन की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यह बताना चाहता था कि मंत्री जी ने वहां क्या कहा। उन्होंने कहा कि २,४,५, गांव ले लिये, उसका नाम है अड़थीगांव। शायद माननीय मंत्री जी के लोगों ने उन्हें यह समझा दिया कि अड़थीगांव का मतलब होता है ८ गांव। ऐसा नहीं है। कोई नैचुरल बाउन्डरी भी उसको नहीं रखी गई है। मैंने और लगभग ५० सदस्यों ने जिनमें डाक्टर जयगोपाल जी जैसे सदस्य भी हैं हम लोगों ने बड़ी मेहनत से उत्तराखंड का नक्शा बनाकर माननीय मंत्री जी के पास भेजा है। उसमें बड़े सुन्दर सुझाव दिये हैं। एक तरफ पूरब में जहां नैपाल की सरहद मिलती है वहां पंचेश्वर तक आप नीचे चले गये और दूसरी तरफ आप पिन्डारी ग्लेशियर से ऊपर चले गये। गढ़वाल में जहां चमोली खत्म होता है वहां एक जगह सराय खेत है। ऊपर में नारायण तिवारी दौराल है। वहां से एक सीधी सड़क बननी चाहिये। अगर सरकार को अल्मोड़ा से हिकारत है और उसका विकास नहीं करना चाहती है तो उसे बाहर रखे। लेकिन किसी सिद्धांत का प्रतिपादन तो करें। इसी तरह से पौड़ी—गढ़वाल का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है। सरयू, गोमती और गौरवगंगा की सीधी लाइन है जिससे जिला दो बराबर भागों में तकसीम होता है। उसी को मान लीजिये। पहाड़ की आबादी कम है लेकिन विस्तार अधिक है। यहां की एक तहसील से २,३ एम० एल० एज भी आ जाते हैं लेकिन वहां इतनी बड़ी तहसील नहीं हैं। आबादी सिर्फ २,६३,००० अल्मोड़ा तहसील में रह जाती है। तो इतना वैषम्य नहीं होना चाहिये।

दानपुर के इलाके की बागेश्वर तहसील बनाने की मांग माननीय मंत्री जी के यहां बहुत पुरानी है, बोर्ड आफ रेवेन्यू से पास है लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेंसस की वजह से हम सीमा का परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन अब तो सीमा का परिवर्तन कर चुके हैं और कई

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

तहसील तोड़ दी है। वहां के लोगों में ऐसा करने से भारी असन्तोष हो गया है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम वहां की इमोशनल इंटीग्रीटी है उसे ही रहने दीजिये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि देश की सुरक्षा के लिये हमें अपनी इमोशनल इंटीग्रीटी बनाये रखनी चाहिये। तब हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये। आप हिमालय डिवीजन या उत्तराखंड डिवीजन भले ही नाम रख लें, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन वहां के लोगों की एक सी समस्या है। आप २ डिवीजन करके भगवान के लिये दुगुना खर्चा न करें। लेकिन उस डिवीजन के अन्दर सब लोगों की एक सी समस्यायें हैं दो डिवीजन करके दुगुना खर्चा आप न करायें। इसमें सब की एक ही राय होगी। माननीय गिरधारीलाल जी ने कहा कि ३५ करोड़ रुपया सड़कों और मकानों पर, खासतौर से सड़कों पर हम खर्च कर रहे हैं, यह बहुत सुन्दर बात है। क्या आप इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे? उन्होंने कहा कि आप साहबान जो कहें वह हम करने को तैयार हैं, कोई सुझाव दीजिये। हम लोगों ने उत्तराखंड के बारे में बहुत से सुझाव दिये लेकिन सब को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि इसमें जो लेक्यूना रह गया है उसको ठीक कर लिया जाय।

आगे इसमें कहा गया है कि हम इस इलाके के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं। तो पिथौरागढ़ में धानपुर ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। इसी प्रकार से चंपावत और बाराम.ला का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। उन इलाकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से आपको डिफरेंशियेट नहीं करना चाहिये उधर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिये। जो आपने नयी तहसील बनायी है—बड़ाऊं, किराऊं, बेल, भेरन, उसमें बाकी धानपुर को और मिला दिया जाय तो एक सब डिवीजन बना दिया जा सकता है। डीडीहार वाले भी इसको पसन्द करेंगे। इस प्रकार की दिक्कतें हैं जिनको दूर किया जाना चाहिये अब तो छट्टी भी हो रही है, इन्हीं दिनों में इस पर विचार-विनिमय भी कर लेंगे और उसके बाद जब अ.दरणीय सदन में आयेगा तो आधा घंटा में हम उसको पास कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—जो बातें कही जा चुकी हैं, माननीय सदस्य उन बातों को न दुहरायें और अगर कहना भी चाहें तो संक्षेप में उन पर प्रकाश डालें।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, उसको उपस्थित करते हुये माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वह किन कारणों से लाया जा रहा है। उत्तराखंड का जो नया डिवीजन बनाया गया है, उसकी कानूनी स्थिति के बारे में कुछ संदेह पैदा हो गया है, इसलिये यह विधेयक पेश किया गया है। क्या ही अच्छा होता यदि सरकार इसके लिये जो विधेयक लायी है, उस पर ही उसे कुछ संदेह हो गया होता कि क्या यह कानून कुछ जनहित कर भी सकेगा या नहीं। यह बात सही है कि यह डिवीजन सामरिक दृष्टि से बनाया गया है न कि प्रशासन की दृष्टि से, इसमें सुरक्षा का दृष्टिकोण मुख्य है और दूसरी बातें गौण हैं और सरकार के अन्दर कोई खाज नहीं पैदा हो गयी थी कि उसने उत्तरा खंड डिवीजन के नाम से एक डिवीजन कायम कर दिया तथा उसके अदर तीन नये जिले कायम-कर दिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर तो इस हाउस में कोई विवाद ही नहीं होना चाहिये। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि यह विधेयक स्टेट्स-को कायम रखने के लिये लाया गया है ताकि कतिपय विधियां वहां प्रवृत्त रहें। जिस पार्टी की यह सरकार है उसने जनता से बड़े-बड़े वादे किये थे। उसने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का वादा किया था, उसने सोशलिज्म लाने का वादा किया था, तो जैसा वादा उसने किया था उसी के अनुरूप सरकार के काम भी होने चाहिये। मैं समझता हूं कि केवल स्टेट्स-को कायम रखने से काम नहीं चलने वाला है। यह विधेयक इसी प्रवृत्ति का द्योतक है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुमायूं डिवीजन में अभी तक जो विधियां प्रवृत्त हैं वे उत्तराखंड डिवीजन में भी प्रवृत्त रहें, इसी ख्याल से यह विधेयक लाया गया है लेकिन वास्तव में कुमायूं डिवीजन में तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक कोई विधि ही नहीं है ।

श्री १ सह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है । सरकारी पक्ष के लोगों को इस विधेयक में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिये इस पर बहस आज स्थगित की जाय और इस पर कल बहस चले तो अच्छा होगा ।

(कोरम की घंटी बजायी गयी ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं विप्ट जी से कहूंगा कि वे किसी माननीय सदस्य को सरहद पर न बैठने दें, अपने नजदीक ही ले आवें । (हंसी)

(गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हरिदत्त काण्डपाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि शेडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट तो रिपील हो गया परन्तु उसमें रूल्स लागू हैं । टिनेंसी की हालत यह है कि वहां टिनेंसी का कोई ऐक्ट ही नहीं है । वहां पर एक कुमायूं स्टेवल मैनुअल नाम की किताब एक साहब की लिखी हुई है, उसी के मुताबिक वहां की टिनेंसी गवर्न होती है । जबकि हमारे दरवाजे पर दुश्मन खड़ा हो और हमारा दरवाजा खटखटा रहा हो तो स्टेट्स—को मेन्टेन करने से काम नहीं चलेगा । आपको यह देखना पड़ेगा कि केवल अपनी फौज के बल पर चाहे वह कितनी ही मुस्तैद क्यों न रहे, लड़ाई नहीं जीती जाती और सुरक्षा नहीं हो सकती जब तक कि सिविल पापुलेशन भी खुशहाल न हो । जैसे स्वराज्य के लिये हमने घोषणा की कि यह प्रजातंत्र है तो अगर प्रजा की बात न सुनी जाय और न समझी जाय तो उससे क्या लाभ है । इस दृष्टि से तो मैं समझता हूं कि वह प्रशासन ही नाकामयाब रहा अगर उसने जनता की भलाई के लिये कुछ नहीं किया । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विधियों की बात है तमाम बातें अच्छी हैं जो उनमें मौजूद हैं और सिद्धांत भी बड़े-बड़े कहे जाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बातें भी कही जाती हैं, सोशलिज्म की बातें भी कही जाती हैं लेकिन उसकी सफलता असफलता उसके आचरण पर निर्भर करती है । ऐसी विधियों का अपना विशेष महत्व है और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें और बड़े अच्छे से अच्छे इरादे भी उल्टे हो जाते हैं अगरचे विधि से न करें । हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता यदि उसे विधि से न किया जाय तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वह विधि न होकर अविधि हो, यदि वह विधि दोषपूर्ण हो तो उससे काम अवश्य गलत होगा ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी नवम्बर के महीने में उस इलाके में गये थे तो उन्होंने अपनी आंखों से वहां के नजारे देखे कि लोगों के दल के दल हजारों की तादाद में चले आ रहे हैं स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब सिर पर बोझ लादे हुये गोद में बच्चे हैं और जंगल में चले जा रहे हैं यह उन की अस्थायी जिन्दगी है, ६ मास वह पहाड़ में रहते हैं और ६ मास के लिये नीचे तराई में वह उतर आते हैं, नीचे वाले हिस्से में वह गरीबी के कारण उतर आते हैं लेकिन उत्तराखंड की हालत यह है कि आबोहवा के खयाल से ६ मास के लिये खुशहाल आदमी को भी नीचे उतरना ही पड़ेगा वहां का माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो दृश्य देखा वह केवल गरीबी का ही था ।

आज हम उत्तराखंड में यह विधि लागू करना चाहते हैं लेकिन आजतक हम वहां की प्रजा में यह अहसास पैदा न कर सके कि यह राज्य अपना है और मैं थोड़ा सा इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं जैसा कि मैंने बताया कि विधि का बड़ा महत्व है, हमारी विधि ऐसी होना चाहिये कि जिस से अत्याचारी के लिये अत्याचार करना असम्भव हो जाय । चाहे उस विधि को चलाने वाले कैसे भी सरकारी अफसर क्यों न हों वह ऐसी होना चाहिये, वह इतनी सुन्दर होना चाहिये कि जिसके अन्दर किसी भी अधिकारी को अत्याचार करने की गुंजायश ही न रह जाय ।

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

अंग्रेजों के जमाने की एक विधि थी वही आजतक यहां चालू है और उस में कोई नाम का भी रद्दोबदल नहीं हुआ है। नौकरशाही जितनी पहले नहीं थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उसका फल यह है कि सरकारी अफसरों को आज वह अधिकार प्राप्त हैं, एक तरफ तो विकेन्द्रीकरण की बात है और दूसरी तरफ अन्तरिम परिषदों के द्वारा जिलाधीशों को पावर दी गई है। चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट हैं जो कि फारेस्ट के सब से बड़े हाकिम हैं उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया है और जिस तरह से जंगलात का महकमा वह संचालित कर रहे हैं वह वहां के लोग देख रहे हैं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने वहां के जंगल और पर्वत सामने आते हैं क्योंकि वहां के जंगलों से वहां के लोगों की जिन्दगी अभिन्न है। जिस डिवीजन का कानून उत्तराखंड में लागू होगा उसकी स्थिति ऐसी है कि उसे जंगलों और पर्वतों से अलग नहीं किया जा सकता। उनके जीवन-मरण की समस्या जंगलों पर ही निर्भर करती है। जहां तक कुमायूं और उत्तराखंड का सम्बन्ध है वे जंगलों और खनिजों के हिसाब से सम्पन्न हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां के लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते उस का उपयोग करेगा बरेली का टरपेनटाइन का कारखाना, या सहारनपुर के मिलमालिक करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप दो एक मिनट में खत्म कर दें ताकि और सदस्यों को भी मौका मिले, बजट भाषण तो हो चुका है अब संक्षेप में ही कहें।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—हमारी सरकार में साहस होना चाहिये और स्टेट्स—को मेनटेन करने की जो प्रवृत्ति है वह न होना चाहिये, इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और नये सिरे से पूरे मामले पर विचार किया जाय और मौलिक रूप से पूरी स्थिति को सामने रखकर प्रशासन, न्याय, संघटन और व्यवस्था की दृष्टि से एक सुन्दर प्रतिवेदन सदन के सामने आये और इसे मंजूर करे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चन्द्रसिंह रावत जी अब कृपा कर अपने बहुमूल्य सुझाव संक्षेप में ही देने की कृपा करें।

***श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इतना अवश्य चाहता हूं कि जिस रूप में यह बिल आया है वह तो ठीक आया लेकिन वह इतनी जल्दी आया कि यह देखने की कोशिश नहीं की गई कि जिस क्षेत्र के उत्थान के लिये यह प्रबंध हो रहा है वहां की समस्यायें क्या हैं? वहां की समस्यायें भिन्न हैं। मैं समझता हूं कि कुमायूं डिवीजन के तीन हिस्से किये जा सकते हैं। इसमें उत्तराखंड सब-डिवीजन के तीन टुकड़े आप कर सकते हैं। एक एक तहसील हरएक टुकड़े में होगी। पिथौरागढ़ तहसील जिला अल्मोड़ा व चमोली तहसील, जिला पौड़ी गढ़वाल और उत्तरकाशी तहसील, जिला टेहरी-गढ़वाल। ये तीन पेचेज आफ लाइन्स हैं जो एक सार नहीं हैं और बीच में जो जमीन बाउन्डरी में जाती है उसको छोड़ दी गयी है। यह जो डिफेन्स लाइन है यह एक कंटिनुएशन में नहीं है। अगर बार्डर लाइन को सेपरेट करना था तो सारी लाइन जो बार्डर को ज्वायन करती है पिथौरागढ़ से उत्तर काशी सब डिवीजन तक एक लाइन में जाना चाहिये थी। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया कि जो पेचेज आफ लाइन इन तहसीलों के बीच में है जो कई सौ मील लम्बी है इस पेचेज आफ लाइन को किस बुनियाद पर छोड़ा गया है, मैं इस सिद्धांत को नहीं समझ पाया।

दूसरे यह बात ठीक है कि बार्डर लाइन आप अलग कर रहे हैं। उसकी कमिश्नरी अलग बना रहे हैं और एक अलग डिवीजन आप बना रहे हैं, लेकिन जहां लाइफ लाइन्स हैं वे सब उसी क्षेत्र से होकर जायंगी जो कुमायूं डिवीजन का बाकी हिस्सा है। बार्डर पर आप एकदम से हवाई जहाज से नहीं उतर सकते। सारा लड़ाई का सामान, खाने-पीने का सामान, जितना पेरा-फर्नेलिया है सब उसी रोड से होकर जायगा जो कुमायूं डिवीजन का बाकी क्षेत्र है, जिसे आपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अछता छोड़ दिया है। डिफेन्स के प्वाइंट आफ व्यु से जितने स्ट्रेटेजिक प्वाइंट हैं अगर बार्डर पर घपला होता है या लड़ाई छिड़ती है या आपस में झगड़ा पैदा हो जाता है और इधर-उधर से गोलाबारूद चलने लगता है तो वहां की जो पापुलेशन है उसे आप क्या बम्बार्ड होने देंगे। क्या आप उसे उचित नहीं समझते कि उस पापुलेशन को उस घड़ी के लिये आप को नीचे के हिस्सों में लाना होगा? क्या आपने उन लोगों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करना उचित समझा है? क्या नीचे के लोग उनको वेलकम करेंगे? आप उनकी सुविधा के लिये कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं समझता हूं इस तरह से इन हिस्सों में आपस में तफर्का पैदा करना होगा क्योंकि आपकी सड़कें जितनी बार्डर पर जाती हैं, जितनी लाइफ लाइन्स हैं वे उन्हीं क्षेत्रों में से होकर जाती हैं जो कुमायूं डिवीजन के बाकी हिस्से हैं। इनको आप अलग-अलग नहीं बांट सकते। अगर आपको मानवता को उठाना है, उसका उद्धार करना है तो जितने स्वतंत्र भारत में नंगे व भूखे हैं उनको जीने का अधिकार है। ऐसी हालत में मैं यह पूछने का हकदार हूं कि आप उनके उत्थान के लिये क्या प्रबंध कर रहे हैं। इस देश को स्वतंत्र हुये १२ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन हम कहते कहते इस सदन में थक गये कि वे क्षेत्र जिनको आपने बार्डर लाइन से मिला हुआ डिक्लेयर किया है वहां के लोग बहुत ही उपेक्षित हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी वे उपेक्षित थे और इसलिये थे कि ब्रिटानिया की फौज के लिये भरती वहां से होती थी और इसीलिये वहां स्कूल नहीं खोले गये, सड़कें नहीं बनाई गयीं और किसी तरह की सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी। जहां के लोगों को नार्मल लाइफ से महरूम रखा गया। क्या इस बार्डर लाइन के उत्थान के साथ साथ आपका यह उत्तरदायित्व नहीं कि वे लोग जो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, जिन्होंने आपको इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार दिया है उनका भी उत्थान आप करें?

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनट आप और ले लें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—बहुत अच्छा। इसलिये किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां के निवासियों के साथ न्याय हो सके। अगर उनके उत्थान के लिये कोई तजवीज आप इस सदन से पास कराना चाहते हैं तो वहां के लोगों के बीच में कोई तफरका आप पैदा न कर के उनका उत्थान कीजिये। इस समय जबकि उनके उत्थान की घड़ी आयी है और उसका कोई फायदा आप उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि उस उपेक्षित जनता के उन भागों को इससे महरूम न करें। अगर आप यह काम नहीं करते तो हमें मजबूर हो कर सेंट्रल गवर्नमेन्ट के पास अपनी मांगें पेश करनी होंगी। हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र को सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड घोषित किया जाय। हम लोग अपनी भावनाओं को ऐड-इनफिनिटम रोक नहीं सकते। क्या डूम्स डे तक हम अपनी भावनाओं को रोके रखें? आखिर कब तक हम लोग इस तरह से पड़े रहें? हमारे एलेक्टर को यह अधिकार है कि उनका भी उत्थान हो, सरकार उनकी ओर भी अपनी नजर डाले। उनको क्यों नजरन्दाज किया जाता है?

हम निहायत अदब के साथ मंत्री महोदय से दरख्वास्त करते हैं कि उनको इन प्वाइंट्स पर हमें सन्तोष दिलाना है। आपका क्या स्टैंडर्ड है किसी चीज को जज करने का? आखिर इंसानों का डिसीजन किसी बेसिस पर होता है। इन शब्दों से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह दरख्वास्त करता हूं कि इसको एक प्रवर समिति में भेज दिया जाय और उसका क्षेत्र बढ़ा दिया जाय ताकि वह इन मामलों पर पूरा-पूरा विचार कर सके जो और व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उनसे वहां के लोगों को फायदा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त तिवारी, आप भी ५-७ मिनट में अपने विचार व्यक्त करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो, श्रीमन्, आपके चित्त कहे ही ऐसा करता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, प्रस्तुत उत्तराखंड डिवीजन विधेयक कुछ ऐसी समस्यायों को हल करने का प्रयास है कि जो विद्यमान है ऐसा स्वीकार करना वांछनीय होगा। यह कहना गलत होगा कि इस प्रकार की कोई विधिजनक समस्यायें उपस्थित नहीं हो सकतीं। तो इस दृष्टिकोण से इस विधेयक का जो आशय है उसका समर्थन शायद सदन का प्रत्येक सदस्य करेगा। इसीलिये इस पक्ष की ओर से बोलने वाले सभी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया लेकिन इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा। मुझे तो केवल एक ही शंका है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि यह विधेयक जो एक कानूनविहीन स्थिति हो गयी है उसको दूर करने के लिये लाया गया है। मुझे यह भय है कि उनकी यह उक्ति सही नहीं है चूंकि इस विधेयक में ही उन्होंने लिखा है कि केवल संदेह कुछ लोगों ने व्यक्त किया है। तो मंत्री जी का यह कथन कि आज वह क्षेत्र कानूनविहीन है ऐसी बात नहीं है। विधेयक का कहना है कि कुछ व्यक्तियों ने संदेह प्रकट किया है, सरकार को संदेह नहीं है। लेकिन संदेह को दूर करने के लिये, विनिश्चितता लाने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। इस संबंध में यह भी है कि जब रामपुर और टेहरी गढ़वाल की स्टेट्स मर्ज हुई थी और रामनगर जिला बनारस में मिला था तो जहां तक मुझे सूचना है कोई भी इस प्रकार का विधान लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अनुसार ये डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स बनाये गये हैं और जब लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अनुसार यह बनाये गये तो जनरल क्लाजेज ऐक्ट के मुताबिक सारे लाज प्रदेश के किसी हिस्से में लागू हो जाते हैं। बाह तहसील में पुलिस का इन्तजाम किया गया और बाह जिला अलग से बनाया गया तो उसके लिये कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो पता नहीं इस उत्तराखंड डिवीजन के लिये क्यों इस तरह का संदेह किया गया। मैं समझता हूं कि यह उसकी बदकिस्मती है कि इस प्रकार का संदेह किया गया। इसको आप दूर करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन वह इससे दूर नहीं होता है।

श्रीमन्, इसको प्रवर समिति में भेजने के दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि कुमायूं डिवीजन और उत्तराखंड डिवीजन की जो परिभाषा खंड (२) में है उसमें नोटीफिकेशन का जिक्र किया गया है। श्रीमन्, आप इसको स्वयं मानेंगे कि जो नोटीफिकेशन इतना मैटीरियलिस्टिक है जिसके जरिये यह बताया गया है तो इसको उसका शिड्यूल बनना चाहिये था। यह २४ फरवरी, १९६० के नोटीफिकेशन के जरिये बनाया गया है तो अगर इसके शिड्यूल में यह अटैच नहीं होता है तो यह सही नहीं माना जा सकता है। अब श्रीमन्, आप देखें कि अन्तरिम जिला परिषद विधेयक में यह परिस्थिति पैदा हुई है कि जिला प्लानिंग कमेटी की उसमें परिभाषा रखी गई थी उसको कानून का रूप देने के लिये जो नोटीफिकेशन जिला प्लानिंग कमेटी को बनाने वाला था वह उसके शिड्यूल में नहीं रखा गया तो बिना नोटीफिकेशन के विधेयक बने तो वह अधूरा है, अपर्याप्त है कानून की दृष्टि से। इसमें एक अमेंडमेंट यह करने की जरूरत है कि इसके शिड्यूल में नोटीफिकेशन को रखा जाय।

दूसरी कमजोरी श्रीमन्, इसमें यह है कि कुमायूं डिवीजन की परिभाषा जो की गई है वह केवल कुमायूं डिवीजन की की गई है। अब यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के मुताबिक-टेहरी गढ़वाल, कुमायूं डिवीजन में नहीं माना गया है। जब तक इसका श्रीमन्, अलग से उल्लेख नहीं होता तब तक यह उत्तर काशी जिले से लागू नहीं होता है। यह नोटीफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि :—

"In exercise of the powers conferred by section II of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (U. P. Act no. III of 1901) as extended and applied to the Kumaun Division through Revenue (A) Department notification no. 3109/IA-, dated October 18, 1947, and to Tehri-Garhwal through Legislative Department notification no. 3262(2J)/XVII—Merger, dated Lucknow, November 30, 1949, the Governor of UttarPradesh is pleased to create, with effect from the date of the publication of this notification, a new division comprising the districts specified in the Schedule appended hereto,

to be knwon as the Uttara khand Division and to alter with effect from the same date the limits of the existing Kumaun Division so as to comprise the existing areas except those mentioned in the Schedule."

इसका आशय टेहरी-गढ़वाल के अलग होने का है। इसलिये अलग से इसका उल्लेख होना चाहिये। जहां उत्तराखंड का जिक्र है उसको अलग से लिखा गया है कि--

"In exercise of the powers conferred by section 11 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (U. P. Act no. III of 1901), as extended and applied to Tehri-Garhwal through Legislative Department notification no. 3262(2)/ XVII—Merger, dated Lucknow. November 30, 1949, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to create, with effect from the date of the publication of this notification, a new district, comprising the areas specified in the Schedule, to be known as district Uttar Kashi with headquarters at Uttar Kashi, and to alter with effect from the same date the limits of the existing district of Tehri-Garhwal so as to comprise the existing areas except those mentioned in the Schedule."

दोनों का अलग-अलग उल्लेख है और अलग-अलग ही लिखा गया है, इसलिये विधेयक में केवल कुमायूं डिवीजन के लिख देने से उत्तर काशी जिले को इस विधेयक की परिधि से अलग कर देते हैं। इसलिये केवल प्राथमिक दर्शन से इसमें त्रुटियां पाई जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपके दो मिनट और रह गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अन्त में मैं माननीय प्रतापसिंह जी और गोविन्दसिंह जी बिष्ट के सुझावों का समर्थन करता हूं जो इसके पुनस्संगठन और निर्माण के लिये बताये गये हैं। यह सही है कि इन क्षेत्रों में नये जिले बनाकर विकास किया जाय, सब बातें की जायं लेकिन जहां इन तीन जिलों का पूरा-पूरा विकास किया जाय वहां उसको नयी सांस्कृतिक इकाई मान लेना और यह समझ लेना कि उत्तराखंड डिवीजन कोई कुमायूं या टेहरी-गढ़वाल की सामाजिक परम्पराओं से या सांस्कृतिक संबंध जो उस क्षेत्र में है उससे अलग हो गया या वहां की विकास की समस्यायें बहुत ज्यादा अलग हो गयीं यह मान लेना गलत होगा। इसलिये अब आप देखें कि बहुत से प्रश्न जैसे सड़कें, कृषि और बागबानी, ये उत्तराखंड और कुमायूं के मिले जुले हैं। इसलिये रीजनल, प्लानिंग के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है, प्रशासकीय इकाइयों को छोड़ दें, विकास की इकाइयों के नाते भी सारे रीजन को एक मानना होगा। यह बुनियादी बात है जो हमें सोचनी है।

मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, एक प्रश्नोत्तर के सिलसिले में कि जो उत्तराखंड डिवीजन बनाया गया है, उसमें जो जिले बनाये गये हैं, उनमें पट्टियों पर पुनर्विचार करें। आज भी जो इस संबंध में सुझाव दिये गये हैं उन पर सरकार विचार करे।

इन शब्दों के साथ मैंने इस विधेयक में जो त्रुटियां बतायी हैं, और जो सुझाव दिये गये हैं, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर बिचार करेंगे।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने सिद्धांत के रूप में इस विधेयक का स्वागत किया और समर्थन किया।

मान्यवर, मुझे खेद इस विषय का जरूर है कि माननीय सदस्यों को शायद यह भ्रांति हो गयी कि यह विधेयक उत्तराखंड डिवीजन का निर्माण संबंधी विधेयक है। वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है। इस डिवीजन का सृजन तो २४ फरवरी, १९६० की विज्ञप्ति से हो गया और अब उस सृजन के पश्चात् जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उस परिस्थिति को सामने रखते हुए इस विधेयक की आवश्यकता हुई है। माननीय सदस्यों ने जैसा स्वयं संकेत किया शायद उन्होंने

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

यह समझा कि इस समय इस विधेयक पर सामान्य विवाद के समय कुछ बजट के सामान्य विवाद की स्मृति हो आयी अथवा राज्यपाल महोदय के सम्भाषण की स्मृति हो आयी जिससे जो विषय प्रस्तुत है उसकी परिधि के बहिर्गत कहीं-कहीं बातें कीं।

जहां तक उत्तराखंड और विशेषकर कुमायूं डिवीजन के पिछड़े होने का विषय है वह सभी को मान्य है। जहांतक उसके विकास की आवश्यकता का विषय है, वह भी सभी को मान्य है। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र के विकास की बात कही गयी, जो जिले उत्तराखंड डिवीजन में सम्मिलित किये गये हैं, वह कुमायूं डिवीजन के सबसे पिछड़े जिले हैं। यह भी सब मानते हैं। वे सबसे गरीब भाग हैं और सबसे मुश्किल से वहां पहुंचा जा सकता है। यह सभी सदस्य जानते हैं। इस नये डिवीजन को बनाने की आवश्यकता इस देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हुई है। बहुत सी बातें हैं जिनके कारण तत्कालीन ऐसा निश्चय करना पड़ा।

जहांतक सड़कों आदि के निर्माण की बात कही गयी मान्यवर, कुमायूं डिवीजन तो उस उत्तराखंड के नीचे पड़ता है और जो भी मार्ग देश के इस भू-भाग में बनेगा, निश्चय ही लोहाघाट और टनकपुर यदि नहीं मिलाया जायगा तो उस भाग पिथौरागढ़ में नहीं पहुंच सकते। इसलिये उनका यह संशय निराधार है।

मान्यवर, जितनी बातें कही गयी हैं उन सब का उत्तर देना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस भूखंड के पूर्णरूप से विकास के लिये ही और वहां पर बसने वाली जनता के पूर्ण रूप से विकास के उद्देश्य से ही यह कदम उठाया गया है और इसके मानो यह नहीं हैं कि उस भूखंड को कुमायूं से हम अलग करने जा रहे हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या राजनैतिक दृष्टिकोणसे। केवल उद्देश्य यह है कि इस वक्त की जो सुरक्षा संबंधी तात्कालिक महती आवश्यकतायें हैं उनको दृष्टि में रखते हुए इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है कि वहां पर एक केंद्रित रूप से विशेष रूप से ध्यान देकर कार्य किया जाय जिससे विकास जल्दी से जल्दी हो जिसे कि माननीय सदस्य जानते हैं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक का तो एक सीमित उद्देश्य है। उद्देश्य तो केवल इतना है कि इस नये उत्तराखंड डिवीजन के बनाये जाने से एक कानूनी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो पहले वहां मान्यवर, अधिनियम या विधि प्रचलित थे, वह वहां लागू हो सकें जैसा कि उद्देश्य में कहा गया है। यदि कोई भाग किसी भाग में मिलता है तो वह उसकी कानूनी परिभाषा की सीमा के अन्तर्गत आ जाता है। इसलिये मिले हुये भाग में भी वह चीजें लागू हो जाती हैं जो उस मिलाने वाले भाग में पहले से लागू होती हैं। लेकिन जो अलग होते हैं वह कानून की दृष्टि से उससे बहिर्गत हो जाते हैं। इसलिये एक संशय होता है कि वह कानून वहां प्रचलित है या नहीं। माननीय तिवारी जी ने जो संशय उत्पन्न किया उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो रामपुर और बनारस राज्य इत्यादि के बारे में उन्होंने चर्चा की वह तो इस प्रदेश में मिले थे, इससे अलग नहीं हुये थे। अगर वह इससे अलग हुए होते तो इस प्रदेश में प्रचलित कानून वहां लागू नहीं हो सकते थे। (व्यवधान) आप जरा सुनिये। कानूनी बात है। उत्तर प्रदेश में पंजाब के किसी भूभाग को मिला दिया जाय तो जो आज उत्तर प्रदेश माना जा रहा है, उसमें जो भी भाग मिल जायगा वह सब उत्तर प्रदेश हो जायगा और इसलिये उत्तर प्रदेश के संबंध में जो भी विधि या कानून प्रचलित होंगे वह सब वहां भी लागू हो जायेंगे। लेकिन किसी भू-भाग को अलग कर दिया जाय तो वह उत्तर प्रदेश नहीं रह जाता। इसलिये उत्तर प्रदेश के लिये जो कानून लागू हैं वह वहां लागू नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य कृपया बैठें। (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल से) मैं समझता हूं अब आप समाप्त ही कर रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने केवल माननीय सदस्य का संशय दूर करने की कोशिश की। कुमायूं डिवीजन के बहुत से ऐसे कानून हैं जो केवल उसी डिवीजन में लागू थे। अगर वह सारे उत्तर प्रदेश में लागू होते तो इन हिस्सों में भी लागू हो जाते। उसके अन्दर बहुत से वाद-प्रतिवाद चल रहे थे। तो वह सब एक समाप्त प्राय स्थिति में आ जाते हैं। अब वह फिर से नये सिरे से उत्पन्न हों तो उसमें जनता के काफी धन का अपव्यय होता है। इन तमाम दृष्टियों से इस विधेयक को लाया गया है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने सिद्धांत रूप में तो इसका स्वागत ही किया है, वह इसको स्वीकार करेंगे और जहां तक प्रवर समिति का सवाल है, जितना विलम्ब इसमें अब तक हो चुका है कि वही काफी है, उससे आगे अब एक क्षण भी और विलम्ब करना उचित नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से साग्रह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को वापस ले लें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० इस सदन की एक प्रवर समिति को निदिष्ट किया जावे जो अपना प्रतिवेदन १ सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे। यह समिति अपनी परिधि भी बढ़ा सकेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूरतचन्द रमोला---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो वह समाप्त हो गया।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो जिसमें जिलों की सीमा तथा संख्या परिवर्तन भी शामिल है तथा जो १ सप्ताह के भीतर इस सदन के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि-प्रवत्ति) विधेयक, १९६० (Uttar Pradesh Uttara Khand Division (Application of Laws) Bill, 1960) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर बिचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२---विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:- परिभाषाएं

(क) "कुमायूं डिवीजन" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो विज्ञप्ति संख्या ९१०/आई० सी०, दिनांक २४ फरवरी, १९६० के जारी होने के ठीक पहले के दिनांक को कुमायूं डिवीजन का भाग था ;

(ख) "विधि" का तात्पर्य किसी ऐसी अधिनियमित, आदेश, उप विधि नियम, विनियम या विज्ञप्ति से है, जो ऐसे विधान मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा बनाई या जारी की गयी हो, जिसे वह अधिनियमित, आदेश, उप विधि, नियम या विनियम बनाने या वह विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार हो;

(ग) "उत्तराखंड डिवीजन" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो विज्ञप्ति संख्या ९१० /आई०सी० दिनांक २४ फरवरी, १९६० द्वारा बनाये गये पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के जिलों में सम्मिलित है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३–४

कतिपय विधियों का उत्तराखंड डिवीजन में प्रचलित बने रहना

३---उन क्षेत्रों में से जो कुमायूं डिवीजन के भाग थे, उत्तराखंड डिवीजन बनाये जाने पर भी, विज्ञप्ति संख्या ९१० आई० सी० दिनांक २४ फरवरी, १९६० के जारी होने के ठीक पहले दिन कुमायूं डिवीजन या उसके किसी भाग में प्रचलित या उस पर प्रवृत्त समस्त विधियां उन क्षेत्रों में जो उत्तराखंड डिवीजन के भाग हैं पहले की भांति प्रचलित तथा उन पर प्रवृत्त बनी रहेंगी।

विचाराधीन वाद इत्यादि का निस्तारण

४---किसी ऐसे न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष, जिसका क्षेत्राधिकार कुमायूं डिवीजन के क्षेत्र के उस भाग पर हो जो अब उत्तराखंड डिवीजन में सम्मिलित है, २३ फरवरी, १९६० को जितने वाद, मामले या अन्य कार्यवाहियां संस्थित की गयी हों (instituted) प्रारम्भ की गयी हों या विचाराधीन हों, उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे २४ फरवरी, १९६० से यथास्थिति, उस न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उत्तराखंड डिवीजन के उस क्षेत्र पर हो, संक्रमित कर दी गई हैं और वे उनकी सुनवाई जारी रखेंगे और उनका निस्तारण करेंगे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके प्रतिकूल कोई बात हो।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ व ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) विधेयक, १९६०

उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड डिवीजन में कतिपय विधियों को प्रवृत्त करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जिलों से युक्त उत्तराखंड नाम का एक नया डिवीजन २४ फरवरी, १९६० से बनाया गया है: और उत्तराखंड डिवीजन बनाये जाने के ठीक पहले के दिनांक को प्रचलित कतिपय विधियों के उस क्षेत्र पर, जो अब उक्त डिवीजन का भाग बन गया है, प्रवृत्त बनी रहने के संबंध में सन्देह उत्पन्न हो गया है और ऐसे समस्त सन्देह को दूर करना इष्टकर है:

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में सम्मिलित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) यह २४ फरवरी, १९६० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि विधेयक के नामकरण के भाग की पहली पंक्ति में शब्द 'डिवीजन' के स्थान पर शब्द 'क्षेत्र' रख दिया जावे।

दूसरा यह है कि विधेयक में शब्द 'डिवीजन' जहां कहीं भी आया है उसके स्थान पर शब्द 'क्षेत्र' रख दिया जावे।

मेरा इस शाब्दिक संशोधन से उद्देश्य केवल यह है कि इस विधेयक का नाम जो रखा गया है "उत्तराखंड डिवीजन विधेयक" यह कुछ कर्ण कटु-सा मालूम होता है। बजाय इसके यदि नार्दर्न डिवीजन बिल रखा जाता तो अच्छा था। अब जब कि उसका नाम उत्तराखंड डिवीजन विधेयक रहता है तो उत्तराखंड शब्द के साथ जो डिवीजन शब्द है वह कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इसका नाम यदि उत्तराखंड क्षेत्र विधेयक रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार की ओर से यह कहा जा सकता है कि डिवीजन इसलिये रखा जा रहा है चूंकि उसको कमिश्नरी बनाया जा रहा है तो इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि अब अंग्रेजी के शब्दों का बहिष्कार करना चाहिये। कमिश्नरी भी अंग्रेजी शब्द है और डिवीजन भी अंग्रेजी शब्द है। यदि हम सभी क्षेत्रों को जिनको आज डिवीजन कहते हैं, क्षेत्र कहने लगें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा सुझाव खासतौर से है कि डिवीजन के बजाय क्षेत्र रखा जाय। जहां कहीं भी इस विधेयक के अन्दर डिवीजन शब्द आया है वहां पर सब जगह क्षेत्र शब्द रख दिया जाय। मुझे आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है और उसमें जिस शब्द को उन्होंने इस डिवीजन शब्द के स्थान पर रखने की बात कही है वह उस अर्थ का द्योतक नहीं है। क्षेत्र के बहुत से अर्थ होते हैं। कानून के अन्दर ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसके अर्थ कई निकलते हों। यह डिवीजन शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। यह कमिश्नरी के अर्थ में ही हमारे यहां हिन्दी में प्रयोग होता है। इस समय इसको यहां पर बदलना उचित नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

जहां तक अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी में रखने की बात है इस शासन की यह चेष्टा बराबर रहती है और रही है। इसमें माननीय सदस्य को किसी प्रकार से सन्देह नहीं करना चाहिये।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं अब भी यही उचित समझता हूं कि डिवीजन शब्द न रहे तो ज्यादा हितकर है। इसलिये मैं क्षेत्र शब्द को रखने के ऊपर ही जोर देता हूं और मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक के नामकरण के भाग की पहिली पंक्ति में शब्द 'डिवीजन' के स्थान पर शब्द 'क्षेत्र' रख दिया जावे और विधेयक में शब्द 'डिवीजन' जहां कहीं भी आया है उसके स्थान पर शब्द 'क्षेत्र' रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि प्रवृत्ति), १९६० [Uttar Pradesh Uttara Khand Division (Application of Laws)Bill,1960] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Uttara Khand Division (Application of Laws) Bill, 1960] जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०

सहायक सचिव, विधान सभा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०, जो विधान परिषद् से विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९६९–९९७ पर)

श्री उपाध्यक्ष—इस विधेयक की प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के कबूतरखानों में रख दी गई है। भारतीय जी यहां बैठे हैं इसलिये मैं पिजन होल शब्द का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, इसलिये कबूतरखाना कहता हूं।

अब हम उठते हैं और २८ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ३५ मिनट पर वृहस्पतिवार, २८ अप्रैल, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ अप्रैल, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८५ पर)

	रु० न० पै०
१—भूमि का मूल्य	२,४९,४६२.४०
२—विस्थापितों के मकानों के निर्माण पर व्यय	१,२५,०००.००
३—सड़क तथा पुल के निर्माण पर व्यय	१०,०००.००
४—कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण पर व्यय	८,०००.००
५—विस्थापितों को जीवन निर्वाह भत्ता देने पर व्यय	२०,८००.१५
६—अधिष्ठान पर व्यय	३,१००.८४
७—विस्थापितों को रजाइयां देने पर व्यय	९४१.७५
८—विस्थापितों के बंगाल से आने पर पयागपुर स्टेशन से निवास क्षेत्र ले जाने के लिये यातायात पर व्यय	७०५.००
योग ..	४,१८,०१०.१४

संसद पुस्तकालय भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०० पर)

जिला फर्रुखाबाद के उन चकबन्दी कर्मचारियों की सूची जिनकी सेवायें कर्मचारिवर्ग की संख्या में कमी होने के फलस्वरूप ३१ मार्च, १९६० तक समाप्त कर दी गई हैं

क्रम सं०	वर्ग	संख्या
१	चकबन्दी लेखपाल	१०७
२	क्लर्क	६
३	ड्राफ्ट्समैन	१
४	ट्रेसर	२
५	चपरासी	४०
	कुल योग ..	१५६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०० पर)

ग्राम का नाम जिसमें भूमि दी गई	भूमि का क्षेत्रफल		
	बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी
१३६५ फसली			
निजाम खेड़ा	३	१४	१६
ताल कटैला	१	०	०
इब्राहीमपुर	४	०	०
गजपतीखेड़ा	१	०	०
भूपतिपुर	१	१७	०
हरीपुर	५	०	०
साढ़ापुर	५	१०	०
दौलतपुर	२	०	०
गहरौली	१	८	०
गोविन्दपुर	५	०	०
दूलापुर	२	०	०
रातपुर	४	०	०
झूलपुर	२२	१०	०
माधौपुर	२१	२	१५
योग ..	८०	२	११
१३६६ फसली			
सरायबयरिया खेड़ा	४	१०	०
खौद	४	०	०
कहिंजर	२	०	०
गजपती खेड़ा	२	०	०
रालपुर	११	११	१९
दुधवन	०	५	०
योग ..	२४	६	१९

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०१ पर)

श्री मोहन सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक, तराई उपनिवेश योजना, नैनीताल पर लगाये गये आरोपों की अनुसूची :—

१—सरकारी लकड़ी के चट्टों का गबन जिनका मूल्य २०,२०३ रुपया था।

२—सरकारी आज्ञा की अवहेलना जिसमें कि उन्हें छुट्टी समाप्त होने पर कार्यभार ग्रहण करने और हेड-क्वार्टर्स पर रहने को कहा गया था।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९६४ पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में कतिपय वर्गों के वक्फों के अच्छे शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था के लिये — प्रस्तावना

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में कुछ वर्गों के वक्फों के अच्छे शासन, प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिनियम की प्रवृत्ति

२—(१) इस अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित किसी अन्य व्यवस्था के अधीन रहते हुए, यह अधिनियम उन सभी वक्फों पर प्रवृत्त होगा, जिनमें समाविष्ट सम्पत्ति का कोई भाग उत्तर प्रदेश में स्थित हो, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले बने हों या पीछे; और उन सभी वक्फों पर भी प्रवृत्त होगा जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के समय यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ के अधीन संघटित सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के अधीक्षण में थे।

यू० पी० ऐक्ट, संख्या १३, १९३६

(२) यह अधिनियम हुसैनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित सम्पत्तियों पर तथा उस ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित सम्पत्तियों पर भी प्रवृत्त होगा :

ऐक्ट संख्या १५, १८७८

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को उक्त सम्पत्तियों पर इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे अनुकूलन (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों या परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में) करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझें, और जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के मूलतत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(३) यह अधिनियम निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगा :

(१) किसी ऐसे विलेख द्वारा (यदि कोई हो) बनाया गया वक्फ, जिसकी शर्तों के अधीन वक्फ विलेख (यदि कोई हो) के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति को, राज्य सरकार को देय मालगुजारी, लगान तथा उपकरों की कटौती करने के पश्चात् शेष कुल आय का कम से कम ७५ प्रतिशत वाकिफ या उसके वंशजों या उसके परवार के किसी सदस्य के लाभ के लिये तत्समय देय हो;

(२) केवल निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिये बनाया गया वक्फ :

(क) वाकिफ या उसके वंशजों या उसके परिवार के किसी सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति का भरण-पोषण तथा निर्वाह,

(ख) वाकिफ, उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके किसी पूर्वज के सालाना उर्स से सम्बद्ध धार्मिक कृत्यों का किया जाना, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रयोजन के लिये वार्षिक व्यय २,५०० रु० से अधिक न हो,

(ग) निजी—(१) मकबरों, और (२) कब्रिस्तान का अनुरक्षण, या

(घ) यदि वाकिफ हनफी मुसलमान हो तो उसका भरण-पोषण तथा निर्वाह अथवा उसका ऋण चुकाना :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसे वक्फ का मुतवल्ली जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त न होता हो, सम्पूर्ण वक्फ सम्पत्ति या उसका कोई भाग अनुचित रूप से बेचे या बन्धक रखे या अपने विरुद्ध किसी डिक्री के निष्पादन में उसे बिक जाने दे या अन्यथा उसे नष्ट करे तो सेन्ट्रल बोर्ड इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों को उक्त वक्फ पर ऐसी अवधि के लिये प्रवृत्त कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—वक्फ, जो मूलतः इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त हो, किसी भी कारण से बाद में उसके प्रवर्तन के अधीन आ सकता है, उदाहरणार्थ, इस कारण कि उसकी आय का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत, विलेख की शर्तों के अधीन सार्वजनिक धर्मशील प्रयोजनों के लिये उपलभ्य हो जाय।"

परिभाषायें

३—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(१) "हितग्राही" का तात्पर्य उस व्यक्ति या उद्देश्य से है जिसके हित वक्फ बनाया जाय और इसके अन्तर्गत धार्मिक, धर्मशील या पूर्त उद्देश्य तथा मुस्लिम सम्प्रदाय या उसके किसी फिरके के हित के लिये स्थापित लोकोपयोगिता का कोई अन्य उद्देश्य भी है ;

(२) "बोर्ड" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड से है;

(३) "आयुक्त" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वक्फ आयुक्त से है ;

(४) "परिवार" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(१) माता-पिता, दादी-बाबा तथा नानी-नाना;

(२) पत्नी या पति; और

(३) किसी पुरुष या स्त्री पूर्वज द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति;

(५) "मुतवल्ली" का तात्पर्य किसी वक्फ या निबन्ध (endowment) के प्रबन्धक से है और इसके अन्तर्गत अमीन, सज्जादा-नशीन, खादिम, नायब मुतवल्ली तथा प्रबन्ध समिति भी है और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय ऐसे किसी निबन्ध का प्रभारी हो या जो उसका प्रशासन कर रहा हो;

(६) "शुद्ध आय" का तात्पर्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय कर, कर या अधिभार (surcharge) घटाने के बाद शेष कुल आय से है ;

(७) "सम्पत्ति" के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियां तथा बन्धपत्र, फर्मों और कम्पनियों के अंश, स्कन्ध (स्टाक), ऋणपत्र (debentures) तथा अन्य प्रतिभूतियां और करण तथा नकदी और अन्य पदार्थ भी हैं;

(८) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप-विधियों या नियमों द्वारा नियत से है;

(९) "उप-समिति" का तात्पर्य धारा २७ के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये नियुक्त उप-समिति से है;

(१०) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा ७० के अधीन संघटित अधिकरण से है;

(११) "वक्फ" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति का किसी ऐसे प्रयोजन के लिये स्थायी समर्पण या अनुदान से है जो मुस्लिम विधि या प्रथा के अनुसार धार्मिक, धर्मशील या पूर्त के रूप में स्वीकृत हो और इसके अन्तर्गत वक्फ अलल-औलाद तथा उपयोगवश वक्फ (waqf by user) भी है; और "वाकिफ" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ऐसा समर्पण या अनुदान करें;

(१२) "वक्फ सम्पत्ति" के अन्तर्गत धर्म स्थान, मकबरे या इमाम-बाड़े पर चढ़ायी गई वस्तुयें भी हैं; और

(१३) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

अध्याय १

वक्फों का सर्वेक्षण

वक्फ आयुक्त तथा अपर या सहायक वक्फ आयुक्तों की नियुक्ति

४—राज्य में या उसके निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित समस्त वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के लिये चाहे वे वक्फ इस अधिनियम के अधीन हों या न हों राज्य सरकार, समय-समय पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, एक वक्फ आयुक्त तथा उतने अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त, जितने आवश्यक हों, नियुक्त कर सकती है।

५—अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को प्रदान किये गये हैं या जिनके लिये उसे आदेश दिया गया हो।

वक्फों का सर्वेक्षण

६—(१) आयुक्त, वक्फों के सर्वेक्षण-कार्य को अपने तथा अपर और सहायक आयुक्तों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा जो वह उचित समझे, तथा सामान्यतया उनके कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा।

(२) वक्फ आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित बातें सुनिश्चित तथा अवधारित करेगा :—

(क) शिया वक्फों तथा सुन्नी वक्फों को अलग-अलग दिखाते हुए, क्षेत्र के समस्त वक्फों की संख्या;

(ख) प्रत्येक वक्फ का प्रकार तथा उद्देश्य;

(ग) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट सम्पत्ति की सकल आय;

(घ) प्रत्येक वक्फ-सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय कर, कर और अधिभार की धनराशि;

(ङ) आय की वसूली में होने वाले व्यय तथा प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली का वेतन या अन्य पारिश्रमिक;

(च) क्या वक्फ उन वक्फों में से है जो धारा २ के अधीन इस अधि - नियम की प्रवृत्ति से मुक्त है ; तथा

(छ) प्रत्येक वक्फ के सम्बन्ध में ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायं:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस विषय में विवाद हो कि कोई वक्फ- विशेष शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है और वक्फ विलेख के कथनों से यह स्पष्टरूप से लक्षित हो कि वह किस संप्रदाय का है तो उस विवाद का निर्णय उक्त कथनों के आधार पर किया जायेगा।

ऐक्ट संख्या ५,१९०८

(३) आयुक्त को जांच करते समय वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) में निहित होते हैं—

(क) किसी साक्षी को बुलाना तथा उसका बयान लेना;

(ख) किसी लेख्य को प्रकट करने तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;

(घ) लेखों तथा साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अनुसंधान करना ; तथा

(च) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार नियत किया जाय।

(४) आयुक्त, अपर वक्फ आयुक्त या सहायक वक्फ आयुक्त जांच के प्रतिवेदन को जिसमें उपधारा (२) में उल्लिखित विवरण होंगे प्रत्येक बोर्ड को तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र सरकारी गजट में विशेष फिरके से सम्बद्ध ऐसे वक्फों को विज्ञप्ति करेगी जिन पर उक्त प्रतिवेदन के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हों।

सर्वेक्षण व्यय की वसूली

७--(१) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण करने का सम्पूर्ण व्यय, यदि सर्वेक्षण पूरे राज्य में हो तो, राज्य में स्थित वक्फ-सम्पत्ति की आय के अनुपात में सभी मुत्तवल्लियों द्वारा वहन किया जायेगा और यदि सर्वेक्षण किसी क्षेत्र-विशेष तक ही सीमित हो तो उस क्षेत्र में स्थित वक्फ-सम्पत्ति की आय के अनुपात में उस क्षेत्र में स्थित वक्फों के मुत्तवल्लियों द्वारा वहन किया जायेगा।

(२) वक्फ स्थापित करने वाले के किसी विलेख या करण में किसी बात के होते हुए भी, कोई मुत्तवल्ली उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा देय किसी धनराशि को वक्फ-सम्पत्ति की आय में से दे सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन मुत्तवल्ली द्वारा देय कोई धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर, धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है।

८--(१) यदि यह विवाद उठे कि कोई सम्पत्ति विशेष वक्फ-सम्पत्ति है या नहीं अथवा वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ, तो सम्बद्ध बोर्ड या वक्फ का मुत्तवल्ली अथवा उसमें स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति उक्त विवाद को निर्णय के लिये अधिकरण को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अभिदिष्ट कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन वक्फों की सूची प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् अधिकरण द्वारा कोई ऐसा विवाद ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(२) आयुक्त, अपर वक्फ आयुक्त तथा सहायक वक्फ आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन किसी कार्यवाही में पक्ष के रूप में नहीं रक्खा जायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १३,१९३६

९--(१) इस अध्याय के उपबन्ध इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व शुरू किये गये वक्फ-सम्पत्तियों के किसी सर्वेक्षण की कार्यवाही पर प्रवृत्त न होंगे और ऐसा सर्वेक्षण यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के उपबन्धों के अनुसार पूरा किया जायेगा।

(२) इस अध्याय की किसी बात का उन विषयों में मुख्य राज्य वक्फ आयुक्त (Chief State Commissioner of Waqfs) या किसी राज्य वक्फ आयुक्त अथवा वक्फ आयुक्त के निर्णयों की अन्तिमता पर प्रभाव न पड़ेगा, जिनमें इस अधिनियम के प्रभाव होने के पूर्व ऐसे आयुक्त का प्रतिवेदन अन्तिम हो गया हो।

अध्याय २

बोर्डों की स्थापना और उनके कृत्य

सेंट्रल बोर्डों की स्थापना

१०--(१) उत्तर प्रदेश में दो पृथक बोर्ड स्थापित किये जायेंगे जो वक्फों के "सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड" तथा "शिया सेन्ट्रल बोर्ड" कहलायेंगे। प्रत्येक बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा तथा उसकी एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत करेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा:

यू० पी० ऐक्ट संख्या १३,१९३६ यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९३६

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड, जो यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अधीन संघटित किये गये थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय कार्य कर रहे थे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संघटित किये गये समझे जायेंगे तथा यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अधीन अपने कार्यकाल की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे।

(२) कोई बात जिसका इस अधिनियम के अधीन, बोर्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात हो, सुन्नी वक्फों के विषय में सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा और शिया वक्फों के विषय में शिया सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा की जायेगी :

ऐक्ट संख्या १५, १८७८

प्रतिबन्ध यह है कि शिया सेन्ट्रल बोर्ड का उन सम्पत्तियों पर नियंत्रण तथा अधीक्षण, जो अब तक हुसैनाबाद इण्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ के अधीन शासित होती थी या तद्धीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होती थी, ऐसे निदेशों के अधीन रहेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायं :--

सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का संघटन

११--सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड में निम्नलिखित सुन्नी मुसलमान होंगे जो नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे या आगे दी गयी रीति से आमेलित किये जायेंगे--

(१) पांच सदस्य, जिनका निर्वाचन राज्य विधान मन्डल के सुन्नी सदस्य करेंगे, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने में से ही उन्हें निर्वाचित करें ;

(२) दो सदस्य, जिनका निर्वाचन हाईकोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद तथा अवध बार एसोसियेशन, लखनऊ के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे ;

(३) एक सदस्य जिसका निर्वाचन प्राविन्शियल जमायत-उल-उलमा, उत्तर प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य अपने में से करेंगे;

(४) एक सदस्य, जो लेखाशास्त्र (Accountancy) में विशेष ज्ञान रखने वाला सुन्नी मुसलमान होगा और खण्ड (१) से (३) तक के अधीन निर्वाचित सदस्यों द्वारा आमेलित किया जायेगा ;

(५) तीन सदस्य, जो उपर्युक्त नौ सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से आमेलित किये जायेंगे जिन्हें वे उलमा मानते हों और दो सदस्य जो उनके द्वारा उन वक्फों के मुत्तवल्लियों में से आमेलित किये जायगे जिन पर अधिनियम प्रवृत्त होता है ; तथा

(६) अध्यक्ष, यदि वह उपयुक्त चौदह सदस्यों में से न हो।

शिया सेंट्रल बोर्ड का संघटन

१२--शिया सेन्ट्रल बोर्ड में निम्नलिखित शिया मुसलमान होंगे जो नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे या आगे दी गई रीति से आमेलित किये जायेंगे:--

(१) पांच सदस्य जिनका निर्वाचन राज्य विधान मण्डल के शिया सदस्य करेंगे, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने में से ही उन्हें निर्वाचित करें;

(२) एक सदस्य, जिसका निर्वाचन यू० पी० शिया-कान्फ्रेंस (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा ;

(३) एक सदस्य, जिसका निर्वाचन शिया कालेज, लखनऊ, के बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा;

(४) तीन सदस्य, जो उपर्युक्त सात सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से आमेलित किये जायेंगे जिन्हें वे उलेमा मानते हों; तथा

(५) अध्यक्ष, यदि वह उपर्युक्त दस सदस्यों में से न हो ।

१३—(१) यदि धारा ११ और १२ के खण्ड (१) द्वारा यथाव्यवस्थित बोर्ड के सदस्यों का अपेक्षित संख्या में निर्वाचन राज्य विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा न किया जाय तो इस कमी की पूर्ति, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में, प्राविन्शियल मुस्लिम एजूकेशनल कान्फ्रेंस द्वारा और शिया सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में यू० पी० शिया कान्फ्रेंस (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी समिति द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करके की जायेगी और ऐसा न किये जाने पर राज्य सरकार नाम निर्देशन द्वारा कमी की पूर्ति करेगी।

(२) यदि धारा ११ के खण्ड (२) और (३) तथा धारा १२ के खण्ड (२) और (३) में उल्लिखित निकाय ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, सदस्यों का अपेक्षित संख्या में निर्वाचन न कर पायें, तो राज्य सरकार नाम निर्देशन द्वारा इस कमी की पूर्ति करेगी।

बोर्ड का कार्यकाल

१४—धारा २३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उस दिन के, जब पूर्व बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाय, ठीक बाद के दिन से पांच वर्ष का होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उक्त अवधि को एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिये बढ़ा सकती है।

अध्यक्ष का निर्वाचन, आदि

१५—(१) बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो, के तुरन्त पश्चात् और बाद में जब कभी विद्यमान या प्रत्याशित रिक्ति के कारण, या अन्यथा अध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक हो जाय, तो बोर्ड का सचिव, अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये सदस्यों की एक बैठक बुलायेगा। सदस्य या तो अपने में से किसी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्वाचित कर सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वक्फ का मुत्तवल्ली जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो अथवा सरकारी कोषाध्यक्ष (गवर्नमेंट ट्रेजरर) अथवा सरकार का या किसी वक्फ-प्रशासन का कोई पूर्णकालिक सेवक अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया जायेगा

(२) अध्यक्ष अवैतनिक होगा और वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक उपधारा (१) के अपेक्षानुसार बोर्ड द्वारा नया अध्यक्ष निर्वाचित न कर लिया जाय।

कार्य का संचालन

१६—(१) बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में होगा और बोर्ड की बैठक कार्य के संपादन के लिये ऐसे समयों और स्थान पर होगी जो नियत किये जायं।

(२) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित की जाय तो ऐसे स्थगन के पश्चात् प्रथम बैठक के लिये अपेक्षित गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से होगी और यदि बैठक गणपूर्ति न होने के कारण पुनः स्थगित की जाय तो द्वितीय या अनुवर्ती स्थानोपरान्त बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

(३) बोर्ड निर्णय अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से करेगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

सचिव की नियुक्ति आदि

१७—बोर्ड अपने पूर्णकालिक सचिव के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसकी अर्हतायें, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी जो नियत की जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि सचिव, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में सुन्नी सम्प्रदाय का, और शिया सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में शिया सम्प्रदाय का, मुसलमान होगा।

सेंट्रल बोर्ड के कर्मचारिवर्ग

१८—बोर्ड ऐसे कर्मचारिवर्ग और अधिकारियों को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, ऐसे वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों पर, नियुक्त कर सकता है जो नियत की जायं।

बोर्ड के कृत्य

१९—(१) ऐसे जिन वक्फों पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, उन सबका सामान्य अधीक्षण बोर्ड में निहित होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिये कि उसके अधीक्षण के अधीन वक्फों या निबन्धों का अनुरक्षण, नियंत्रण तथा प्रबन्ध उचित रूप से होता है और उसकी आय उन प्रयोजनों के लिये, जिनके निमित्त वे स्थापित किये गये थे या जिनके निमित्त वे विद्यमान हैं, विधिवत् लगाई जाती है, सभी उचित या आवश्यक कार्य करेगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्य होंगे :—

(क) पूर्ण तथा प्रामाणिक अभिलेख रखना जिसमें प्रत्येक जिले के प्रत्येक वक्फ की उत्पत्ति आय, उद्देश्यों और हितग्राहियों के विषय में सूचना हो ;

(ख) अपना बजट तैयार और निश्चित करना;

(ग) मुत्तवल्लियों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किये गये बजटों को निश्चित तथा पारित करना;

(घ) उप-समितियों के वार्षिक बजट निश्चित तथा पारित करना;

(ङ) किसी वक्फ की गत (lost) सम्पत्तियों की पुनः प्राप्ति के लिये कार्यवाही करना;

ऐक्ट संख्या १५, १८७८

(च) अब तक हुसैनाबाद-इण्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८, द्वारा शासित वक्फों और उक्त ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित संपत्तियों से भिन्न वक्फों और वक्फ-सम्पत्तियों की प्रबन्ध-योजनाओं को निश्चित या परिष्कृत करना :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बोर्ड ने इस खण्ड के अधीन कोई प्रशासन योजना निश्चित कर दी हो तो वक्फ में स्वत्व रखने वाला और उक्त निश्चय से प्रभावित कोई व्यक्ति उक्त निश्चय की आज्ञा के दिनांक से ९० दिन के भीतर उसमें उस मामले को अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है, जो उस पर अपना निर्णय देगा;

(छ) वक्फ सम्पत्तियों, उनसे सम्बद्ध लेखों, अभिलेखों, विलेखों और लेख्यों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना;

(ज) वक्फों और वक्फ सम्पत्तियों के प्रकार तथा मात्रा का अनुसंधान करना और मुत्तवल्लियों से समय-समय पर लेखे तथा अन्य विवरणियां और सूचना मांगना तथा वक्फों के समुचित प्रशासन के लिये निदेश देना;

(झ) मुत्तवल्लियों द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित लेखों की लेखा परीक्षा का प्रबन्ध करना;

(ञ) मुत्तवल्ली के पास रखे हुए अतिरिक्त धन का किसी अनुमोदित बैंक में जमा किये जाने का निदेश देना और उसका उपयोग वक्फ के उद्देश्यों के लिये करना;

(ट) वक्फ निधि का प्रशासन करना;

(ठ) प्राप्तियों तथा वितरणों के नियमित लेखे रखना और उन्हें नियत रीति से राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(ड) आवश्यकता होने पर वक्फ के प्रशासन के संबंध में जांच कराना;

(ढ) मुतवल्ली के या वक्फ में स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर अथवा स्वत: वक्फ की सम्पत्ति के पट्टे बंधक अथवा अन्य हस्तांतरण या उसे दूसरी सम्पत्ति में परिवर्तित करने की स्वीकृति देना:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी पट्टे, बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन की तब तक स्वीकृति नहीं दी जायेगी जब तक कि बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई द्वारा यह प्रस्थापना अनुमोदित न की जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पट्टे, बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन के विरुद्ध, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, की गई किसी आपत्ति पर विचार किया जायगा और उसका निर्णय उक्त पट्टे, बंधक, हस्तांतरण या परिवर्तन पूरा किये जाने के पूर्व किया जायेगा;

(ण) मुत्तवल्ली को हटाना या मुतवल्ली को नियुक्त करना और इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वक्फ-सम्पत्ति का कब्जा दिलाना:

प्रतिबन्ध यह है कि मुत्तवल्लियों को नियुक्त करने या वक्फ सम्पत्ति का कोई अन्य प्रबन्ध करने में बोर्ड, यथासंभव वाकिफ के निदेशों के अनुसार, यदि कोई हों, कार्य करेगा;

(त) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति अथवा पर्यवेक्षण समिति को निदेश देना; और

(थ) विधि-न्यायालय में वक्फों से सम्बद्ध वादों तथा कार्यवाहियां संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना।

अधिकारों का प्रतिनिधान

२०—ऐसे प्रतिबन्धों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुये जो निर्दिष्ट की जायं, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे अधिकार और कर्त्तव्य, जो वह आवश्यक समझे, अध्यक्ष या सचिव अथवा बोर्ड के किसी अन्य कर्मचारी या किसी सदस्य को प्रतिनिहित कर सकता है, और उसी प्रकार ऐसे किसी प्रतिनिधान को वापस ले सकता है।

अनर्हतायें तथा सदस्यों का हटाया जाना

२१—(१) कोई व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किये जाने या बने रहने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह—

(क) गैर-मुसलमान हो;

(ख) इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो;

(ग) विकृत चित्त का व्यक्ति हो;

(घ) अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(ङ) नैतिक पतन वाले अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया गया हो; अथवा

(च) कुप्रबन्ध या भ्रष्टाचार के कारण पहले कभी सदस्य के पद से हटाया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा द्वारा उक्त कारणों से किसी विश्वास के पद से हटाया गया हो।

(२) बोर्ड अपने किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह--

(क) उपधारा (१) में उल्लिखित किन्हीं अनर्हताओं से ग्रस्त हो या हो जाय, या

(ख) कार्य करने से इन्कार करे या कार्य करने से असमर्थ हो अथवा ऐसी रीति से कार्य करे जिसे बोर्ड, कोई ऐसा स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात जो वह दे, वक्फों के हित के प्रतिकूल समझे या

(ग) बोर्ड की अनुज्ञा के बिना अथवा पर्याप्त कारण के बिना बोर्ड की पांच लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहे।

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी सदस्य का हटाया जाना सरकारी गजट में विज्ञापित किया जायगा।

अध्यक्ष तथा सदस्यों का त्याग-पत्र

२२--बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य बोर्ड को पत्र लिख कर अपने पद का त्याग कर सकता है और बोर्ड द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

रिक्ति की पूर्ति

२३--किसी सदस्य के हटाये जाने, पद त्याग करने, मृत्यु हो जाने या अन्य कारण से उसका स्थान रिक्त हो जाने पर इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति से उसके स्थान पर एक नया सदस्य निर्वाचित या आमेलित, जैसी भी दशा हो, किया जायेगा और ऐसा सदस्य तब तक पदासीन रहेगा जब तककि वह सदस्य, जिसके स्थान की वह पूर्ति करता हो, ऐसी रिक्ति न होने की दशा में पदासीन रहने का हकदार होता।

सदस्य पदों की रिक्तियां या संघटन में त्रुटि, बोर्ड के कार्यों या कार्यवाहियों को अवैध न करेगी

२४--बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल उसके सदस्य पदों की किसी रिक्ति या उसके संघटन में किसी त्रुटि के कारण अवैध नहीं समझी जायगी।

बोर्ड की राय

२५--किसी वक्फ का मुतवल्ली, बोर्ड को याचिका देकर उससे ऐसे वक्फ की सम्पत्ति के प्रबन्ध या प्रशासन को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर अपनी राय, मंत्रणा या निदेश देने के लिये प्रार्थना कर सकता है और बोर्ड को उस पर अपनी राय, मंत्रणा या निर्देश देना आवश्यक होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड किसी ऐसे प्रश्न पर उक्त राय, मंत्रणा या निदेश देने के लिये बाध्य न होगा जो उसकी राय में संक्षेपतः निस्तारण के लिये उपयुक्त प्रश्न न हो या जब बोर्ड किसी अन्य कारण से, जो अभिलिखित किया जायगा, ऐसा करना अनुपयुक्त समझे।

अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतिलिपियों का जारी किया जाना ऐक्ट संख्या १, १८७२

२६--बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अन्य अभिलेखों का जो उसकी अभिरक्षा में हों, निरीक्षण करने तथा उनकी प्रतिलिपियां जारी करने की अनुमति ऐसे शुल्क दिये जाने पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए दे सकता है, जो नियत किये जायं। इस धारा के अधीन जारी की गई समस्त प्रतिलिपियां बोर्ड के सचिव द्वारा इंडियन इविडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ७६ में व्यवस्थित रीति से प्रमाणित की जायंगी।

उप-समितियां

२७--(१) बोर्ड, जब कभी वह आवश्यक समझे, किसी स्थानीय क्षेत्र में उस क्षेत्र के किसी वक्फ या सब वक्फों के पर्यवेक्षण के लिये उप-समिति की स्थापना कर सकती है।

(२) उक्त उप-समिति का संघटन, कृत्य और कर्तव्य वे होंगे जो बोर्ड द्वारा नियत किये जायं।

अध्याय ३

वक्फों की रजिस्ट्री

व्यावृत्ति यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १६३६

२८--इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व यू०पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १६३६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई वक्फ, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जायगी।

रजिस्ट्री

२६--(१) प्रत्येक अन्य वक्फ की, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन हो या न हो और चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाया गया हो या उसके पश्चात् उस फिरके के जिसका वह वक्फ हो, बोर्ड के कार्यालय में रजिस्ट्री की जायेगी।

(२) वक्फ सम्पत्ति पर कब्जा पाने के तीन मास के भीतर मुतवल्ली रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना पत्र वाकिफ या उसके वंशजों अथवा वक्फ के किसी हितग्राही या उस फिरके के, जिसका वह वक्फ हो, किसी मुसलमान द्वारा दिया जा सकता है।

(३) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर दिया जायगा, जो बोर्ड नियत करे, और उसमें यथासंभव निम्नलिखित ब्योरे होंगे--

(क) वक्फ सम्पत्तियों का विवरण जो उन संपतियों की पहचान के लिये पर्याप्त हों;

(ख) ऐसी सम्पत्तियों से होने वाली सकल वार्षिक आय;

(ग) वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में प्रतिवर्ष देय मालगुजारी, उपकर और स्थानीय कर तथा कर की धनराशि;

(घ) वक्फ सम्पत्तियों की आय वसूल करने में प्रति वर्ष होने वाले व्ययों का तखमीना;

(ङ) वक्फ के अधीन निम्नलिखित के लिये अलग रखी गयी धनराशि--

(१) मुतवल्ली का वेतन और व्यक्तियों के भत्ते;

(२) पूर्णतया धार्मिक प्रयोजन;

(३) पूर्त प्रयोजन; और

(४) कोई अन्य प्रयोजन; और

(च) बोर्ड द्वारा नियत कोई अन्य विवरण।

(४) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ वक्फ विलेख की एक प्रतिलिपि होगी अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित न किया गया हो या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त न की जा सकती हो तो उस प्रार्थना-पत्र में वक्फ की उत्पत्ति, प्रकार और उद्देश्यों के पूर्ण विवरण, जहां तक वे प्रार्थी को ज्ञात हों, दिये होंगे।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(५) उपधारा (२) के अधीन दिया गया प्रत्येक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अभिवचनों (pleadings) के हस्तांकन और सत्यापन के लिये व्यवस्थित रीति से हस्तांकित और सत्यापित किया जायगा।

(६) बोर्ड प्रार्थी से ऐसे अन्य ब्योरे या सूचना, जो वह आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकता है।

(७) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड वक्फ की रजिस्ट्री करने के पहले, प्रार्थना पत्र की वास्तविकता तथा वैधता और उसमें दिये गये किसी ब्योरे की शुद्धता के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है, जो वह उचित समझे, और यदि प्रार्थना-पत्र, वक्फ की सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाय तो बोर्ड, वक्फ की रजिस्ट्री करने के पहले प्रार्थना-पत्र का नोटिस वक्फ सम्पत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञा पारित करेगा, जो वह उचित समझे।

(८) उपधारा (७) के अधीन बोर्ड की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से ९० दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र देकर वह विवाद अधिकरण अभिदिष्ट कर सकता है, जो उस पर अपना निर्णय देगा।

वक्फ की रजिस्ट्री

३०—बोर्ड एक वक्फ रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वक्फ से सम्बद्ध वक्फ विलेखों की प्रतिलिपियां, यदि वे उपलब्ध हों, और निम्नलिखित ब्योरे होंगे, अर्थात् :

(क) वक्फ का वर्ग;

(ख) मुतवल्ली का नाम;

(ग) वक्फ विलेख के अधीन अथवा रूढ़ि या प्रथा द्वारा मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार का नियम;

(घ) समस्त वक्फ सम्पत्तियों और उनसे सम्बद्ध समस्त स्वत्व विलेखों तथा लेख्यों के ब्योरे;

(ङ) रजिस्ट्री के समय प्रशासन की योजना और व्यय की योजना के ब्योरे, तथा

(च) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं।

वक्फ की रजिस्ट्री कराने तथा रजिस्टर का संशोधन करने का अधिकार

३१—बोर्ड, वक्फ की रजिस्ट्री कराने के निमित्त प्रार्थना-पत्र देने या वक्फ के संबंध में कोई सूचना देने के लिये मुतवल्ली को निदेश दे सकता है अथवा स्वयं सूचना एकत्र कर सकता है और वक्फ की रजिस्ट्री करा सकता है या किसी भी समय वक्फों के रजिस्टर को संशोधित कर सकता है।

रजिस्ट्रीकृत वक्फों में परिवर्तन की विज्ञप्ति

३२--(१) यदि मुतवल्ली की मृत्यु के अथवा उसके सेवानिवृत्त होने या हटाये जाने के कारण रजिस्ट्रीकृत वक्फ के प्रबन्धकों में कोई परिवर्तन हो जाये तो उस परिवर्तन की सूचना बोर्ड को नया आने वाला मुतवल्ली तुरन्त देगा और कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसी सूचना दे सकता है।

(२) यदि धारा २९ में उल्लिखित ब्योरों में से किसी में कोई अन्य परिवर्तन हो जाये तो मुतवल्ली वह परिवर्तन होने के दिनांक से तीन मास के भीतर उसकी सूचना बोर्ड को देगा।

इस बात का निर्णय कि संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं

३३--(१) बोर्ड किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में सूचना एकत्र कर सकता है या करवा सकता है जिसके विषय में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह वक्फ सम्पत्ति है और यदि किसी सम्पत्ति विशेष के संबंध में यह प्रश्न उठे कि वह सम्पत्ति है या नहीं, तो वह (बोर्ड) ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उस प्रश्न का निर्णय कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस निर्णय के दिनांक से ९० दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र देकर वह विवाद अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है, जो उस पर अपना निर्णय देगा।

अध्याय ४

बोर्डों की वित्त-व्यवस्था

वक्फों द्वारा वार्षिक अंशदान

३४--(१) ऐसे प्रत्येक वक्फ का, जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है मुतवल्ली प्रतिवर्ष बोर्ड को ऐसा अंशदान देगा, जो उसकी उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति की शुद्ध वार्षिक आय के छः प्रतिशत से अनधिक हो और जो बोर्ड, राज्य-सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, समय-समय पर अवधारित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वक्फ के विषय में, जिसकी आय का कोई भाग वाकिफ या उसके वंशजों या परिवार के हित के लिये या किसी अन्य निजी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता हो, उपर्युक्त अंशदान आय के उस भाग पर नहीं लिया जायगा।

(२) इस धारा के अधीन अंशदान इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से देय होगा, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के लिये किसी वक्फ से प्राप्य अंशदान इस अधिनियम के अधीन आरोपित अंशदान समझा जायेगा और इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमावली में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९३६

(३) बोर्ड, वक्फों के किसी वर्ग के विषय में समय-समय पर ऐसे अंशदान को किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये कम कर सकता है या उसकी छूट दे सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन या यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अधीन कम किये गये या छूट दिये गये अंशदान को पुनः आरोपित करना बोर्ड के अधिकार में होगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन देय अंशदान, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को किन्हीं देय धनराशियों के अथवा वक्फ सम्पत्ति या उसकी आय पर किसी अन्य परिनियत भार (statutory charge) के पूर्व भुगतान के अधीन रहते हुए, वक्फ की आय पर प्रथम भार होगा और सम्बद्ध वक्फ के मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(५) यदि कोई मुतवल्ली वक्फ की आय वसूल करे और ऐसे अंशदान का भुगतान करने से इंकार करे या उसमें उपेक्षा करे तो वह स्वयं भी ऐसे अंशदान का देनदार होगा और वह (अंशदान) उससे या उसकी सम्पत्ति से उपधारा (४) में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(६) किसी वक्फ का मुतवल्ली अपने द्वारा उपधारा (१) के अधीन देय अंशदान को, उन व्यक्तियों से वसूल कर सकता है जो वक्फ से कोई आर्थिक या अन्य पार्थिव लाभ प्राप्त करने के हकदार हों, किन्तु ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक से वसूलने योग्य धनराशि का कुल अंशदान से वही अनुपात होगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्य लाभों के मूल्य का वक्फ की सम्पूर्ण शुद्ध वार्षिक आय से हो।

उ० प्र० अधि-नियम संख्या १, १९५१

३५---(१) यदि कोई वक्फ, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ९९ के अधीन पुनर्वासन अनुदान के मध्ये कोई वार्षिक वृत्ति पाने का हकदार हो, तो ऐसे वक्फ द्वारा धारा ३४ के अधीन देय किसी अंशदान का भुगतान राज्य सरकार, बोर्ड के सचिव द्वारा नियत प्रपत्र में और उसके (सचिव के) द्वारा हस्ताक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, ऐसी वार्षिक वृत्ति से कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान की गई धनराशि वार्षिक वृत्ति के छः प्रतिशत से अधिक न होगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन तथा उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया किसी धनराशि का भुगतान, उसे उसके दायित्व से इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि की मात्रा तक पूर्णतया विमुक्त करेगा।

३६---इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसी धनराशियों और ऐसी शर्तों पर उधार ले सकती है जो राज्य सरकार अवधारित करे।

३७---(१) धारा ३४ के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धन से तथा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा वसूल किये गये सभी अन्य धन से एक निधि बनेगी जो यथास्थिति "उत्तर प्रदेश शिया वक्फ निधि" या "उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ निधि" कहलायेगी।

(२) वक्फ-निधि, बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निम्नलिखित के लिये उपयोग में लाई जायगी:---

(क) धारा ३६ के अधीन लिये गये किसी ऋण का प्रतिदान और उस पर ब्याज का, भुगतान;

(ख) वक्फ निधि की लेखा-परीक्षा के व्यय का भुगतान;

(ग) बोर्ड के सचिव और कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्तों का, और यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय तो उप-समिति के कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्तों का भुगतान;

(घ) बोर्ड के तथा यदि कोई उपसमिति हो तो उसके, अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारिवर्ग को यात्रा-भत्ते का भुगतान; और

(ङ) इस अधिनियम के अधीन या द्वारा आरोपित कर्त्तव्यों के पालन तथा प्राप्त अधिकारों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा, तथा यदि कोई उपसमिति हो तो उसके द्वारा, किये गये सभी व्ययों का भुगतान।

(३) यदि उपधारा (२) में निर्दिष्ट व्यय पूरा करने के पश्चात् बोर्ड की आय में से कोई अतिरिक्त या संचित धनराशि शेष रह जाय तो बोर्ड उसका अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग बक्फ सम्पत्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिये या ऐसे धार्मिक, धर्मशील अथवा पूर्त्त प्रयोजनों के लिये, जो बोर्ड उपयुक्त समझे, कर सकता है।

बोर्ड का बजट

३८--बोर्ड, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय, जो नियत किया जाय अगले वर्ष के लिये बजट तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दिखाये जायेंगे और वह उसकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगा।

बोर्ड के लेखे

३९--(१) बोर्ड ऐसी लेखा पुस्तकें ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा, जो नियत की जायं।

(२) बोर्ड के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा तथा जांच बोर्ड द्वारा नियुक्त राज्य-सनद-प्राप्त लेखाकारों (Chartered Accountants) द्वारा की जायगी।

(३) लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा धनराशियों या अन्य सम्पत्ति की वसूली में की जाने वाली चूक के अथवा हानि के सभी मामलों का उल्लेख होगा, और प्रतिवेदन में उस व्यक्ति का नाम भी होगा, जो लेखा परीक्षकों की राय में अपनी उपेक्षा या अनाचार के कारण उस व्यय, चूक अथवा हानि के लिये उत्तरदायी हो।

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार आज्ञा देगी

४०--धारा ३९ के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और वह (राज्य सरकार) उस प्रतिवेदन की जांच करेगी और उसमें उल्लिखित किसी विषय के संबंध में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकती है और प्रतिवेदन पर ऐसी आज्ञा देगी जो वह उपयुक्त समझे।

प्राप्य धनराशियों की वसूली

४१--प्रत्येक धनराशि का, जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति से प्राप्य प्रमाणित की गई हो, जब तक कि वह प्रमाण-पत्र धारा ४० के अधीन दी गई राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा परिष्कृत या रद्द कर दिया जाय और प्रत्येक ऐसी धनराशि का जो ऐसे परिष्कृत प्रमाण-पत्र के अनुसार प्राप्य हो, भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा उचित समय के भीतर जो बोर्ड निश्चय करेगा, किया जायगा और यदि भुगतान उस समय के भीतर न किया जाय तो देय धनराशि सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है।

अध्याय ५

राज्य सरकार के विशेष अधिकार

राज्य सरकार द्वारा सामान्य पर्यवेक्षण

४२--राज्य सरकार--

(१) बोर्ड का सामान्य पर्यवेक्षण करेगी और उससे कोई लेखा, अभिलेख या सूचना मांग सकती है; तथा

(२) अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले लेखा परीक्षक द्वारा बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा की जाने की भी अपेक्षा कर सकती है।

४३--राज्य सरकार, समय-समय पर, बोर्ड को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकती है जो राज्य सरकार उचित समझे और बोर्ड अपने कृत्यों के सम्पादन में ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

बोर्ड का अवक्रमण

४४---बोर्ड के घोर कुप्रबन्ध और उसकी निरन्तर कर्त्तव्य-विमुखता की दशा में अथवा जब राज्य सरकार की राय में बोर्ड ने विधि द्वारा अपने में निहित अधिकारों का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो या उसने ऐसा अनधिकृत कार्य किया हो कि उसका (बोर्ड के) बने रहने से उसके सार्वजनिक हित के लिये हानिकारक सिद्ध होने की संभावना हो, तो राज्य सरकार, बोर्ड को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के पश्चात् और उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उसे अवक्रांत कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के कृत्यों को अपने हाथ में लिया जाना

४५---(१) यदि बोर्ड की धारा ४४ के उपबन्धों के अधीन अवक्रांत कर दिया गया हो, तो राज्य सरकार बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये एक प्रशासक नियुक्त करेगी जो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की दशा में सुन्नी और शिया सेंट्रल बोर्ड की दशा में शिया होगा।

(२) धारा ४४ के अधीन बोर्ड के अवक्रमण की विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर:

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, अवक्रमण के दिनांक से, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे, और

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोक्तव्य या सम्पादनीय समस्त अधिकार और कर्त्तव्य, अवक्रमण की अवधि में, प्रशासक द्वारा प्रयुक्त और सम्पादित किये जायेंगे और वह प्रशासक सभी प्रयोजनों के लिये बोर्ड समझा जायगा।

नये बोर्ड का निर्माण तथा उसे वक्फों के प्रशासन का हस्तान्तरण

४६---(१) यदि धारा ४४ के उपबन्धों के अधीन बोर्ड का अवक्रमण कर दिया गया हो, तो अवक्रमण के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक नया बोर्ड संघटित किया जायगा।

(२) ज्योंही उपधारा (१) के अधीन नया बोर्ड संघटित हो जाय, राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, वक्फों का प्रशासन उस बोर्ड को हस्तांतरित कर देगी और तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से बोर्ड के कृत्यों का संपादन बन्द कर देगा।

हुसैनाबाद तथा संबद्ध वक्फों की सम्पत्तियों का प्रशासन

ऐक्ट संख्या १५, १८७८

४७---(१) राज्य सरकार उन सम्पत्तियों से सम्बद्ध प्रशासन की योजना निश्चित करेगी जो अब तक हुसैनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट, १८७८, द्वारा शासित होती थी या जिनका प्रशासन तद्धीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा होता था।

(२) राज्य सरकार, शिया सेंट्रल बोर्ड से परामर्श करके, उपधारा (१) के अधीन निश्चित प्रशासन की योजना में संशोधन या परिष्कार कर सकती है और राज्य सरकार उन सम्पत्तियों के प्रशासन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी सन्देह या कठिनाई को दूर करने के लिये समय-समय पर निदेश जारी कर सकती है।

अध्याय ६

मुतवल्ली और वक्फ-लेखे

मुतवल्लियों की नियुक्ति

४८---धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (ण) द्वारा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड उस दशा में जब किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो और वक्फ के विलख के निबन्धनों के अधीन नियुक्ति योग्य व्यक्ति न हो, या जब मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति

का अधिकार विवादग्रस्त हो, किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के निमित्त नियुक्त कर सकता है या बोर्ड, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबंध तीन वर्ष से अनधिक व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपने हाथ में ले सकता है ।

मुतवल्लियों के कर्त्तव्य

४९—प्रत्येक मुतवल्ली का यह कर्त्तव्य होगा कि वह :—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत ऐसे समस्त निदेशों का पालन करे जो बोर्ड द्वारा या बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से धारा २७ के अधीन संघटित उप-समिति द्वारा उसे दिये गये हों ;

(ख) ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करे तथा ऐसी सूचना या ब्योरे दे जो समय-समय पर बोर्ड या उप-समिति द्वारा अपेक्षित हों ;

(ग) वक्फ की सम्पत्ति, लेखों या अभिलेखों का या उनसे संबद्ध विलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करने दे;

(घ) सभी सार्वजनिक देय धनराशियों को चुकता करे ; तथा

(ङ) कोई ऐसा अन्य कार्य करे जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन करना उसके लिये वैधतः अपेक्षित हो ।

मुतवल्लियों द्वारा वक्फों का बजट तथा लेखे प्रस्तुत किया जाना

५०—विशेषतः और धारा ४९ में नियत कर्त्तव्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली—

(क) प्रत्येक वर्ष अगले वित्तीय वर्ष, के लिये एक बजट तैयार करेगा जिसमें ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दिखाये जायेंगे और उस अनुमोदनार्थ उस वर्ष के ३१ मार्च के पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ;

(ख) प्रत्येक वर्ष पहली मई के पूर्व बोर्ड को, विवरण प्रस्तुत करने के ठीक पहले के ३१ मार्च को समाप्त होने वाले बारह मासों की अवधि में या उक्त अवधि के उस भाग में जिसमें इस अधिनियम के उपबन्ध वक्फ पर प्रवृत्त रहे हों, वक्फों की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्राप्त तथा व्यय की गई सभी धनराशियों के लेखों का एक पूर्ण और सही विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों के साथ प्रस्तुत करेगा जो नियत किये जायें और जो उसी रीति से सत्यापित किया गया हो जो अभिकथनों के सत्यापन के लिये कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ द्वारा नियत की गई है : ऐक्ट संख्या ५, १९०८

प्रतिबन्ध यह है कि वक्फ-अलल-औलाद के सम्बन्ध में मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित लेखों का विवरण आय के केवल ऐसे भाग के विषय में होगा जो धार्मिक या पूर्त्त प्रयोजनों के लिये निर्दिष्ट किया गया हो या अलग रखा गया हो ।

वक्फों के लेखों की लेखा-परीक्षा

५१—(१) धारा ५० के अधीन बोर्ड को प्रस्तुत किये गये वक्फों के लेखों की लेखा परीक्षा तथा जांच प्रति वर्ष या अन्य ऐसे समयान्तरों पर, जो बोर्ड अवधारित करे, धारा १८ के अधीन नियुक्त लेखा-परीक्षक द्वारा की जायगी ।

(२) लेखा-परीक्षक अपना प्रतिवेदन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा धनराशि या अन्य सम्पत्ति की वसूली में चूक अथवा मुतवल्ली की उपेक्षा

या अवधार के कारण हुई धन की हानि या उसके अपव्यय के सभी मामलों का और किसी ऐसे अन्य मामले का उल्लेख होगा, जिसे लेखा-परीक्षक सूचित करना आवश्यक समझे । उक्त प्रतिवेदन में उस व्यक्ति का नाम भी होगा जो लेखा-परीक्षक की राय में उस व्यय अथवा चूक के लिये उत्तरदायी हो और लेखा-परीक्षक प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे व्यय अथवा हानि की धनराशि को प्रमाणित करेगा ।

(३) वक्फ के लेखों की लेखा-परीक्षा के व्यय का भुगतान वक्फ निधि से किया जायगा ।

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर बोर्ड आज्ञा देगा

५१—बोर्ड लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और उसमें उल्लिखित किसी मामले के संबंध में किसी व्यक्ति का स्पष्टीकरण मांग सकता है और प्रतिवेद पर ऐसी आज्ञा देगा, जो वह उपयुक्त समझे ।

देय धनराशियों की वसूली

५२—(१) प्रत्येक धनराशि का, जो धारा ५१ के अधीन लेखा—परीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रमाणित की गई हो, जब तक कि ऐसा प्रमाण-पत्र धारा ५२ के अधीन बोर्ड की आज्ञा द्वारा परिष्कृत या रद्द न कर दिया जाय, और प्रत्येक धनराशि का, जो परिष्कृत प्रमाण-पत्र के अनुसार प्राप्य भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके लिये बोर्ड द्वारा जारी किये गये मांग के नोटिस की तामील के पश्चात् साठ दिन के भीतर किया जायगा ।

(२) यदि ऐसा भुगतान ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर न किया जाय तो देय धनराशि, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर, धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है ।

शास्तियां

५४—(१)—यदि मुतवल्ली बिना उचित कारण या हेतु के, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा:—

(क) वक्फ की रजिस्ट्री के लिये धारा २९ के व्यवस्थानुसार, प्रार्थना-पत्र न दे ; या

(ख) इस अधिनियम के अपेक्षानुसार व्योरों अथवा लेखों के विवरण तथा विवरणियां प्रस्तुत न करे और लेखों की लेखा—परीक्षा न कराये; या

(ग) बोर्ड या किसी उप-समिति द्वारा अपेक्षित सूचना या व्योरे न दे; या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वक्फ सम्पत्तियों तथा उनसे सम्बद्ध विलेखों और लेखों का निरीक्षण न करने दे ; या

(ङ) जांचों तथा अनुसंधानों में उस समय सहायता न दे जब बोर्ड द्वारा, या किसी उप-समिति द्वारा, बोर्ड की आज्ञा के अधीन कार्य करने वाले अधीक्षक, निरीक्षक, लेखा परीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उससे ऐसा करने के लिये कहा जाय ; या

(च) वक्फ की किसी सम्पत्ति का कब्जा न दे, जब बोर्ड द्वारा उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जाय; या

(२) राज्य सरकार स्वतः या क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, किसी मामले के अभिलेख को, उस आदेश की, जिसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन अर्थदंड आरोपित किया गया हो, शुद्धता, वैधता या औचित्य के

विषय में अपना समाधान करने के लिये मंगा सकती है और ऐसे आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे।

(छ) अपनी हस्तस्थ अतिरिक्त धनराशि को किसी मान्यता प्राप्त बैंक में जमा न करे, जब बोर्ड द्वारा उसे ऐसा करने का निर्देश दिया जाय; या

(ज) बोर्ड या किसी उप-समिति द्वारा दिये गये इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत निदेशों का पालन न करे; या

(झ) कोई ऐसा अन्य कार्य न करे जिसके करने की उससे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षा की जाय,

तो वह प्रथम उल्लंघन के लिये पचास रुपये से और प्रत्येक अनुवर्ती उल्लंघन के लिये दो सौ पचास रुपये से अनधिक ऐसे अर्थदंड का भागी होगा जो बोर्ड अवधारित करे ।

मुतवल्लियों का हटाया जाना

५५—(१) बोर्ड प्रबन्ध समिति से भिन्न मुतवल्ली को, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उसके पद से हटा सकता है, यदि—

(१) उसे धारा ५४ के अधीन एक से अधिक अवसरों पर अर्थ-दण्ड दिया गया हो ; या

(२) उसे वक्फ की सम्पत्ति या धनराशि से सम्बद्ध ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसके कारण वह, बोर्ड की राय में, मुतवल्ली के रूप में बने रहने के अयोग्य हो गया हो ; या

ऐक्ट सख्या ५, १९९८

(३) उसे नैतिक पतन वाले अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो या उससे कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १०९ या धारा ११० के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई हो ; या

(४) वह वक्फ की किसी सम्पत्ति को अनुचित रूप से नष्ट या हस्तांतरित करे ; या

(५) वह दिवालिया निर्णीत किया गया हो ; या

(६) वह, बोर्ड की राय में, किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता या नैतिक अपचार के कारण मुतवल्ली के कर्त्तव्यों का पालन करने में अयोग्य हो; या

(७) वह वक्फ सम्पत्ति के दुर्विनियोग या घोर कुप्रबंध का दोषी हो या उसने वक्फ के उचित प्रबन्ध के लिये बोर्ड द्वारा दिया गये निर्देशों का अनुपालन करने में निरन्तर उपेक्षा की हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन हटाये जाने की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति हटाये जाने की आज्ञा की सूचना मिलने के दिनांक से ९० दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र देकर मामले को अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है ।

अध्याय ७

बोर्ड के विशेष अधिकार

जांच के लिये प्रार्थना-पत्र

५६—हितग्राही या वक्फ में स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति वक्फ के प्रशासन के सम्बन्ध में जांच करवाने के लिये या उसके लेखों के परीक्षण या उनकी लेखा-परीक्षा के लिये बोर्ड को शपथ-पत्र से समर्पित प्रार्थना-पत्र दे सकता है और बोर्ड

ऐसी जांच, परोक्षण या लेखा-परीक्षा कर सकता है या अपने अधिकारी अथवा धारा २७ के अधीन संघटित उपसमिति के माध्यम से ऐसी जांच, परीक्षण या लेखा परीक्षा करवा सकता है, जो वह उपयुक्त समझे ।

बोर्ड द्वारा जांच

५७--यदि, धारा ५६ के अधीन दिये गये प्रार्थना-पत्र पर या स्वतः बोर्ड द्वारा की गई जांच के पश्चात, बोर्ड की यह राय हो कि मुतवल्ली या प्रबंध समिति ने वक्फ के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण से अन्यथा कार्य किया है तो वह (बोर्ड) मुतवल्ली या प्रबंध समिति को ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है, जो वह बोर्ड इष्टकर समझे ।

जांच करने वाले प्राधिकारी के अधिकार ऐक्ट संख्या ५, १९०८

५८--इस अध्याय के अधीन जांच के प्रयोजनार्थ जांच करने वाले अधिकारी या समिति को साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने के वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो व्यवहार न्यायालय को कोड आफ सिविल प्रोसीजर १९०८ के अधीन प्राप्त हैं ।

ऐसे वक्फ का उद्देश्य अवधारित करना जिसका उद्देश्य विद्यमान न रहे, आदि ऐक्ट संख्या ५, १९०८

५९--(१) यदि किसी वक्फ का उद्देश्य विद्यमान न रह गया हो या पूरा न किया जा सकता हो, तो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ९२ या तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, बोर्ड, स्वतः या उस फिरके के जिसका कि वक्फ हो किसी सदस्य द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, वह उद्देश्य अवधारित कर सकता है जिसके लिये वक्फ की निधियां, सम्पत्ति या आय अथवा उनका कोई भाग उपयोग में लाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उद्देश्य के इस प्रकार अवधारण के पूर्व बोर्ड वक्फ के मुतवल्ली को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो बोर्ड को उसमें स्वत्व रखने वाले प्रतीत हों, नोटिस देगा और ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि बोर्ड द्वारा इस प्रकार अवधारित उद्देश्य, उस उद्देश्य के, जिसके लिये वक्फ बनाया गया था, सदृश या यथासाध्य सदृश्य होगा ।

(२) मुतवल्ली या वक्फ में स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से ९० दिन के भीतर उस मामले को अधिकरण को अभिदृष्ट कर सकता है ।

वक्फ का उद्देश्य स्पष्ट न होने पर निदेश

६०--(१) यदि किसी दशा में वक्फ का उद्देश्य स्पष्टतः परिभाषित न हो, तो बोर्ड उस रीति का निर्देश करेगा जिससे वक्फ की निधि, सम्पत्ति या आय अथवा उसका अतिरिक्त अंश उपयोग में लाया जायगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा निर्देश न दिया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के निदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति ऐसे निर्देश के दिनांक से ९० दिन के भीतर उस मामले को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है, किन्तु उस अभिदेश पर अधिकरण द्वारा निर्णय दिये जाने तक, बोर्ड के निर्देश का पालन किया जायगा ।

विलेख आदि में न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी को दिये गये कतिपय अधिकारों का प्रयोग

६१--जब कभी किसी वक्फ के विलेख या न्यायालय की किसी डिक्री या आज्ञा अथवा वक्फ की प्रबन्ध-योजना में यह व्यवस्था हो कि न्यायाधीश (जज) या कोई अन्य प्राधिकारी मुतवल्ली को नियुक्त कर सकता है या हटा सकता है अथवा वह प्रबन्ध-योजना को निश्चित या परिष्कृत कर सकता है अथवा अन्य रूप से वक्फ के अवेक्षण के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तो उस न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार, वक्फ के विलेख, डिक्री आज्ञा या

योजना में कोई अन्य बात होने पर भी, बोर्ड द्वारा यथासाध्य वक्फ के विलेख, डिक्री, आज्ञा या योजना, जैसी भी दशा हो, में दिये हुये निर्देशों के अनुसार प्रयोक्तव्य होंगे ।

आभार का निर्वहन सुनिश्चित कराने के अधिकार

६२—(१) यदि मुतवल्ली पर यह आभार हो कि वह कोई ऐसा कार्य करे जो मुस्लिम विधि द्वारा धर्मशील, धार्मिक या पूर्ति स्वीकृति हो और मुतवल्ली वह कार्य न करे तो बोर्ड मुतवल्ली को निदेश दे सकता है कि वह बोर्ड को या बोर्ड द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त कार्य करने के लिये आवश्यक धनराशि दे और बोर्ड या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उक्त कार्य का संपादन करेगा।

(२) यदि मुतवल्ली, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय राजस्व, उपकर, स्थानीय करों या करों का भुगतान करने से इन्कार करे या भुगतान न करे तो बोर्ड देय धनराशियों का भुगतान वक्फ निधि से कर सकता है और इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि को वक्फ सम्पति से वसूल कर सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन प्राप्य कोई धनराशि, सम्बद्ध मुतवल्ली को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर, धारा ८३ में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकती है।

पर्यवेक्षण समितियां और उन का अवक्रमण करने का बोर्ड का अधिकार

६३—(१) जब कभी किसी वक्फ का पर्यवेक्षण या प्रबन्ध, वाकिफ या किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति में निहित हो, तो ऐसी समिति, अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसका उपधारा (२) के अधीन बोर्ड द्वारा अवक्रमण न कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति बोर्ड के नियन्त्रण में रहेगी और बोर्ड के ऐसे निदेशों का पालन करेगी जो उस समिति को नियुक्त करने वाले वाकिफ या न्यायालय अथवा प्राधिकारी के किन्हीं निदेशों से असंगत न हों।

(२) अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बोर्ड पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी किसी समिति का अवक्रमण कर सकता है यदि वह, उसकी राय में, जो अभिलिखित की जायगी, समुचित तथा संतोषजनक रूप से कार्य न कर रही हो और ऐसे अवक्रमण किये जाने पर न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की कोई ऐसी डिक्री या आज्ञा, जिसके अधीन उक्त समिति संघटित की गई हो, उस सीमा तक निष्प्रभाव हो जायगी, जहां तक कि उसका सम्बन्ध उक्त समिति के संघटन से हो।

(३) उपधारा (२) के अधीन बोर्ड द्वारा दी गई कोई आज्ञा अंतिम होगी और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के अधीन किसी आज्ञा से क्षुब्ध कोई पक्ष उस आज्ञा के दिनांक से ९० दिन के भीतर, मामले को न्याय-निर्णय के लिये अधिकरण को अभिदिष्ट कर सकता है।

(४) यदि बोर्ड उपधारा (२) के अधीन किसी आज्ञा द्वारा समिति का अवक्रमण करे तो वह या तो एक नयी पर्यवेक्षण अथवा प्रबन्ध समिति नियुक्त कर सकता है या वक्फ का प्रबन्ध सीधे अपने हाथ में ले सकता है।

(५) उस दशा में जब बोर्ड ने वक्फ का प्रबन्ध सीधे अपने हाथ में ले लिया हो या मुतवल्ली अथवा प्रबन्ध समिति नियुक्त की हो और बोर्ड या इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली अथवा समिति को वक्फ सम्पत्ति या उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेखों (title deeds) अथवा अन्य विलेखों या अन्य लेख्यों को कब्जे में लेने से

रोका जाय, तो बोर्ड या इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली अथवा समिति के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण वक्फ सम्पत्ति और उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेखों, या अन्य लेखों का कब्जा देने का पंच निर्णय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दे सकता है, जिनके कब्जे में वह सम्पत्ति, स्वत्व–विलेख या अन्य लेख्य हों।

(६) बोर्ड उपधारा (२) के अधीन किसी समिति का अवक्रमण करने के बजाय उसके किसी सदस्य को हटा सकता है यदि बोर्ड का समाधान हो जाय कि उस सदस्य ने उस हैसियत से अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है या जान बूझ कर ऐसी रीति से कार्य किया है जो वक्फ के हित के प्रतिकूल है। हटाये जाने की आज्ञा संबद्ध सदस्य पर विधिवत् तामील की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य को हटाये जाने की कोई आज्ञा तब तक न की जायगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि हटाये जाने की आज्ञा की तामील के दिनांक से ३० दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील की जा सकेगी और अपील पर राज्य सरकार की आज्ञा अन्तिम होगी और उस पर किसी विधि–न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अध्याय ८

बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा वक्फों से सम्बद्ध कतिपय वाद या कार्यवाहियां

रिलीजस इण्डाउमेण्ट्स ऐक्ट, १८६३ की धारा १४ तथा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ९२ के अधीन वाद संस्थित करना ऐक्ट संख्या २०, १८६३ ऐक्ट संख्या ५, १९०८

६४––(१) रिलीजस इन्डाउमेण्ट्स ऐक्ट, १८६३, की धारा १४ तथा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ९२ में उल्लिखित किसी भी अनुतोष को पाने के लिये वक्फ से सम्बद्ध कोई वाद, उन ऐक्टों में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, उन ऐक्टों में निर्दिष्ट अनुमति या सम्मति प्राप्त किये बिना, बोर्ड द्वारा संस्थित किया जा सकता है।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अनुतोष को पाने के लिये वक्फ से सम्बन्द्ध कोई वाद, बोर्ड को लिखित सम्मति के बिना बोर्ड से भिन्न किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा संस्थित नहीं किया जायगा।

बोर्ड के विरुद्ध पक्षों द्वारा वाद का नोटिस

६५––बोर्ड द्वारा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसरण में किये गये प्रकट होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा, जब तक कि एक लिखित नोटिस जिसमें वाद–कारण, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान और अनुतोष जिसका वह दावा करता हो। दिया हो बोर्ड को दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो गये हों और वाद-पत्र में इस आशय का एक कथन होगा कि उक्त नोटिस इस प्रकार दे दिया या छोड़ दिया गया है।

न्यायालय द्वारा वादों, आदि का नोटिस

६६––(१) वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व से या मुतवल्ली के अधिकार से सम्बद्ध प्रत्येक वाद या कार्यवाही में न्यायालय, ऐसा वाद अथवा कार्यवाही संस्थित करने वाले पक्ष के व्यय से बोर्ड को नोटिस जारी करेगा।

(२) जब कभी कोई वक्फ सम्पत्ति व्यवहार न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय किसी राजस्व, उपकर, स्थानीय–कर या कर की वसूली के निमित्त बिक्री के लिये विज्ञाप्ति की जाय तो न्यायालय, कलेक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा जिसकी आज्ञा के अधीन बिक्री विज्ञापित की गई हो, बोर्ड को नोटिस दिया जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन नोटिस न दिये जाने की दशा में, यदि बोर्ड ऐसे वाद या कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर न्यायालय को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो उस वाद या कार्यवाही में दी गई कोई डिक्री अथवा आज्ञा शून्य घोषित कर दी जायगी।

(४) उपधारा (२) के आधीन नोटिस न दिये जाने की दशा में, यदि बोर्ड ऐसी बिक्री की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को, जिसकी आज्ञा के अधीन बिक्री हुई हो, तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो वह बिक्री शून्य घोषित कर दी जायगी।

लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कार्यवाही ऐक्ट संख्या १, १८९४

६७––(१) यदि लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कार्यवाहियों के दौरान में पंचनिर्णय (Award) दिये जाने के पूर्व कलेक्टर को यह प्रतीत हो कि कोई सम्पत्ति जो अर्जित की जा रही है, वक्फ सम्पत्ति है तो कलेक्टर द्वारा ऐसे अर्जन का एक नोटिस बोर्ड पर तामील किया जायगा और आगे की कार्यवाही रोक दी जायगी जिससे कि बोर्ड, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर किसी भी समय कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सके और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

(२) यदि बोर्ड को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई सम्पत्ति जो अर्जित की जा रही है वक्फ सम्पत्ति है तो वह पंच–निर्णय दिये जाने के पूर्व किसी भी समय, कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(३) यदि बोर्ड उपधारा (१) या उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन उपस्थित हो तो उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट १८९४ की धारा ३१ या धारा ३२ के अधीन कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(४) यदि बोर्ड ऐसी आज्ञा की जानकारी प्राप्त करने के एक मास के भीतर उस प्राधिकारी को, जिसने आज्ञा दी हो, तदर्थ प्रार्थना-पत्र दे दे तो बोर्ड की सुनवाई का अवसर दिये बिना, लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ३१ या धारा ३२ के अधीन दी गई आज्ञा शून्य घोषित कर दी जायगी।

बोर्ड द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वक्फ से संबद्ध वाद या कार्यवाही में उसे एक पक्ष बनाया जायगा

६८––वक्फ के या किसी वक्फ सम्पत्ति के संबंध में वक्फ से अपरिचित या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में बोर्ड, उस वाद या कार्यवाही के एक पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मुतवल्लियों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों में समझौते पर रोक

६९––वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके विरुद्ध वक्फ सम्पत्ति में स्वत्व से या मुतवल्ली के अधिकारों से सम्बद्ध तथा किसी न्यायालय में विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही में बोर्ड की स्वीकृति के बिना समझौता नहीं किया जायगा।

अध्याय ६

अधिकरण---उनका संघटन, अधिकार और कृत्य

अधिकरणों का संघटन

७०--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उतने अधिकरण संघटित कर सकती है जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों। प्रत्येक अधिकरण का राज्य में ऐसे क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार होगा जो निर्दिष्ट किये जायं।

(२) अधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार का एक ऐसा न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) होगा जो सिविल जज से न्यून पद का न हो और जो अधिकरण के रूप में या तो नाम से या सरकारी पदनाम से नियुक्त किया जा सकता है।

अधिकरणों को विवाद आदि का अभिदेश

७१--कोई विवाद, प्रश्न या विषय, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को अभिदिष्ट किया जा सकता हो, उस अधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो, जिसमें ऐसे विवाद, प्रश्न या विषय से सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो या यदि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित हों तो उनमें से किसी एक को अभिदिष्ट किया जायगा और सक्षम युक्त अधिकरण उस विवाद प्रश्न या विषय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्णय देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी वक्फ के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई भी कार्यवाही, केवल इस कारण नहीं रोकी जायगी, न निलम्बित की जायगी कि अधिकरण के समक्ष कोई ऐसा विवाद, प्रश्न या विषय विचाराधीन है।

अधिकरणों के समक्ष प्रक्रिया
ऐक्ट संख्या ५, १९०८
ऐक्ट संख्या १, १८७२

७२--(१) इस अधिनियम तथा किन्हीं नियमों के, जो तदर्थ बनाये जायें, उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अधिकरण उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में वादों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(२) इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, १८७२ के उपबन्ध, अधिकरण द्वारा विवादों के निर्णय पर सभी विषयों में प्रवृत समझे जायंगे।

अधिकरणों द्वारा पंच-निर्णय

७३--(१) जो कोई विवाद अधिकरण को निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, तो वह अपनी कार्यवाहियां शीघ्रता से करेगा और उनके समाप्त होने पर जितना शीघ्र व्यवहार्य हो, अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप से अपना पंच-निर्णय देगा ।

(२) अधिकरण या तो स्वतः अथवा विवाद के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, पंच-निर्णय में किसी लिपिक या गणित-सम्बन्धी अशुद्धि अथवा किसी आकस्मिक चक या लोप से उत्पन्न भूल को शुद्ध कर सकता है।

(३) पंच-निर्णय की एक प्रतिलिपि और जब कभी पंच-निर्णय में पूर्वोक्त रीति से शुद्धि की जाय तो उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि, विवाद के प्रत्येक पक्ष को दी जायगी या यदि कोई पक्ष पंच-निर्णय या आज्ञा, जैसी भी दशा हो, के समय अधिकरण के समक्ष उपस्थित न हो तो उसकी एक प्रतिलिपि उस पक्ष के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जायगी ।

अधिकरणों के अधिकार ऐक्ट संख्या ५, १९०८

७४—अधिकरण, व्यवहार-न्यायालय समझा जायगा और उसके वही अधिकार होंगे जो ऐसे न्यायालय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन वाद पर विचार करते समय या डिक्री अथवा आज्ञा का निष्पादन करते समय निहित होते हैं ।

अधिकरण द्वारा निर्णीत किये जाने वाले मामलों में वाद प्रस्तुत करने पर रोक पंच-निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी

७५—कोई व्यक्ति किसी व्यवहार-न्यायालय में किसी ऐसे विवाद या प्रश्न या मामले के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं करेगा, जिसका इस अधिनियम के अधीन निर्णय के लिये किसी अधिकरण को अभिदिष्ट किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात हो ।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

७६—अधिकरण का पंच-निर्णय अंतिम और निश्चायक तथा संबंद्ध पक्षों पर बन्धनकारी होगा और वह डिक्री के समान प्रभावी होगा तथा उसके विरुद्ध किसी विधि-न्यायालय में न तो आपत्ति की जायगी और न अपील की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय, स्वमति से, किसी समय स्वत: या बोर्ड अथवा किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, किसी वाद के अभिलेख को, इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी पंच-निर्णय की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और ऐसी आज्ञाएँ दे सकता है जो वह उचित समझे ।

७७—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा ७० से ७६ तक के उपबन्धों के कार्यान्वय से संबद्ध किन्हीं कठिनाइयोंको दूर करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा, निदेश दे सकती है कि ये उपबन्ध उस अवधि में, जो निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकलनों (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों अथवा परिवर्द्धन या लोप के रूप में) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो वह इष्टकर या आवश्यक समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से चौबीस मास के बाद ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा पर किसी विधि-न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जायगी कि उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रकार की कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसका दूर करना अपेक्षित न था ।

अध्याय १०

प्रकीर्ण

नियम बनाने का अधिकार ।

७८—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) रीति, जिसके अनुसार मामला अधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा; और

(ख) अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा समय क्रम ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और जब तक कि बाद का कोई दिनांक निश्चित न किया जाय, उस प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे।

(४) सभी नियमों को, उनके बनने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखा जायगा और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार उसके समक्ष रखे जायं ।

बोर्ड को उप-विधियां बनाने का अधिकार

७६—(१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुये, अपने कृत्यों के संपादन के तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वय के लिये इस अधिनियम के सुसंगत उपविधियां बना सकता है ।

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन उपविधियों में निम्नलिखित सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो, की रीति ;

(ख) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान, उनकी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन ;

(ग) बोर्ड के सचिव तथा कर्मचारिवर्ग की अर्हतायें, उपलब्धियां और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) निरीक्षण की अनुमति और बोर्ड की कार्यवाहियों या अभिलेखों की प्रतिलिपियां दिये जाने के लिये शुल्क और शर्तें;

(ङ) उप–समिति का संघटन, कृत्य, प्रक्रिया और कार्य–संचालन;

(च) वक्फों की रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र देने का प्रपत्र तथा रीति ;

(छ) वक्फ रजिस्टर में दिये जाने वाले ब्योरे और उसका प्रपत्र;

(ज) इस अधिनियम के अधीन अंशदान के आरोपण के प्रयोजन के लिये वक्फों की आय का हिसाब लगाने की रीति ;

(झ) बोर्ड और प्रत्येक वक्फ के वार्षिक बजट और लेखे तैयार करने के लिये प्रपत्र तथा रीतियां ;

(ञ) किसी या प्रत्येक वक्फों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपेक्षित विभिन्न विवरणियों के प्रपत्र तथा उन्हें प्रस्तुत करने की रीति ;

(ट) वक्फ निधि की अभिरक्षा तथा विनियोजन (investment);

(ठ) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों के लिये यात्रिक–भत्ता स्वीकृत करना ;

(ड) बोर्ड के तथा यदि कोई उप-समिति हो तो उसके कार्यालय में रखी जाने वाली पुस्तकें तथा लेखे ;

(ढ) वक्फों के लेखे रखने, उनका लेखा–परीक्षण करने तथा उन्हें प्रकाशित करने की रीति, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का प्रपत्र और विषय–वस्तु और लेखा–परीक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक की दर,

(ण) बोर्ड या उस–समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;

(त) वे व्यक्ति जिनके द्वारा बोर्ड की कोई आज्ञा या निर्णय प्रमाणीकृत किया जा सके; और

(थ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा नियत किये जाने के लिये अपेक्षित या अनुमति हो ।

नियम, उप-विधियां और सदस्यों तथा अध्यक्षों के नाम विज्ञापित किये जायेंगे

८०––(१) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम और उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशित की जायंगी और तत्पश्चात् वे विधि के समान प्रभावी होंगी ।

(२) बोर्डों के सदस्यों तथा अध्यक्षों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

८१––(१) राज्य सरकार, बोर्ड या आयुक्त के अथवा इस अधिनियम के अधीन यथाविधि नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(२) आयुक्त, अतिरिक्त वक्फ–आयुक्त, सहायक वक्फ–आयुक्त, प्रत्येक लेखा परीक्षक, बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा तदधीन बनाये गये नियमों अथवा दी गई आज्ञाओं द्वारा उस पर आरोपित किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये यथाविधि नियुक्त हो, इंडियन पीनल कोड १८६० की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझा जायगा ।

ऐक्ट ४५,१८६०

अतिरिक्त और संचित धन-राशि

८२––वक्फों की आय में से उपलब्ध समस्त अतिरिक्त या संचित धनराशि मुस्लिम विधि द्वारा पूर्ति और धार्मिक उद्देश्यों के रूप में स्वीकृत उद्देश्यों में से ऐसे उद्देश्यों पर व्यय की जायंगी जो बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायं । ऐसी धनराशि बोर्ड के अनुमोदन से, एक वक्फ द्वारा दूसरे वक्फ को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऋण के रूप में दी जा सकती है जो नियत की जायं ।

कुर्की द्वारा देय धनराशियों की वसूली

८३––धारा ३४ के अधीन देय अंशदान और इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य प्रत्येक धनराशि, बोर्ड द्वारा देनदार व्यक्ति की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा तदर्थ राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वक्फ सम्पत्ति का प्रापक (Receiver) नियुक्त करके वसूल की जा सकती है ।

राज्य सरकार पर दायित्व न होगा

८४––इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में किये गये किसी व्यय का दायित्व राज्य सरकार पर न होगा ।

निरसन और व्यावृत्ति

८५––(१) किसी अन्य अधिनियमित की कोई ऐसी बात जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, ऐसे वक्फों पर प्रवृत्त न होंगी जिन पर यह अधिनियम प्रवृत्ति होता है ।

(२) समय-समय पर यथासंशोधित यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ और हुसैनाबाद इण्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ निरस्त किये जाते हैं :

यू० पी० ऐक्ट, संख्या १३,१९३६

ऐक्ट संख्या १५, १८७८

प्रतिबन्ध यह है कि इस निरसन से किसी न्यायालय में विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में दिये जाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में उन ऐक्टों के प्रवर्तन पर प्रभाव न पड़ेगा और इसके अधीन रहते हुये, उन ऐक्टों द्वारा या उनके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जब तक कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किया गया या की गई समझी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रचलित था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्यवाही की गई थी ।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के कार्यान्वय में कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं तथा बहुत-सी बातों में इसके उपबन्ध त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं। विधि न्यायालयों में विवादों का मुकदमों के जरिये निबटारा करने की प्रक्रिया से विवादों के समाप्त करने में काफी देर लगती है और यह सेंट्रल बोर्डों तथा वक्फों दोनों ही के लिये अत्यधिक खर्चीला साबित हुआ है ।

२—इस विधेयक में मुख्यतया बोर्डों तथा मुतवल्लियों के बीच विवादों को अधिकरणों द्वारा शीघ्र समाप्त करने, बोर्ड को अपचारी मुतवल्लियों को हटाने का अधिकार तथा उन वक्फों के, जिनके उद्देश्य विद्यमान नहीं रह गये हैं या पूर्ण नहीं किये जा सकते हों या स्पष्ट रूप से पारिभाषित न हों, उद्देश्यों तथा विधियों के प्रयोग की रीति निश्चित करने का अधिकार देने की व्यवस्था की गई है ।

३—इस विधेयक में राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा घोर कुप्रबंध तथा निरन्तर कर्त्तव्य विमुखता की दशा में उसका अवक्रमण करने तथा एक वर्ष की अवधि के लिये प्रशासक नियुक्त करने का भी विशेष अधिकार दिया गया है ।

४—हुसैनाबाद इण्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित सम्पत्तियां, यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ की परिधि के बाहर थीं। इन सम्पत्तियों को तथा कुछ अन्य सम्पत्तियों को, जिनका इस समय प्रशासन हुसैनाबाद ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा किया जा रहा है, नये अधिनियम की परिधि के भीतर लाने का विचार है ।

५—वर्तमान यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, १९३६ के अन्य उपबन्धों को शामिल करने के साथ-साथ विधेयक इस प्रकार तैयार किया गया है कि वर्तमान विधि की छोटी-मोटी त्रुटियां दूर हो जाये और जो आवश्यक बातें पहले अधिनियम में छूट गई थीं वे इसमें आ जायं। यह आशा की जाती है कि जब विधेयक द्वारा अभिप्रेत परिवर्तन प्रचलित हो जायेंगे तो बोर्डों का वक्फों के प्रशासन पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली नियंत्रण हो जायगा, विलम्ब विशेषतया विवादों को समाप्त करने में बिलम्ब नहीं होगा, लम्बे अर्से तक मुकदमेबाजी होने के कारण बोर्डों तथा वक्फों को जो खर्च करना पड़ता है, वह न होगा, तथा बोर्डों की वित्तीय स्थिति बहुत सुधर जायगी और उनके लिये यह संभव होगा कि वे अपनी अतिरिक्त निधियों को वक्फ सम्पत्तियों के परीक्षण तथा संरक्षण और धार्मिक, धर्मशील और पूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग में लगायें। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख कर उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६० पुरः स्थापित किया जाता है ।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६० में विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान सम्बन्धी प्रस्तावों का ज्ञापन-पत्र

विधयक में विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं।

खंड २ के उपखंड (२) में यह व्यवस्था की गई है कि यह अधिनियम हुसैनाबाद इण्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित सम्पत्तियों तथा उसके अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित सम्पत्तियों पर भी प्रवृत्त होगा। इस उपखंड के प्रतिबन्धात्मक खंड में राज्य सरकार को उक्त सम्पत्तियों पर इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे अनुकूल (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों अथवा परिवर्द्धन या लोप के रूप में) करने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें वह उचित समझे, और जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के मूलतत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो। इस अधिकार को रखना आवश्यक है क्योंकि अवध के राज परिवार के सदस्यों द्वारा सृजित वक्फों की सम्पत्तियों का एक विशिष्ट स्थान है और वे अब तक वक्फ बोर्ड के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में नहीं थीं। चूंकि वे अब अधिनियम की परिधि के भीतर लायी जा रही हैं इसलिये उनके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में छोटे-मोटे परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है।

खंड ७७ में राज्य सरकार को, खंड ७० से ७६ के उपबन्धों के कार्यान्वय से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से २४ मास के भीतर यह निदेश देने का अधिकार दिया गया है कि ये उपबन्ध उस अवधि में, जो निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों अथवा परिवर्द्धन या लोप के रूप में) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो वह इष्टकर या आवश्यक समझे। कठिनाइयों को दूर करने के लिये आज्ञा जारी करने का यह अधिकार इसलिये रखा जा रहा है क्योंकि वक्फों से सम्बद्ध विवादों का अधिकरण को अभिदिष्ट किये जाने से तथा उसके द्वारा उनके निर्णय से सम्बद्ध उपबन्ध नये हैं और यद्यपि इस समय कठिनाई की आशंका नहीं है, तथापि इन उपबन्धों की वास्तविक प्रवृत्ति में कुछ कठिनाई हो सकती है।

खंड ७८ में राज्य सरकार को सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये और विशेषतया अधिकरणों को विवाद अभिदिष्ट करने की रीति, उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा समय क्रम की व्यवस्था करने के लिये नियमावली बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। यह व्यवस्था की गई है कि उक्त नियमावली विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायगी और विधान मंडल द्वारा किये गये परिष्कारों के अधीन रहेगी।

खंड ७९ में बोर्ड को सामान्यतया अपने कृत्यों को सम्पादित करने तथा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये और विशेषतया उपखण्ड (२) में दिये गये बहुत से आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये उपविधियां बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। ये सब प्रशासकीय विषय हैं जो बोर्ड के कृत्यों तथा अधिकारों के अन्तर्गत आते हैं।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३९ एल० ए०—१९६०—८४५।